भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई - 400 001

अधिसूचना सं.फेमा. 20 (आर)/2017-आरबी **नवम्बर 07, 2017**

(08 मार्च, 2019 तक अद्यतन)

(24 सितम्बर, 2018 तक अद्यतन)

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2017

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (बी) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 03 मई 2000 को जारी दोनों अधिसूचनाएं सं. फेमा.20/2000-आरबी एवं अधिसूचना सं. फेमा. 24/2000-आरबी, का अधिक्रमण करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले निवेशों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित विनियमावली निर्मित करता है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2017 कहलाएगी।

(2) इस विनियमावली के विनियम 10 के उप-विनियम 1 के परंतुक (ii) तथा विनियम 10 के उप-विनियम 2 के परंतुक (ii)[1] 2 जून, 2018 से लागू होगा। **और** शेष विनियमावली सरकारी राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

2. परिभाषाएँ

इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

(i) **"अधिनियम"** का तात्पर्य विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) से है;

(ii) **"आस्ति पुनर्गठन कंपनी"** (ARC) का तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्रचना और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी एक्ट) की धारा 3 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत है;

(iii) **"प्राधिकृत बैंक"** का अर्थ वही होगा जो विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 में दिया गया है;

(iv) **"प्राधिकृत व्यापारी"** का तात्पर्य अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्राधिकृत किये गए व्यक्ति से है;

(v) **"पूंजीगत लिखत"** का तात्पर्य भारतीय कंपनी द्वारा जारी इक्विटी शेयर, डिबेंचर, अधिमानी शेयर तथा शेयर वारंटों से है।

---

[1]Inserted with effect from June 2, 2018 vide FEMA 20(R)(2) dated June 1, 2018. Prior to insertion it read as, "जिन्हें अधिसूचित करने की तिथि अभी घोषित की जानी है, को छोड़कर"

स्पष्टीकरण :

(ए) कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसरण में जारी इक्विटी शेयरों में ऐसे शेयर भी शामिल हैं, जिनका आंशिक भुगतान किया गया है। 'डिबेंचर" शब्द का अर्थ पूर्ण रूप से, अनिवार्यतः एवं अधिदेशात्मक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर है। 'अधिमानी शेयर" शब्द का अर्थ पूर्ण रूप से, अनिवार्यतः एवं अधिदेशात्मक रूप से परिवर्तनीय अधिमानी शेयर है। "शेयर वारंट" वे हैं, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के विनियमाओं के अनुसरण में भारतीय कंपनी द्वारा जारी किए गए हों। पूंजीगत लिखतों में न्यूनतम एक वर्ष की लॉक-इन अवधि अथवा क्षेत्र-विशेष के लिए निर्धारित लॉक-इन अवधि, जो भी अधिक हो, के अधीन रहते हुए वैकल्पिकता खंड (ऑप्शनलिटी क्लॉज़) शामिल किया जा सकता है, किन्तु उसमें किसी निश्चित कीमत पर एक्ज़िट करने का अधिकार अथवा विकल्प नहीं होगा।

(बी) भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों को जारी आंशिक रूप से भुगतान योग्य शेयर्स उन्हें जारी करने की तिथि से बारह महीनों की अवधि तक पूर्णतः कॉल-अप होंगे। प्रतिफल की कुल राशि (शेयर प्रेमियम, यदि कोई हो, सहित) में से पच्चीस प्रतिशत राशि प्रारंभ में प्राप्त की जाएगी।

(सी) शेयर वारंटों के मामले में प्रतिफल राशि का कम-से-कम पच्चीस प्रतिशत हिस्सा उन शेयर वारंटों के जारी करने के साथ ही प्राप्त होगा तथा शेष राशि उनके जारी करने की तिथि से अठारह महीनों की अवधि के दौरान प्राप्य होगा।

(डी) पूंजीगत लिखतों में दिनांक 30 अप्रैल 2007 तक जारी अपरिवर्तनीय/ वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय / आंशिक रूप से परिवर्तनीय अधिमनी शेयर तथा दिनांक 07 जून 2007 तक जारी एवं उनकी मूल परिपक्वता अवधि तक वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय / आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर शामिल हैं। दिनांक 30 अप्रैल 2007 के पश्चात जारी अ-परिवर्तनीय/ वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय / आंशिक रूप से परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों को कर्ज़ (उधार) माना जाएगा और उन्हें विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना एवं उधार देना) विनियमावली, 2000 के तहत विनियमित बाह्य वाणिज्यिक उधार संबंधी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना होगा।

(vi) **'परिवर्तनीय नोट' (convertible note) -** अर्थात किसी स्टार्टअप कंपनी द्वारा जारी एक ऐसी लिखत, जो प्रारम्भिक तौर पर कर्ज़ के रूप में प्राप्त धनराशि को इंगित करती है और वह उसके धारक को उसके विकल्प पर पुनर्भुगतान योग्य होगी अथवा इस नोट को जारी करने की तारीख से पाँच वर्षों से अनधिक अवधि के भीतर उस संख्या में स्टार्टअप कंपनी के इक्विटी शेयरों में, उक्त लिखत में उल्लिखित और स्वीकार किए गए नियमों और शर्तों के अनुरूप विशिष्ट स्थितियों में परिवर्तनीय होगी।

(vii) **"घरेलू अभिरक्षक"** का अर्थ प्रतिभूतियों का अभिरक्षक, भारतीय निक्षेपागार, कोई निक्षेपागार भागीदार अथवा कोई ऐसा बैंक, जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा प्रतिभूतियों की अभिरक्षा संबंधी सेवा प्रदान करने के लिए अनुमति दी गई हो।

(viii) **"घरेलू निक्षेपागार"** का अर्थ प्रतिभूतियों की कोई ऐसी अभिरक्षक संस्था, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास पंजीकृत है और जिसे भारतीय निक्षेपागार रसीदें (IDR) जारी करने के लिए प्रतिभूति जारीकर्ता एंटिटी द्वारा प्राधिकृत किया गया है।

(ix) **"निक्षेपागार रसीद"** का अर्थ विदेशी मुद्रा में मूल्य-वर्गीकृत ऐसी कोई लिखत, भले ही वह किसी अंतरराष्ट्रीय विनिमयगृह में सूचीबद्ध हो अथवा न हो, जिसे किसी विदेशी निक्षेपागार द्वारा उसके लिए अनुमत अधिकार क्षेत्र में जारी अथवा उस विदेशी निक्षेपागार को जारी अथवा अंतरित की गई पात्र प्रतिभूतियों के आधार पर जारी किया गया है, तथा उन्हें किसी घरेलू अभिरक्षक के पास जमा किया गया है। इसमें कंपनी अधिनियम, 2013 में यथापरिभाषित "वैश्विक निक्षेपागार रसीदें" भी शामिल हैं।

(x) **"कर्मचारी स्टॉक विकल्प (ESOP)"** की परिभाषा वही होगी जो कंपनी अधिनियम, 2013 में उसके लिए दी गई है और जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी विनियमावली के अंतर्गत जारी किए गए हैं।

(xi) **"एस्क्रो खाता (Escrow)"** अर्थात विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 के तहत खोला गया और धारित किया गया एस्क्रो खाता।

(xii) **"एफ़डीआई सम्बद्ध निष्पादन शर्तें"** अर्थात **इस** विनियमावली के विनियम-16 के तहत विदेशी निवेश प्राप्तकर्ता कंपनी हेतु क्षेत्र-विशेष के लिए निर्दिष्ट निवेश की शर्तें ।

(xiii) **"विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक (FVCI)"** अर्थात ऐसा निवेशक जो भारत से बाहर स्थापित और निगमित है और वह सेबी (विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक) विनियमावली, 2000 के तहत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास पंजीकृत है।

(xiv) **"विदेशी केंद्रीय बैंक"** अर्थात भारत से बाहर स्थापित ऐसी कोई संस्था/ संगठन / कॉर्पोरेट बॉडी जिसे किसी देश के वर्तमान प्रचलित क़ानून के तहत उस देश के केंद्रीय बैंक के कार्यकलापों संबंधी दायित्व सौंपा गया है।

(xv) **"एफ़.सी.एन.आर.(बी) [FCNR(B)]"** अर्थात विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 के तहत खोला गया और धारित किया गया विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाता ।

(xvi) **"विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड (FCCB)"** अर्थात विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड तथा साधारण शेयरों का निर्गम (निक्षेपागार रसीद प्रणाली के माध्यम से) योजना, 1993 के अनुसरण में जारी विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड ।

(xvii) **"प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ़डीआई)"** अर्थात भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों द्वारा गैर-सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों की पूंजीगत लिखतों के माध्यम से किया गया निवेश; अथवा सूचीबद्ध भारतीय कंपनी की निर्गम के बाद की प्रदत्त इक्विटि के 10 प्रतिशत तक अथवा उससे अधिक पूर्णतः डाइल्यूटेड आधार पर किया गया निवेश;

नोट - यदि भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा सूचीबद्ध भारतीय कंपनी की पूंजीगत लिखतों में पूर्णतः डाइल्यूटेड आधार पर निर्गम के बाद की प्रदत्त इक्विटि के जरिए किया गया वर्तमान निवेश 10 प्रतिशत से कम होता है तब भी इन निवेशों को एफ़डीआई माना जाएगा।

स्पष्टीकरण : 'पूर्णतः डाइल्यूटेड आधार पर' का अर्थ परिवर्तन के सभी संभाव स्रोतों को निष्पादित करने के पश्चात शेष रहने वाले कुल शेयरों की संख्या।

(xviii) **"विदेशी निवेश"** अर्थात भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों द्वारा भारतीय कंपनियों की पूंजीगत लिखतों में तथा किसी एलएलपी की पूंजी में प्रत्यावर्तनीय आधार पर किया गया निवेश ।

स्पष्टीकरण : यदि व्यक्तियों द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत यह घोषणा की जाती है कि किसी कंपनी का लाभकारी हित किसी अनिवासी भारतीय ने धारित किया है, तो ऐसे मामलों में भारतीय नागरिकों द्वारा किया गया निवेश भी विदेशी निवेश माना जाएगा।

नोट : भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति किसी भारतीय कंपनी में विदेशी निवेश केवल एफ़डीआई अथवा विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के रूप में धारण कर सकते हैं।

(xix) **"विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI)"** अर्थात भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों द्वारा सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों की पूर्णतः डाइल्यूटेड आधार पर निर्गम के बाद की प्रदत्त इक्विटि के जरिए पूंजीगत लिखतों में 10 प्रतिशत से अनधिक किया गया निवेश अथवा किसी सूचीबद्ध भारतीय कंपनी द्वारा जारी पूंजीगत लिखतों की प्रत्येक शृंखला में 10 प्रतिशत से अनधिक मात्रा तक किया गया निवेश ।

स्पष्टीकरण : प्रत्येक पोर्टफोलियो निवेशक तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियमावली, 2014 में संदर्भित प्रत्येक निवेशक समूह के लिए 10 प्रतिशत की सीमा लागू होगी।

(xx) **"विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI)"** अर्थात भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियमावली, 2014 के अनुसार पंजीकृत व्यक्ति।

स्पष्टीकरण : कोई विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) अथवा कोई उप-खाता, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी संस्थागत निवेशक) विनियमावली, 1995 के तहत पंजीकृत है, तथा उसके पास सेबी के पंजीकरण का वैध प्रमाणपत्र है, तो सेबी (एफ़पीआई) विनियमावली, 2014 की प्रभावी तिथि से तीन वर्ष की ब्लॉक अवधि की समाप्ति तक उसे विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) माना जाएगा।

(xxi) **"सरकारी अनुमोदन"** अर्थात भूतपूर्व औद्योगिक सहायता सचिवालय (SIA), औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, भारत सरकार और / अथवा भूतपूर्व विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (FIPB) और / अथवा भारत सरकार का कोई मंत्रालय अथवा विभाग, जैसा भी मामला हो; का अनुमोदन ।

(xxii) **"समूह कंपनी"** अर्थात दो अथवा उससे अधिक उद्यम, जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी स्थिति में हो कि (ए) वे दूसरे उद्यम में 26% या उससे अधिक मताधिकार का प्रयोग कर सके; अथवा (बी) दूसरे उद्यम में 50% से अधिक निदेशक बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति कर सकें।

(xxiii) **"भारतीय कंपनी"** अर्थात वह कंपनी जो भारत में निगमित है और जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत की गई है;

(xxiv) **"भारतीय निक्षेपागार रसीदें (IDRs)"** अर्थात एक ऐसी लिखत जो निक्षेपागार रसीद के रूप में भारत में किसी घरेलू निक्षेपागार द्वारा निर्मित की गई हो, और जिसे ऐसी रसीदों का निर्गम करनेवाली भारत से बाहर निगमित किसी कंपनी द्वारा प्राधिकृत किया गया हो;

(xxv) **"भारतीय एंटिटी"** अर्थात कोई भारतीय कंपनी अथवा एल.एल.पी.

(xxvi) **"निवेशक कंपनी"** अर्थात कोई ऐसी भारतीय कंपनी जो अन्य भारतीय कंपनी/यों में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में केवल निवेश धारण करती है, किन्तु वह धारिता / प्रतिभूतियों की ट्रेडिंग के लिए नहीं है। है।

(xxvii) **"निवेश"** अर्थात भारत में निवासी किसी व्यक्ति किसी प्रतिभूति अथवा यूनिट में अभिदान, अर्जन, उसे धारण करना अथवा उसका अंतरण करना;

स्पष्टीकरण :

(ए) इसमें भारत के बाहर से जारी निक्षेपागार रसीदों का अर्जन, धारिता अथवा अंतरण भी शामिल होगा जिसके लिए भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा जारी की गई प्रतिभूति अंतर्निहित (underlying) हो।;

(बी) एलएलपी के मामले में निवेश का अर्थ उस एलएलपी की पूंजी में अंशदान अथवा लाभ शेयरों का अधिग्रहण/ अंतरण होगा।

(xxviii) **"प्रत्यावर्तनीय आधार पर निवेश"** का अर्थ है ऐसा निवेश जिसकी करों को घटाकर प्राप्त बिक्रीगत आय/ परिपक्कता आय भारत के बाहर प्रत्यावर्तित करने के लिए पात्र है तथा "अप्रत्यावर्तनीय आधार पर निवेश" इस अभिव्यक्ति को तदनुसार समझा जाएगा।

(xxix) **निवेश माध्यम'** का अर्थ है ऐसी एंटीटी है जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अथवा इस प्रयोजन के लिए नामित किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा निर्मित संबन्धित विनियमों के तहत पंजीकृत और विनियमित है और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (REITs) विनियमावली, 2014 द्वारा प्रशासित रियल इस्टेट निवेश ट्रस्ट (REITs), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (InvIts) विनियमावली, 2014 द्वारा प्रशासित इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (AIFS) विनियमावली, 2012 द्वारा प्रशासित अल्टरनेटिव निवेश निधियाँ इसमें शामिल हैं।

(xxx) **"सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी)"** का अर्थ है सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के अंतर्गत बनाई गयी तथा पंजीकृत भागीदारी।

(xxxi) **"सूचीबद्ध भारतीय कंपनी"** का अर्थ है ऐसी भारतीय कंपनी जिसके पूंजीगत लिखत में से कोई भी लिखत मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्स्चेंज पर सूचीबद्ध है और " सूचीबद्ध नहीं की गई भारतीय कंपनी" इस अभिव्यक्ति को तदनुसार समझा जाएगा।

(xxxii) **"विनिर्माण"** का उसके व्याकरणिक भिन्नताओं के साथ अर्थ होगा किसी निर्जीव भौतिक चीज, वस्तु अथवा पदार्थ में परिवर्तन, (ए) जिसके परिणामस्वरूप उस चीज, वस्तु अथवा पदार्थ का अलग नाम, स्वरूप तथा उपयोग वाली किसी नई तथा भिन्न चीज, वस्तु अथवा पदार्थ में रूपान्तरण होता है; अथवा (बी) किसी भिन्न रसायनिक बनावट अथवा अंगभूत रचना वाली नई तथा अलग चीज, वस्तु अथवा पदार्थ को अस्तित्व में लाना।

(xxxiii) **"एनआरई खाता"** का अर्थ है विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 के अनुसार बनाए रखा गया अनिवासी बाह्य खाता;

(xxxiv) **"एनआरओ खाता"** का अर्थ है विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 के अनुसार बनाए रखा गया अनिवासी साधारण खाता;

(xxxv) **"अनिवासी भारतीय(एनआरआई)"** का अर्थ है भारत के बाहर निवास करने वाला व्यक्ति जो भारत का नागरिक है।

(xxxvi) **'भारत का समुद्रपारीय नागरिक (ओसीआई)'** का अर्थ है भारत के बाहर निवास करने वाला व्यक्ति जो कि नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7(ए) के अंतर्गत भारत का समुद्रपारीय नागरिक कार्डधारक के रूप में पंजीकृत है।

(xxxvii) **'निवासी भारतीय नागरिक'** का अर्थ है एस व्यक्ति जो भारत में निवास करता है और भारत के संविधान अथवा नागरिकता अधिनियम, 1955 के अनुसार भारत का नागरिक है।

(xxxviii) **'ओद्योगिक सहायता सचिवालय'** का अर्थ है ओद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार में ओद्योगिक सहायता सचिवालय;

(xxxix) **'किसी क्षेत्र-विशेष के लिए निर्धारित सीमा'** का अर्थ है अधिकतम निवेश जिसमें जब तक अन्यथा प्रावधान न किया गया हो, किसी कंपनी के पूंजीगत लिखतों अथवा एलएलपी की पूंजी, जैसी स्थिति हो, में भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रत्यावर्तनीय आधार पर किया विदेशी निवेश तथा अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश दोनों शामिल हैं; यह भारतीय निवेश प्राप्तकर्ता एंटीटी के लिए सम्मिश्र सीमा होगी।

स्पष्टीकरण:

(ए) एफ़सीसीबी तथा डीआर जिनके कर्ज के स्वरूप के अंतर्निहित लिखित हैं, को किसी क्षेत्र विशेष के लिए निर्धारित सीमा में शामिल नहीं किया जाएगा।

(बी) भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्तियों द्वारा किसी भी व्यवस्था के अंतर्गत किसी कर्ज लिखत के परिवर्तन के परिणामस्वरूप इक्विटि धारिता को किसी क्षेत्र विशेष के लिए निर्धारित सीमा के अंतर्गत गिना जाएगा;

(x1) **'एसएनएनआर खाता'** का अर्थ है का अर्थ है विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 के अनुसार बनाए रखा गया विशेष अनिवासी रुपया खाता;

(x1i) **'स्टार्टअप'** का अर्थ ऐसी एंटिटी से है जो भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा जारी दिनांक 17 फरवरी 2016 की अधिसूचना जी.एस.आर. सं. 180(ई), में निर्धारित शर्तों का अनुपालन करती हों। "

(x1ii) 'स्टार्टअप कंपनी' का अर्थ है कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निगमित निजी कंपनी तथा जो भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा जारी दिनांक 17 फरवरी 2016 की अधिसूचना जी.एस.आर. सं. 180(ई) के अनुसार इस रूप में मान्यताप्राप्त है और उसमें निर्धारित शर्तों का अनुपालन करती हों। "

(x1iii) **'स्वेट इक्विटि शेयर'** का अर्थ है कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत परिभाषित किए गए स्वेट इक्विटि शेयर।

(x1iv) **' हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर)'** का अर्थ वही होगा जो उसे अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (2) के अंतर्गत बनाए गए विनियमों में दिया गया है;

(x1v) **'यूनिट"** का अर्थ होगा निवेश माध्यम में किसी निवेशक का लाभकारी हित

(x1vi) **"जोखिम पूंजी निधि"** का अर्थ है किसी ट्रस्ट, कंपनी जिसमे कॉर्पोरेट निकाय शामिल है के रूप में स्थापित तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जोखिम पूंजी निधि) विनियमावली,1996 के अंतर्गत पंजीकृत निधि;

(x1vii) इन विनियमों में प्रयुक्त किंतु परिभाषित न किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों के क्रमश: वही अर्थ होंगे जो संबन्धित अधिनियम में निर्धारित किए गए हैं।

3. भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा निवेश पर प्रतिबंध

अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम अथवा विनियमों में अन्यथा किए गए प्रावधान को छोड़कर भारत के बाहर का निवासी कोई भी व्यक्ति भारत में निवेश नहीं करेगा।

बशर्ते यह कि अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम अथवा विनियमों के अनुसार किए गए तथा इन विनियमों के प्रारंभ होने की तारीख को धारित निवेश के संबंध में यह मान लिया जाएगा कि निवेश इन विनियमों के अंतर्गत किया गया है और तदनुसार इन विनियमों द्वारा प्रशासित होगा।

बशर्ते यह भी कि रिज़र्व बैंक उसे किए गए आवेदन पर और पर्याप्त कारणों के लिए आवश्यक समझी गई शर्तों के अधीन भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति को भारत में कोई निवेश करने की अनुमति प्रदान करेगा।

4. निवेश प्राप्त करने पर प्रतिबंध

अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम अथवा विनियमों में अन्यथा किए गए प्रावधान को छोड़कर, कोई भारतीय एंटीटी अथवा निवेश माध्यम, अथवा जोखिम पूंजी निधि अथवा कोई फ़र्म, अथवा व्यक्तियों का संघ अथवा कोई स्वामित्व संस्था, भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति से कोई निवेश प्राप्त नहीं कर नहीं कर सकती है अथवा ऐसे निवेश को अपनी बहियों में रिकार्ड भी नहीं कर सकती है।

बशर्ते यह कि रिज़र्व बैंक उसे किए गए आवेदन पर और पर्याप्त कारणों के लिए आवश्यक समझी गई शर्तों के अधीन कोई भारतीय एंटीटी अथवा निवेश माध्यम, अथवा जोखिम पूंजी निधि अथवा कोई फ़र्म, अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा कोई स्वामित्व संस्था को भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति से कोई निवेश प्राप्त करने के लिए अथवा ऐसे निवेश को अपनी बहियों में रिकार्ड करने की अनुमति प्रदान करता है।

5. भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा निवेश करने के लिए अनुमति

जब तक कि इन विनियमों अथवा संबंधित अनुसूचियों में अन्यथा निर्दिष्ट नहीं किया गया है, भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भी निवेश इन विनियमों में ऐसे निवेश के लिए निर्धारित किए गए प्रवेश मार्ग, क्षेत्र विशेष के लिए निधारित सीमा अथवा निवेश सीमाएं जैसी स्थिति हो,तथा अन्य अनुवर्ती शर्तों के अधीन होगा। भारत के बाहर का निवासी व्यक्ति निम्नानुसार निवेश कर सकता है:

(1) भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति अनुसूची 1 में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन तथा उसमें दिए गए तरीके से भारतीय कंपनी के पूंजीगत लिखत में अभिदान, खरीद अथवा बेच सकता है।

बशर्ते कि कोई व्यक्ति जो कि बांग्लादेश अथवा पाकिस्तान का नागरिक है अथवा बांग्लादेश अथवा पाकिस्तान में निगमित एंटीटी है, सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना पूंजीगत लिखत खरीद नहीं सकता है।

बशर्ते यह भी कि कोई व्यक्ति, जो पाकिस्तान का नागरिक है अथवा कोई ऐसी एंटीटी, जो पाकिस्तान में निगमित है, वह रक्षा, अन्तरिक्ष, परमाणु-ऊर्जा तथा विदेशी निवेश के लिए प्रतिबंधित क्षेत्रों/गतिविधियों को छोडकर अन्य क्षेत्रों / गतिविधियों में केवल सरकारी अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत निवेश कर सकता है।

नोट: तेल क्षेत्र की भारतीय कंपनियों द्वारा भारत से बाहर के निवासी व्यक्तियों को 'पार्टीसिपेटिंग इंटरेस्ट/राइट' जारी करने / अंतरित करने को विदेशी निवेश माना जाएगा तथा इसमें अनुसूची-1 में दी गई शर्तों का अनुपालन करना होगा।

(2) विदेशी संविभाग निवेशक(एफ़पीआई) अनुसूची 2 में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन तथा उसमें दिए गए तरीके से भारत में मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्स्चेंज पर सूचीबद्ध भारतीय कंपनी के पूंजीगत लिखत खरीद अथवा बेच सकता है।

(3) कोई अनिवासी भारतीय अथवा भारत का समुद्रपारीय नागरिक अनुसूची 3 में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन तथा उसमें दिए गए तरीके से प्रत्यावर्तनीय आधार पर भारत में मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्स्चेंज पर सूचीबद्ध भारतीय कंपनी के पूंजीगत लिखत खरीद अथवा बेच सकता है।

(4) कोई अनिवासी भारतीय अथवा भारत का समुद्रपारीय नागरिक अनुसूची 4 में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन तथा उसमें दिए गए तरीके से अप्रत्यावर्तनीय आधार पर भारतीय कंपनी के पूंजीगत लिखत खरीद अथवा बेच सकता है अथवा यूनिट्स खरीद अथवा बेच सकता है अथवा एलएलपी अथवा कोई फ़र्म अथवा स्वामित्व संस्था की पूंजी में अंशदान दे सकता है।

(5) भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति जिसे उस प्रयोजन से रिज़र्व बैंक द्वारा केंद्र सरकार से विचारविमर्श कर अनुमति दी गई है, अनुसूची 5 में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन तथा उसमें दिए गए तरीके से पूंजीगत लिखतों को छोड़कर अन्य प्रतिभूतियां खरीद या बेच सकता है।

टिप्पणी: विदेशी संविभाग निवेशक(एफ़पीआई) अथवा अनिवासी भारतीय (एनआरआई) अथवा भारत का समुद्रपारीय नागरिक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमाओं तथा अनुसूची 5 में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन समय समय पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा अनुमानित सभी एक्स्चेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव संविदाओं में ट्रेड अथवा निवेश कर सकता है।

(6) बांग्लादेश अथवा पाकिस्तान का नागरिक अथवा बांग्लादेश अथवा पाकिस्तान में निगमित एंटीटी को छोड़कर भारत के बाहर का निवासी व्यक्ति अनुसूची 6 में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन तथा उसमें दिए गए तरीके से या तो पूंजी में अंशदान अथवा एलएलपी के लाभ शेयरों के अधिग्रहण/अंतरण के माध्यम से निवेश कर सकता है।

(7) विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक अनुसूची 7 में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन तथा उसमें दिए गए तरीके से निवेश कर सकता है।

(8) बांग्लादेश अथवा पाकिस्तान का नागरिक अथवा बांग्लादेश अथवा पाकिस्तान में निगमित एंटीटी को छोड़कर भारत के बाहर का निवासी व्यक्ति अनुसूची 8 में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन तथा उसमें दिए गए तरीके से निवेश माध्यम के यूनिटों में निवेश कर सकता है।

(9) भारत के बाहर का निवासी व्यक्ति अनुसूची 9 में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन तथा उसमें दिए गए तरीके से पात्र प्रतिभूतियों की जमानत पर विदेशी निक्षेपागारों द्वारा जारी की गई निक्षेपागार रसीदों (डीआर) में निवेश कर सकता है।

(10) विदेशी संविभाग निवेशक(एफ़पीआई)अथवा अनिवासी भारतीय अथवा भारत का समुद्रपारीय नागरिक अनुसूची 10 में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन तथा उसमें दिए गए तरीके से भारत के बाहर की निवासी कंपनियों की तथा भारतीय पूंजी बाजार में जारी की गई भारतीय निक्षेपागार रसीदों(आईडीआर) को खरीद, धारित अथवा बेच सकता है।

6. राइट्स निर्गम अथवा बोनस निर्गम के माध्यम से अधिग्रहण

भारत के बाहर का निवासी व्यक्ति, जिसका भारतीय कंपनी में निवेश है, ऐसी कंपनी द्वारा राइट्स निर्गम अथवा बोनस निर्गम के रूप में जारी किए गए पूंजीगत लिखत (शेयर वॉरेंट को छोड़कर) में निवेश कर सकता है, बशर्ते:

(1) भारतीय कंपनी द्वारा किया गया प्रस्ताव कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार है।

(2) ऐसे निर्गम के परिणामस्वरूप कंपनी पर लागू होनेवाली क्षेत्र विशेष के लिए निधारित सीमा का उल्लंघन नहीं होगा।

(3) जिस शेयर धारिता के आधार पर राइट्स निर्गम अथवा बोनस निर्गम किया गया है उसे इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार अर्जित तथा धरण किया गया होना चाहिए।

(4) सूचीबद्ध भारतीय कंपनी के मामले में भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्तियों को राइट्स निर्गम कंपनी द्वारा निर्धारित मूल्य पर किया जाएगा।

(5) सूचीबद्ध न की गई भारतीय कंपनी के मामले में भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्तियों को राइट्स निर्गम भारत में निवास करने वाले व्यक्तियों को प्रस्तावित मूल्य से कम नहीं होगा।

(6) राइट्स निर्गम अथवा बोनस निर्गम के माध्यम से किया गया ऐसा निवेश , ऐसे निर्गम के समय यथालागू शर्तों के अधीन होगा।

(7) पूंजीगत लिखतों की बिक्रीगत आय (कर को घटकर) को भारत के बाहर विप्रेषित किया जाए अथवा संबंधित व्यक्ति के एनआरई/ एफ़सीएनआर(बी) खाते में जमा किया जाए।

नोट : जहां मूल निवेश अ-प्रत्यावर्तनीय आधार पर किया गया है, वहाँ प्रतिफल राशि का भुगतान भी विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 के अनुसरण में रखे गए एनआरओ (NRO) खाते में डेबिट कर के किया जा सकता है।

बशर्ते कोई व्यक्ति जो कि भारत के बाहर निवास करने वाला व्यक्ति है जिसने भारत में निवास करने वाला व्यक्ति होने के समय जारी किया गया राइट निष्पादित किया था, इस प्रकार से विकल्प को निष्पादित करके अर्जित किए गए पूंजीगत लिखतों (शेयर वॉरेंट को छोड़कर) को अप्रत्यावर्तनीय आधार पर धारित करेगा।

स्पष्टीकरण: उपर्युक्त शर्तें उस मामले में भी लागू होंगी जहां भारत के बाहर निवास करने वाला व्यक्ति ऐसे पूंजीगत लिखतों (शेयर वॉरेंट को छोड़कर) में निवेश करता है जिन्हें भारतीय कंपनी द्वारा राइट्स निर्गम के रूप में जारी किया था और जिस व्यक्ति को प्रस्तावित किया गया था उसने छोड़ दिए थे।

7. एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन योजना के अंतर्गत भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्तियों को शेयर का निर्गम

भारतीय कंपनी भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों को, जो उसके कर्मचारी / निदेशक है अथवा उसकी होल्डिंग कंपनी अथवा संयुक्त उद्यम अथवा पूर्ण स्वामित्व वाली समुद्रपारीय सहायक कंपनी/ सहायक कंपनियों के कर्मचारियों/ निदेशकों को एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन तथा /अथवा 'स्वेट इक्विटि शेयर्स" जारी कर सकती है, बशर्ते;

(1) उक्त योजना या तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 अथवा केंद्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत अधिसूचित कंपनी(शेयर पूंजी तथा डिबेंचर्स) नियमावली, 2014, जैसी स्थिति हो, के अंतर्गत जारी किए गए विनियमों के अनुसार बनाई गई है;

(2) यथा लागू नियमों/ विनियमों के अंतर्गत इस तरह जारी किए गए एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन/ 'स्वेट इक्विटि शेयर्स", उक्त कंपनी पर लागू क्षेत्र विशेष के लिए निधारित सीमा का अनुपालन करते हैं।

(3) ऐसी कंपनी में एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन/ 'स्वेट इक्विटि शेयर्स" के निर्गम जहां भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा किया गया निवेश अनुमोदन मार्ग से है, के लिए सरकार का पूर्वानुमोदन आवश्यक होगा। बांग्लादेश/ पाकिस्तान के नागरिक को एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन/ 'स्वेट इक्विटि शेयर्स" के निर्गम के लिए सरकार का पूर्वानुमोदन आवश्यक होगा।

बशर्ते कोई व्यक्ति जो कि भारत के बाहर का निवासी व्यक्ति है जिसने भारत में निवास करने वाला व्यक्ति होने के समय जारी किया गया ऑप्शन निष्पादित किया था, इस प्रकार से ऑप्शन को निष्पादित करके अर्जित किए गए शेयरों को अप्रत्यावर्तनीय आधार पर धारित करेगा।

8. भारतीय स्टार्ट-अप कंपनी द्वारा परिवर्तनीय नोटों का निर्गम

(1) भारत के बाहर का निवासी व्यक्ति (ऐसे व्यक्ति को छोड़कर जो बांग्लादेश अथवा पाकिस्तान का नागरिक अथवा बांग्लादेश अथवा पाकिस्तान में निगमित एंटीटी है) एक हिस्से में पच्चीस लाख अथवा उससे अधिक राशि के लिए भारतीय स्टार्ट-अप कंपनी द्वारा जारी किए गए परिवर्तनीय नोट खरीद सकता है।

(2) ऐसे क्षेत्र में लिप्त स्टार्टअप कंपनी जिसमें निवेश करने के लिए भारत के बाहर का निवासी व्यक्ति को सरकार का अनुमोदन आवश्यक है, केवल ऐसा अनुमोदन प्राप्त करने के बाद भारत के बाहर का निवासी व्यक्ति को इस प्रकार के

परिवर्तनीय नोट जारी कर सकती है। इसके अलावा ऐसे परिवर्तनीय नोटों की जमानत पर इक्विटि शेयरों का निर्गम भारत के बाहर का निवासी व्यक्ति द्वारा निवेश के लिए निर्धारित किए गए प्रवेश मार्ग, क्षेत्र विशेष के लिए निधारित सीमा, मूल्य निर्धारण दिशानिर्देश तथा अन्य अनुवर्ती शर्तों के अनुसार होगा।

(3) भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति को परिवर्तनीय नोट जारी करने वाली स्टार्टअप कंपनी को प्रतिफल की राशि बैंकिंग चैनलों के माध्यम से आवक विप्रेषण द्वारा अथवा विदेशी मुद्रा प्रबंधन (जमा) विनियमावली, 2016 के अनुसार खोले गए संबंधित व्यक्ति के एनआरई/ एफ़सीएनआर(बी)/ एस्क्रो खाते में नामे डालकर प्राप्त होगी। धन वापसी अथवा बिक्रीगत आय को भारत के बाहर विप्रेषित किया जाएगा अथवा विदेशी मुद्रा प्रबंधन (जमा) विनियमावली, 2016 के अनुसार खोले गए संबंधित व्यक्ति के एनआरई/ एफ़सीएनआर(बी)/ एस्क्रो खाते में जमा किया जाएगा।

(4) कोई एनआरआई अथवा ओसीआई इन विनियमों की अनुसूची 4 के अनुसार अप्रत्यावर्तनीय आधार पर परिवर्तनीय नोट अर्जित कर सकत है।

(5) भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति बिक्री के माध्यम से भारत के निवासी व्यक्ति अथवा भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति से या को परिवर्तनीय नोट अर्जित अथवा अंतरित कर सकता है बशर्ते उक्त अंतरण पूंजीगत लिखतों के लिए निर्धारित प्रवेश मार्ग अथवा मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

9. भारतीय कंपनियों का विलयन अथवा विलगाव अथवा समामेलन

1) जहां दो या उससे अधिक भारतीय कंपनियों के विलयन अथवा समामेलन की योजना अथवा किसी भारतीय कंपनी के विलगाव अथवा अन्यथा के माध्यम से पुनर्रचना के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT) द्वारा अनुमोदन दिया गया है , वहाँ अंतरिती कंपनी अथवा नई कंपनी जैसी स्थिति हो, निम्नलिखित शर्तों के अधीन अंतरणकर्ता कंपनी के भारत के बाहर के निवासी वर्तमान धारकों को पूंजीगत लिखत जारी कर सकते हैं:

(ए) अंतरण अथवा निर्गम, प्रवेश मार्ग, क्षेत्र विशेष के लिए निर्धारित निवेश सीमा (सैक्टोरल कैप्स) अथवा निवेश सीमाओं, जैसी स्थिति हो तथा नई कंपनी की अनुवर्ती शर्तों के अनुसार है,

बशर्ते यह कि जहां यह संभव है कि प्रतिशतता से क्षेत्र विशेष के लिए निर्धारित निवेश सीमा अथवा अनुवर्ती शर्तों का उल्लंघन होगा वहां अंतरण कर्ता कंपनी अथवा अंतरिती कंपनी अथवा नई कंपनी केंद्र सरकार से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करेगी।

(बी) अंतरण कर्ता कंपनी अथवा अंतरिती कंपनी अथवा नई कंपनी ऐसे किसी भी क्षेत्र में कार्य नहीं करेगी जिसमें भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति का निवेश करना प्रतिबंधित है; तथा

(2) जहां भारतीय कंपनी के लिए व्यवस्था की योजना के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण/ सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन दिया गया है वहाँ भारतीय कंपनी भारत के बाहर निवसी शेयरधारकों को बोनस के वितरण के रूप में अपने सामान्य प्रारक्षित निधियों में से अपरिवर्तनीय प्रतिदेय अधिमान शेयर अथवा अपरिवर्तनीय प्रतिदेय डिबैंचर्स जारी कर सकती है जो कि निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा अर्थात:

(ए) भारत के बाहर निवसी व्यक्ति द्वारा भारतीय कंपनी में किया गया मूल निवेश इन विनियमों तथा संबंधित अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार है;

(बी) उक्त निर्गम कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण/ सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित योजना में निर्धारित शर्तों, यदि हों, के अनुसार है;

(सी) भारतीय कंपनी ऐसे किसी कार्य/ क्षेत्र में काम नहीं करेगी जिसमें भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा निवेश प्रतिबंधित है।

10. भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा अथवा को किसी भारतीय कंपनी के पूंजीगत लिखतों का अंतरण

इन विनियमों के अनुसार भारतीय कंपनी के पूंजीगत लिखत अथवा यूनिट धारण करने वाला भारत के बाहर का निवासी व्यक्ति अथवा भारत का निवासी व्यक्ति इन विनियमों की संबंधित अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट शर्तों, यदि कोई हो, के अनुपालन में तथा यहाँ नीचे विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन उसके द्वारा धारित ऐसे पूंजीगत लिखतों अथवा यूनिटों को अंतरित कर सकता है।

(1) भारत के बाहर का निवासी व्यक्ति जो कि अनिवासी भारतीय अथवा भारत का समुद्रपारीय नागरिक अथवा पूर्ववर्ती समुद्रपारीय कॉर्पोरेट निकाय नहीं है, भारतीय कंपनी के उसके द्वारा धारित पूंजीगत लिखत अथवा यूनिट्स भारत के बाहर के निवासी किसी भी व्यक्ति को बिक्री अथवा उपहार के रूप में अंतरित कर सकता है।

स्पष्टीकरण : उसमें भारत के बाहर निगमित अथवा रैजिस्टर्ड एंटीटीज़/ कंपनियों के परिसमापन, विलयन, विलगाव तथा समामेलन के परिणामस्वरूप भारतीय कंपनी के पूंजीगत लिखतों का अंतरण भी शामिल होगा।

बशर्ते:

(i) यदि कंपनी किसी ऐसे क्षेत्र में कार्य कर रही है जिसके लिए सरकार का अनुमोदन आवश्यक है तो किसी भी प्रकार के अंतरण के लिए सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

(ii) जहां भारत के बाहर का निवासी व्यक्ति एफ़पीआई है तथा इन विनियमों की अनुसूची 2 के अंतर्गत किए गए पूंजीगत लिखतों के अधिग्रहण से यथा लागू समग्र एफ़पीआई सीमाओं अथवा क्षेत्र विशेष के लिए निधारित सीमाओं का उल्लंघन हुआ है, वहाँ एफ़पीआई ऐसे पूंजी लिखत रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार के साथ विचार-विमर्श कर निर्धारित किए गए समय के भीतर भारत के निवासी व्यक्ति को बेचेगा जो कि ऐसे लिखत धरण करने के लिए पात्र है । इस प्रकार के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप अधिग्रहण तथा बिक्री के बीच की अवधि के लिए उक्त समग्र तथा क्षेत्र विशेष के लिए निधारित सीमा के उल्लंघन को इन विनियमों के अंतर्गत उल्लंघन नहीं माना जाएगा बशर्ते निर्धारित समय-सीमा के भीतर बिक्री की गई है। इस संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देश लागू होंगे।

(2) प्रत्यावर्तनीय आधार पर भारतीय कंपनी के पूंजीगत लिखत अथवा यूनिट धारण करने वाले अनिवासी भारतीय (NRI) अथवा भारत के समुद्रपारीय नागरिक (OCI) उन्हें भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति को बिक्री अथवा उपहार के माध्यम से अंतरित कर सकते हैं।

बशर्ते यह कि

(i) यदि कंपनी किसी ऐसे क्षेत्र में कार्य कर रही है जिसके लिए सरकार का अनुमोदन आवश्यक है तो किसी भी प्रकार के अंतरण के लिए सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

(ii) जहां इन विनियमों की अनुसूची 3 के प्रावधानों के अंतर्गत अनिवासी भारतीय (NRI) अथवा भारत के समुद्रपारीय नागरिक (OCI) द्वारा किए गए पूंजीगत लिखतों के अधिग्रहण से यथा लागू समग्र एनआरआई/ ओसीआई सीमाओं अथवा क्षेत्र विशेष के लिए निधारित सीमाओं का उल्लंघन हुआ है, वहाँ एनआरआई/ ओसीआई ऐसे पूंजी लिखत रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार के साथ विचार-विमर्श कर निर्धारित किए गए समय के भीतर भारत के निवासी व्यक्ति को बेचेगा जो कि ऐसे लिखत धरण करने के लिए पात्र है । इस प्रकार के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप अधिग्रहण तथा बिक्री के बीच की अवधि के लिए उक्त समग्र तथा क्षेत्र विशेष के लिए निधारित सीमा के उल्लंघन को इन विनियमों के अंतर्गत उल्लंघन नहीं माना जाएगा बशर्ते निर्धारित समय-सीमा के भीतर बिक्री की गई है।

(3) इन विनियमों के अनुसार भारतीय कंपनी के पूंजीगत लिखत अथवा यूनिट धारण करने वाला भारत के बाहर का निवासी व्यक्ति उन्हें भारत के निवासी व्यक्ति को बिक्री अथवा उपहार के माध्यम से अंतरित कर सकता है अथवा उन्हें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा निर्धारित तरीके से भारत में मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्स्चेंज पर बेच सकता है।

बशर्ते यह कि

(i) बिक्री के माध्यम से किया गया अंतरण ऐसे अंतरणों के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों, प्रलेखीकरण तथा रिपोर्टिंग अपेक्षाओं के अनुसार तथा उनके अधीन किया गया है।

(ii) जहां भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा अप्रत्यावर्तनित आधार पर पूंजीगत लिखत धरण किए गए हैं वहां उपर्युक्त परंतुक (i) की शर्तें लागू नहीं होंगी।

(4) भारतीय कंपनी के पूंजीगत लिखत अथवा यूनिट्स धारण करनेवाला भारत का निवासी व्यक्ति अथवा इन विनियमों की अनुसूची 4 के अंतर्गत कोई एनआरआई, अथवा कोई ओसीआई अथवा पात्र निवेशक जिसने अप्रत्यावर्तनीय आधार पर भारतीय कंपनी के पूंजीगत लिखत अथवा यूनिट्स धारण किए हैं, वह उन्हें ऐसे अंतरणों के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए गए भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा निवेश के लिए यथालागू प्रवेश मार्ग, क्षेत्र विशेष के लिए निधारित सीमा/ निवेश सीमाएं, मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों तथा अन्य अनुवर्ती शर्तों तथा प्रलेखीकरन तथा रिपोर्टिंग अपेक्षाओं के अनुपालन के अधीन भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति को बिक्री के माध्यम से अंतरित कर सकते हैं।

बशर्ते ऐसा अंतरण इन विनियमों की अनुसूची 4 के अंतर्गत अप्रत्यावर्तनीय आधार पर ऐसा निवेश अर्जित करने वाले कोई एनआरआई, अथवा कोई ओसीआई अथवा पात्र निवेशक को किया गया हो तो प्रवेश मार्ग, क्षेत्र विशेष के लिए निधारित सीमा/ निवेश सीमाएं, मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों तथा अन्य अनुवर्ती शर्तें लागू नहीं होंगी।

(5) भारतीय कंपनी के पूंजीगत लिखत अथवा यूनिट्स धारण करनेवाला भारत का निवासी व्यक्ति अथवा इन विनियमों की अनुसूची 4 के अंतर्गत कोई एनआरआई, अथवा कोई ओसीआई अथवा पात्र निवेशक जिसने अप्रत्यावर्तनीय आधार पर भारतीय कंपनी के पूंजीगत लिखत अथवा यूनिट्स धारण किए हैं, निर्धारित तरीके में रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमोदन से तथा निम्नलिखित शर्तों के अधीन उन्हें भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति को उपहार के रूप में अंतरित कर सकता है।

(ए) दानग्राही (donee) इन विनियमों के संबंधित अनुसूचियों के अंतर्गत ऐसी प्रतिभूति धारण करने के लिए पात्र हैं।

(बी) उपहार भारतीय कंपनी की प्रदत्त पूंजी/ डिबैंचरों की प्रत्येक शृंखला/ प्रत्येक म्यूचुअल फंड योजना के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं है;

स्पष्टीकरण: यह 5 प्रतिशत एकल व्यक्ति द्वारा दूसरे एकल व्यक्ति को संचयी आधार पर होगा।

(सी) भारतीय कंपनी पर लागू होने वाली क्षेत्र विशेष के लिए निधारित सीमा का उल्लंघन नहीं किया गया है;

(डी) दानी तथा दानग्राही कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (77) में दिए गए अर्थ के भीतर "रिश्तेदार " होंगे;

(ई) वित्तीय वर्ष के दौरान भारत के बाहर निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति को उपहार के रूप में अंतरित की गए कोई भी प्रतिभूति सहित दानी द्वारा अंतरित की जानेवाली प्रतिभूति का मूल्य भारतीय रुपए में 50000 अमरीकी डालर से अधिक नहीं होना चाहिए;

(एफ़) रिज़र्व बैंक द्वारा जनहित में आवश्यक समझी गई कोई अन्य शर्त;

(6) इन विनियमों की अनुसूची 4 के अंतर्गत कोई एनआरआई, अथवा कोई ओसीआई अथवा पात्र निवेशक जिसने अप्रत्यावर्तनीय आधार पर भारतीय कंपनी के पूंजीगत लिखत अथवा यूनिट्स धारण किए हैं, उन्हें इन विनियमों की अनुसूची 4 के अंतर्गत कोई एनआरआई, अथवा कोई ओसीआई अथवा पात्र निवेशक को उपहार के रूप में अंतरित कर सकता है और वे उन्हें अप्रत्यावर्तनीय आधार पर धारित करेंगे।

(7) इन विनियमों के अनुसार भारतीय कंपनी के पूंजीगत लिखत जिनमें वैकल्पिकता खंड निहित है को धारण तथा उक्त विकल्प/ अधिकार को निष्पादित करनेवाला भारत के बाहर का निवासी व्यक्ति किसी आश्वासित प्रतिलाभ के बिना निकास कर सकता है और ऐसा करना इन विनियमों में निर्धारित मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों तथा एक वर्ष की न्यूनतम लॉक-इन अवधि अथवा इन विनियमों में निर्धारित की गई न्यूनतम लॉक-इन अवधि, इनमें से जो भी उच्चतर हो के अधीन होगा;

(8) कोई पूर्ववर्ती समुद्रपारीय कॉर्पोरेट निकाय इस संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निदेशों के अधीन पूंजीगत लिखत अंतरित कर सकता है।

स्पष्टीकरण: “समुद्रपारीय कॉर्पोरेट निकाय (ओसीबी)” का अर्थ है विदेशी मुद्रा प्रबंध (समुद्रपारीय कॉर्पोरेट निकाय(ओसीबी) को दी गई सामान्य अनुमति को रद्द करना) विनियमावली, 2003 के माध्यम से अमान्यकृत की गई एंटीटी;

(9) भारत में निवास करने वाले व्यक्ति तथा भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति के बीच पूंजीगत लिखतों के अंतरण के मामले में ऐसी राशि जो कुल प्रतिफल के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं है का

(ए) अंतरण करार की तारीख से अठारह महीने से अनधिक अवधि के भीतर खरीदार द्वारा आस्थगित आधार पर भुगतान किया जाएगा;

(बी) खरीदार तथा बिक्रेता के बीच एस्क्रो व्यवस्था के माध्यम से अंतरण करार की तारीख से अठारह महीने से अनधिक अवधि के भीतर निपटान किया जाएगा;

(सी) यदि खरीदार द्वारा बिक्रेता को पूर्ण प्रतिफल का भुगतान किया गया है, तो बिक्रेता द्वारा प्रतिफल के पूर्ण भुगतान की तारीख से अठारह महीने से अनअधिक अवधि के लिए क्षतिपूरित रखा जा सकता है ।

बशर्ते शेयरों के लिए अंतिम रूप से दिया गया कुल प्रतिफल मूल्य निर्धारण से संबंधित यथालागू दिशानिर्देशों के अनुसार है।

(10) भारत में निवास करने वाले व्यक्ति तथा भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति के बीच पूंजीगत लिखतों के अंतरण के मामले में भारत के बाहर निवास करने वाला व्यक्ति विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 के अनुसार एस्क्रो खाता खोल सकता है । ऐसे एस्क्रो खाते का निधियन विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमावली, 2000 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन बैंकिंग चैनलों के माध्यम से आवक विप्रेषण से तथा/ अथवा प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा जारी की गई गारंटी के माध्यम से किया जा सकता है।

(11) इन विनियमों में निर्धारित मूल्य निर्धारण दिशानिर्देश भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की विनियामावाली के अनुसार की गई बिक्री के माध्यम से किए गए अंतरण जहां मूल्यन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया है, पर लागू नहीं होंगे।

(12) प्लेज के माध्यम से भारतीय कंपनी के पूंजीगत लिखतों अथवा निवेश माध्यम के यूनिटों का अंतरण निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:

(ए) कोई व्यक्ति जो कि भारत में पंजीकृत कंपनी (उधारकर्ता कंपनी), जिसने विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना तथा उधार देना) विनियमावली, 2000 के अनुसार बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) जुटाया है, का प्रवर्तक है उधारकर्ता कंपनी द्वारा जुटाये गए बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) की जमानत के प्रयोजन से निम्नलिखित शर्तों के अधीन उधारकरता कंपनी अथवा उसकी सहायक निवासी कंपनियों के शेयर प्लेज कर सकते हैं।

(i) ऐसे प्लेज की अवधि अंतर्निहित बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) की परिपक्वता के साथ समाप्त (को-टर्मिनस) होगी।

(ii) प्लेज को लागू किए जाने के मामले में अंतरण इन विनियमों के तथा रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुसार होगा;

(iii) सांविधिक लेखाकार ने यह प्रमाणित किया है कि उधारकर्ता कंपनी बाह्य वाणिज्यिक उधार से प्राप्त राशि का उपयोग अनुमत अंतिम उपयोग के लिए करेगी/किया है।

(iv) जब तक की किसी प्राधिकृत व्यापारी बैंक से इस आशय का अनापत्ति पत्र प्राप्त न किया गया हो कि उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन किया गया है तब तक कोई व्यक्ति ऐसा कोई शेयर प्लेज नहीं करेगा।

(बी) भारत के बाहर निवास करने वाला कोई भी व्यक्ति जिसने भारतीय कंपनी में पूंजीगत लिखत अथवा निवेश माध्यम की यूनिटों को धारण किया है ,पूंजीगत लिखत अथवा यूनिट जैसी स्थिति हो, प्लेज कर सकता है:

(i) वास्तविक प्रयोजनों के लिए ऐसी भारतीय कंपनी को प्रदान की जाने वाली ऋण सुविधाओं की जमानत के लिए भारत में स्थित किसी बैंक के पक्ष में ;

(ii) ऐसे व्यक्ति अथवा भारत के बाहर निवास करनेवाला कोई व्यक्ति जो कि ऐसी भारतीय कंपनी का प्रवर्तक है अथवा ऐसी भारतीय कंपनी की समुद्रपारीय समूह कंपनी को प्रदान की जानेवाली ऋण सुविधाओं की जमानत के रूप में किसी समुद्रपारीय बैंक के पक्ष में;

(iii) वास्तविक प्रयोजनों के लिए ऐसी भारतीय कंपनी को प्रदान की जाने वाली ऋण सुविधाओं की जमानत के लिए रिज़र्व बैंक के साथ रैजिस्टर्ड किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के पक्ष में;

(iv) प्राधिकृत व्यापारी बैंक इस बात से संतुष्ट होने के अधीन की इस संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन किया गया है;

(सी) प्लेज लागू किए जाने के मामले में, प्लेज के सृजन के समय प्रवेश मार्ग, क्षेत्र विशेष के लिए निधारित सीमा/ निवेश सीमाएं, मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों तथा अन्य अनुवर्ती शर्तों के अनसार भारतीय कंपनी के पूंजीगत लिखतों अथवा यूनिटों का अंतरण किया जाएगा।

11. मूल्य निर्धारण दिशानिर्देश

जब तक कि इन विनियमों अथवा संबंधित अनुसूची में अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया है, भारतीय कंपनी के पूंजीगत लिखतों की कीमत :

(1) ऐसी कंपनी द्वारा भारत के बाहर निवास करनेवाले व्यक्ति को जारी किए गए पूंजी लिखत की कीमत निम्नलिखित से कम नहीं होगी :

(ए) सूचीबद्ध भारतीय कंपनी के मामले में अथवा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटि शेयरों की असूचीबद्धता) विनियमावली, 2009 के अनुसार असूचीबद्धता की प्रक्रियाधीन कंपनी के मामले में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार अभिकलित कीमत;

(बी) किसी सूचीबद्ध न की गई भारतीय कंपनी के मामले में आर्म्स लेंथ आधार पर किए गए मूल्यांकन के लिए किसी भी अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मूल्य निर्धारण पद्धति के अनुसार पूंजीगत लिखतों का मूल्यांकन जिसे सनदी लेखाकार, अथवा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में रैजिस्टर्ड मर्चंट बैंकर अथवा व्यावसायिक कॉस्ट अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया है।

स्पष्टीकरण: परिवर्तनीय पूंजीगत लिखतों के मामले में लिखत का कीमत निर्धारण/ परिवर्तन का फॉर्मूला लिखत के निर्गम के समय पहले ही निर्धारित किया जाना चाहिए। परिवर्तन के समय की कीमत किसी भी मामले में इन विनियमों के अनुसार ऐसे लिखत जारी करते समय अभिकलित उचित मूल्य से कम नहीं होनी चाहिए।

(2) भारत में निवास करने वाले व्यक्ति से भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति को अंतरित किए गए पूंजी लिखत की कीमत निम्नलिखित से कम नहीं होगी

(ए) सूचीबद्ध भारतीय कंपनी के मामले में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार अभिकलित कीमत;

(बी) ऐसी कीमत जिसपर सूचीबद्ध भारतीय कंपनी के मामले में अथवा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटि शेयरों की असूचीबद्धता) विनियमावली, 2009 के अनुसार असूचीबद्धता की प्रक्रियाधीन कंपनी के मामले में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के यथालागू दिशानिर्देशों के अंतर्गत शेयरों का अधिमानी आबंटन किया जा सकता है।

(सी) किसी सूचीबद्ध न की गई भारतीय कंपनी के मामले में आर्म्स लेंथ आधार पर किए गए मूल्यांकन के लिए किसी भी अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मूल्य निर्धारण पद्धति के अनुसार पूंजीगत लिखतों का मूल्यांकन जिसे सनदी लेखाकार, अथवा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में रैजिस्टर्ड मर्चंट बैंकर अथवा व्यावसायिक कॉस्ट अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया है।

(3) भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा भारत में निवास करने वाले व्यक्ति को अंतरित किए गए पूंजी लिखत की कीमत निम्नलिखित से अधिक नहीं होगी

(ए) सूचीबद्ध भारतीय कंपनी के मामले में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार अभिकलित कीमत;

(बी) ऐसी कीमत जिसपर सूचीबद्ध भारतीय कंपनी के मामले में अथवा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटि शेयरों की असूचीबद्धता) विनियमावली, 2009 के अनुसार असूचीबद्धता की प्रक्रियाधीन कंपनी के मामले में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के यथालागू दिशानिर्देशों के अंतर्गत शेयरों का अधिमानी आबंटन किया जा सकता है।
बशर्ते कीमत का निर्धारण भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के संबंधित तारीख जो कि शेयरों की खरीद अथवा बिक्री की तारीख होगी, के पहले के दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए किया गया है ।

(सी) किसी सूचीबद्ध न की गई भारतीय कंपनी के मामले में आर्म्स लेंथ आधार पर किए गए मूल्यांकन के लिए किसी भी अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मूल्य निर्धारण पद्धति के अनुसार पूंजीगत लिखतों का मूल्यांकन जिसे सनदी लेखाकार, अथवा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में रैजिस्टर्ड मर्चंट बैंकर अथवा व्यावसायिक कॉस्ट अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया है।
स्पष्टीकरण: मार्गदर्शी सिद्धान्त यह होगा कि भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति को ऐसा निवेश/ करार करते समय कोई आश्वसित निकास मूल्य की गारंटी नहीं है और वह निकास के समय प्रचलित मूल्य पर निकास करेगा।

(4) पूंजीगत लिखतों के स्वैप के मामले में इस शर्त के अधीन कि राशि पर ध्यान दिए बिना, स्वैप व्यवस्था में सम्मिलित मूल्यांकन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में रैजिस्टर्ड मर्चंट बैंकर अथवा मेजबान देश के किसी उचित विनियामक प्राधिकरण के पास रजिस्टर किए गए कोई भारत के बाहर के निवेश बैंकर द्वारा किया गया हो;

(5)जहां कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार संस्था के बहिर्नियम में अंशदान के माध्यम से किसी भारतीय कंपनी के शेयर भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति को जारी किए जाते हैं, वहाँ प्रवेश मार्ग तथा क्षेत्र विशेष के लिए निधारित सीमा के अधीन ऐसे निवेश अंकित मूल्य पर किए जाएंगे।

(6) शेयर वॉरंट के मामले में उनका मूल्य निर्धारण तथा कीमत / परिवर्तन फॉर्मूला पहले ही निश्चित किया जाएगा।

बशर्ते मूल्य निर्धारण दिशा निर्देश भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा अप्रत्यावर्तनीय आधार पर पूंजी लिखतों में किए जाने वाले निवेश पर लागू नहीं होंगे।

12. कर तथा बिक्रीगत आय का विप्रेषण

12.1 कर

इन विनियमों के अंतर्गत किए गए सभी लेन-देन भारत में बैंकिंग चैनल के माध्यम से किए जाएंगे तथा भारत में यथालागू कर तथा अन्य शुल्क/ लेवी के भुगतान के अधीन होंगे।

12.2 बिक्रीगत आय का विप्रेषण

(1) इन विनियमों तथा संबंधित अनुसूची में निर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन किए बिना भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा धारित प्रतिभूति की बिक्रीगत आय का विप्रेषण नहीं किया जा सकता है;

(2) कोई प्राधिकृत व्यापारी भारत के बाहर निवास करने वाले विक्रेता को किसी प्रतिभूति की बिक्रीगत आय (यथालागू करों को घटाकर) का विप्रेषण करने की अनुमति दे सकता है;

बशर्ते`-

(i) प्रतिभूति बिक्रेता द्वारा प्रत्यावर्तनीय आधार पर धारित की गई थी तथा
(ii) या तो प्रतिभूति मूल्यनिर्धारण दिशानिर्देशों के अनुपालन में बेची गई है अथवा अन्य मामलों में प्रतिभूति की बिक्री तथा उसकी बिक्रीगत आय के विप्रेषण के लिए रिज़र्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त किया गया है;

13. रिपोर्टिंग अपेक्षाएँ

13.1 भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा भारत में किए जाने वाले किसी भी निवेश के लिए रिपोर्टिंग अपेक्षाएँ निम्नानुसार हैं:

(1) [2]omitted

(2) **फॉर्म फ़ॉरेन करेंसी- ग्रोस(gross) प्रोविशनल रिटर्न(एफ़सी-जीपीआर):** कोई भारतीय कंपनी जिसने भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति को पूंजीगत लिखत जारी किए हैं और जहां इन विनियमों के प्रयोजन से ऐसे निर्गम को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मान लिया गया है, पूंजी लिखत जारी करने की तिथि से 30 दिन की अवधि के भीतर कंपनी का रजिस्टर किया गया कार्यालय रिज़र्व बैंक के जिस संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में कार्य करता है ,उसे ऐसे निर्गम का फॉर्म एफ़सी-जीपीआर में रिपोर्ट करेगी। तेल क्षेत्र संबंधी 'पार्टीसिपेटिंग इंटरेस्ट/राइट' जारी करने को फॉर्म एफ़सीजीपीआर (FC-GPR) के तहत रिपोर्ट किया जाएगा।

(3) विदेशी देयताओं तथा आस्तियों पर वार्षिक विवरणी (एफ़एलए): कोई भारतीय कंपनी जिसने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किए हैं अथवा एलएलपी जिसने वर्तमान वर्ष सहित पिछले वर्ष(वर्षों) में पूंजीगत अंशदान के रूप में निवेश प्राप्त किया है , को प्रत्येक वर्ष जुलाई की 15 तारीख को अथवा उससे पूर्व रिजर्व बैंक को फॉर्म एफ़एलए प्रस्तुत करना चाहिए।

स्पष्टीकरण: इस प्रयोजन से अप्रैल से मार्च की अवधि को आधार वर्ष मन लिया जाएगा।

(4) फॉर्म फ़ॉरेन करेंसी - शेयरों का अंतरण (एफ़सी-टीआरएस):

(ए) फॉर्म एफ़सीटीआरएस इन विनियमों के अनुसार निम्नलिखित के बीच पूंजीगत लिखतों के अंतरण के लिए फ़ाइल किया जाएगा:

(1) भारत के बाहर निवास करने वाला व्यक्ति जिसने प्रत्यावर्तनीय आधार पर किसी भारतीय कंपनी में पूंजीगत लिखत धारण किए हैं तथा भारत के बाहर निवास करने वाला व्यक्ति जिसने अप्रत्यावर्तनीय आधार पर पूंजीगत लिखत धारण किए हैं; तथा

(2) भारत के बाहर निवास करने वाला व्यक्ति जिसने प्रत्यावर्तनीय आधार पर किसी भारतीय कंपनी में पूंजीगत लिखत धारण किए हैं तथा भारत में निवास करने वाला व्यक्ति,

रिपोर्टिंग का दायित्व निवासी अंतरणकर्ता/ अंतरिती अथवा अप्रत्यावर्तनीय आधार पर पूंजीगत लिखत धारण करने वाले भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति, जैसी स्थिति हो, का होगा।

टिप्पणी: इन विनियमों के अनुसार अप्रत्यावर्तनीय आधार पर पूंजीगत लिखत धारण करने वाले भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति तथा भारत के निवासी व्यक्ति के बीच बिक्री के रूप में पूंजीगत लिखतों के अंतरण की एफ़सी-टीआरएस फॉर्म में रिपोर्टिंग आवश्यक नहीं है।

(बी) भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्स्चेंज पर किए गए पूंजीगत लिखतों के अंतरण की ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राधिकृत व्यापारी बैंक को फॉर्म एफ़सी-टीआरएस में रिपोर्ट की जाएगी।

---

[2] Omitted with effect from 01.09.18 by Amendment Notification FEMA 20(R)(3)/2018 dated August 30, 2018 notified vide G,S.R.No.823 (E) dated August 30, 2018. Prior to deletion, it read as **अग्रिम विप्रेषण फॉर्म(एआरएफ़):** कोई भारतीय कंपनी जिसने पूंजीगत लिखतों के निर्गम के लिए प्रतिफल की राशि प्राप्त की है तथा जहां इन विनियमों के प्रयोजन से ऐसे निर्गम को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मान लिया गया है, ऐसी प्राप्ति (प्रत्येक प्रारम्भिक / कॉल भुगतान सहित) का प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को एआरएफ़ में रिपोर्ट करेगी।

(सी) विनियम 10(9) में निर्धारित पूंजीगत लिखतों के अंतरण की, भुगतान के प्रत्येक भाग की प्राप्ति पर प्राधिकृत व्यापारी को फॉर्म एफ़सी_टीआरएस में रिपोर्ट की जाएगी। रिपोर्टिंग का दायित्व निवासी अंतरणकर्ता/ अंतरिती पर होगा।

पुंजीगत लिखतों के अंतरण अथवा निधियों की प्राप्ति/ विप्रेषण से साठ दिन, जो भी पहले हो, के भीतर प्राधिकृत व्यापारी बैंक में फॉर्म एफ़सी-टीआरएस फाइल किया जाएगा।

(डी) तेल क्षेत्र संबंधी 'पार्टीसिपेटिंग इंटरेस्ट/राइट' अंतरित (ट्रान्सफर) करने को फॉर्म एफ़सी-टीआरएस (FC-TRS) के तहत रिपोर्ट किया जाएगा।

(5) फॉर्म एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन (ईएसओपी): भारतीय कंपनी जिसने भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों जो उसके कर्मचारी / निदेशक है अथवा उसकी होल्डिंग कंपनी/ संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्व वाली समुद्रपारीय सहायक कंपनी/ सहायक कंपनियों के कर्मचारियों/ निदेशकों को एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन जारी किए हैं, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन जारी करने की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर कंपनी का रजिस्टर किया गया कार्यालय रिज़र्व बैंक के जिस संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में कार्य करता है ,उसे फॉर्म ईएसपीओ प्रस्तुत करेगी।

(6) **फॉर्म निक्षेपागार रसीद विवरणी (डीआरआर):** निक्षेपागार प्राप्ति योजना, 2014 के अनुसार जारी की गई निक्षेपागार रसीदों के निर्गम/ अंतरण की रिपोर्ट घरेलू अभिरक्षक निर्गम की समाप्ति की 30 दिन की अवधि के भीतर रिज़र्व बैंक को फॉर्म डीआरआर में करेगा।

(7) फॉर्म सीमित देयता भागीदारी(I) : कोई सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) जिसे पूंजीगत अंशदान तथा लाभ शेयरों के अधिग्रहण के प्रतिफल की राशि प्राप्त हुई है, वह प्रतिफल की राशि प्राप्त करने की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) का रजिस्टर किया गया कार्यालय रिज़र्व बैंक के जिस संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में कार्य करता है ,उसे फॉर्म एलएलपी(I) प्रस्तुत करेगी।

(8) फॉर्म सीमित देयता भागीदारी(II): किसी निवासी तथा अनिवासी (अथवा इसके विपरीत) के बीच पूंजीगत अंशदान अथवा लाभ शेयर के विनिवेश/ अंतरण का प्राधिकृत व्यापारी बैंक को निधियों की प्राप्ति की तारीख से 60 दिन की अवधि के भीतर फॉर्म एलएलपी(II) में रिपोर्ट किया जाएगा।

(9) एलईसी(एफ़आईआई): प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक, भारत में स्टॉक एक्स्चेंज पर एफ़पीआई द्वारा की गई पूंजीगत लिखितों की खरीद/ अंतरण का भारतीय रिज़र्व बैंक को फॉर्म एलईसी(एफ़आईआई) में रिपोर्ट करेगा।

(10) एलईसी(एनआरआई): प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक, भारत में स्टॉक एक्स्चेंज पर अनिवासी भारतियों अथवा भारत के समुद्रपारीय नागरिकों द्वारा की गई पूंजीगत लिखतों की खरीद/ अंतरण का भारतीय रिज़र्व बैंक को फॉर्म एलईसी(एनआरआई) में रिपोर्ट करेगा।

(11) [3] डाउनस्ट्रीम निवेश

)i) कोई भारतीय एंटीटी अथवा **निवेश** माध्यम, जिसने किसी अन्य भारतीय एंटीटी में डाउनस्ट्रीम निवेश किया है, और जिसे इस विनियमावली के तहत निवेश प्राप्तकर्ता भारतीय एंटीटी हेतु अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश माना जाता है, ऐसे निवेश करने के दिन के भीतर औद्योगिक सहायता सचिवालय 30, डीआईपीपी को अधिसूचित करेगी तथा ऐसा नएविस्तार कार्यक्रम) विद्यमान उद्यमों में निवेश के प्रकारों / सहित अथवा उसके बिनासहित पूंजीगत (लिखतों का आबंटन नहीं करने के बावजूद भी किया जाएगा।

---

[3] Substituted with effect from 01.09.18 by Amendment Notification FEMA 20(R)(3)/2018 dated August 30, 2018 notified vide G,S.R.No.823 (E) dated August 30, 2018. Prior to substitution, it read as, "डाउन स्ट्रीम निवेश : कोई भारतीय कंपनी जिसने किसी अन्य भारतीय कंपनी में डाउन स्ट्रीम निवेश किया है और जिसे इन विनियमों के अनुसार निवेश प्राप्तकर्ता कंपनी के लिए अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश माना गया है , ऐसे निवेश से 30 दिन के भीतर तथा नए/ विद्यमान उद्यमों (विस्तार कार्यक्रमों सहित) में निवेश के तौर-तरीकों के साथ पूंजीगत लिखतों का आबंटन न किए जाने पर भी औद्योगिक सहायता सचिवालय , डीआईपीपी को अधिसूचित करेगी तथा फॉर्म डीआई फ़ाइल करेगी ।"

)ii).**आई.फ़ॉर्म डी“** भारतीय एंटीटी अथवा किसी निवेश माध्यम (वेहिकल), जिसने किसी अन्य भारतीय एंटीटी में डाउनस्ट्रीम निवेश किया है, और जिसे इस विनियमावली के विनियमके तहत निवेश प्राप्तकर्ता भारतीय 14- एंटीटी हेतु अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश माना जाता है, को इस प्रकार की पूंजीगत लिखतों के आबंटन की तारीख से 30 दिनों के भीतररिज़र्व बैंक के पास फ़ॉर्म डी.आई. फ़ाइल करना होगा।

(12) फॉर्म परिवर्तनीय नोट(सीएन):

(ए) भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति को परिवर्तनीय नोट जारी करने वाली भारतीय स्टार्ट-अप कंपनी ऐसी आवक राशि की रिपोर्ट ऐसे निर्गम से 30 दिन कि अवधि के भीतर फॉर्म सीएन में प्राधिकृत व्यापारी बैंक को करेगी।

(बी) भारत में निवासी व्यक्ति, जो कि भारतीय स्टार्ट-अप कंपनी द्वारा जारी परिवर्तनीय नोट का अंतरणकर्ता अथवा अंतरिति है , भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति को अथवा से ऐसे अंतरणों, जैसी स्थिति हो,की रिपोर्ट 30 दिन कि अवधि के भीतर फॉर्म सीएन में प्राधिकृत व्यापारी बैंक को करेगी।

(सी) प्राधिकृत व्यापारी बैंक रिज़र्व बैंक को समेकित विवरण प्रस्तुत करेगा।

बशर्ते ऐसे रिपोर्टिंग का फ़ारमैट, आवधिकता तथा प्रस्तुति का तरीका इस संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार की होगा।

बशर्ते यह भी कि जब तक इन नियमों में विशिष्ट रूप से अन्यथाऐसा कहा नहीं गया हो सभी प्रकार की रिपोर्टिंग किसी प्राधिकृत व्यापारी बैंक के माध्यम से अथवा द्वारा, जैसी स्थिति हो, की जाएगी।

(13)[4] **“फ़ॉर्म इनवी)InVi) :** कोई निवेश माध्यमों वेहिक)ल (जिसने भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति को अपने यूनिट जारी किए हैं, वे ऐसे यूनिटों के निर्गम की तिथि के दिनों के भीतर 30 रिज़र्व बैंक के पास फ़ॉर्म इनवी)InVi) फ़ाइल करेंगे।”

13.2 रिपोर्टिंग में विलंब

रिपोर्टिंग करने में विलंब होने पर उपर्युक्त विनियम 13.1 में दिए गए रिपोर्टों को फ़ाइल करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति/ एंटीटी पर रिज़र्व बैंक द्वारा केंद्र सरकार के साथ विचारविमर्श करके तय किए गए विलंब से प्रस्तुति के लिए लगाए गए शुल्क का भुगतान करने का दायित्व होगा।

14. डाउनस्ट्रीम निवेश

(1) इस विनियम के प्रयोजन से:

(ए) “भारतीय कंपनी का स्वामित्व” का अर्थ होगा ऐसी कंपनी के पूंजीगत लिखतों के 50 प्रतिशत से अधिक की लाभकारी धारिता। “एलएलपी का स्वामित्व” का अर्थ होगा उसकी पूंजी में 50 प्रतिशत से अधिक का अंशदान तथा लाभ में बहुलांश हिस्सा।

(बी) “निवासी भारतीय नागरिकों के स्वामित्व वाली कंपनी” का अर्थ होगा ऐसी भारतीय कंपनी जिसका स्वामित्व निवासी भारतीय नागरिकों तथा/ अथवा ऐसी भारतीय कंपनियों के पास है, जिनका अंतिम स्वामित्व तथा नियंत्रण भारतीय निवासी नागरिकों के पास है। “निवासी भारतीय नागरिकों के स्वामित्व वाली एलएलपी” का अर्थ होगा ऐसी एलएलपी

---

[4] Inserted with effect from 01.09.18 by Amendment Notification FEMA 20(R)(3)/2018 dated August 30, 2018 notified vide G,S.R.No.823 (E) dated August 30, 2018.

जिसका स्वामित्व निवासी भारतीय नागरिकों तथा/ अथवा ऐसी भारतीय कंपनियों के पास है, जिनका अंतिम स्वामित्व तथा नियंत्रण भारतीय निवासी नागरिकों के पास है।

(सी)) " भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति के स्वामित्व वाली कंपनी" का अर्थ होगा ऐसी भारतीय कंपनी जिसका स्वामित्व भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्तियों के पास है। " भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति के स्वामित्व वाली एलएलपी" का अर्थ होगा ऐसी एलएलपी जिसका स्वामित्व भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्तियों के पास है।

(डी) "नियंत्रण " का अर्थ होगा उनकी शेयरधारिता अथवा प्रबंधन अधिकार अथवा शेयरधारक करार अथवा वोटिंग करार के कारण निदेशकों की बहुसंख्या को नियुक्त करने तथा प्रबंधन अथवा नीतिगत निर्णयों को नियंत्रित करने के अधिकार। एलएलपी के प्रयोजन से "नियंत्रण " का अर्थ होगा नामित साझेदारों की बहुसंख्या को नियुक्त करने के अधिकार , जहां ऐसे नामित साझेदारों के पास, अन्यों को विशेष रूप से अपवर्जित करते हुए, एलएलपी की सभी नीतियों का नियंत्रण है।

(ई) "निवासी भारतीय नागरिकों के नियंत्रण वाली कंपनी" का अर्थ होगा ऐसी भारतीय कंपनी जिसका नियंत्रण निवासी भारतीय नागरिकों तथा/ अथवा ऐसी भारतीय कंपनियों के पास है, जिनका अंतिम स्वामित्व तथा नियंत्रण भारतीय निवासी नागरिकों के पास है। "निवासी भारतीय नागरिकों के नियंत्रण वाली एलएलपी" का अर्थ होगा ऐसी एलएलपी जिसका स्वामित्व निवासी भारतीय नागरिकों तथा/ अथवा ऐसी भारतीय कंपनियों के पास है, जिनका अंतिम स्वामित्व तथा नियंत्रण भारतीय निवासी नागरिकों के पास है।

(एफ) " भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति के नियंत्रण वाली कंपनी" का अर्थ होगा ऐसी भारतीय कंपनी जिसका स्वामित्व भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्तियों के पास है। " भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति के नियंत्रण वाली एलएलपी" का अर्थ होगा ऐसी एलएलपी जिसका नियंत्रण भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्तियों के पास है।

(जी) "डाउन स्ट्रीम निवेश " का अर्थ होगा किसी भारतीय एंटीटी अथवा निवश माध्यम द्वारा किसी अन्य भारतीय एंटीटी के पूंजी लिखतों अथवा पूंजी, जैसी स्थिति हो, में किया गया निवेश।

(एच) "धारक/ नियंत्रक कंपनी" का अर्थ वही होगा जो कि उसे कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत दिया गया है।

(आई) "अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश" का अर्थ है किसी भारतीय एंटीटी द्वारा निम्नलिखित से प्राप्त डाउन स्ट्रीम निवेश

(i) अन्य भारतीय एंटीटी (आईई) जिसने विदेशी निवेश प्राप्त किया है और(i) निवासी भारतीय नागरिकों के पास उक्त आईई का स्वामित्व तथा नियंत्रण नहीं है अथवा (ii) उसका स्वामित्व तथा नियंत्रण भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्तियों के पास है;

अथवा

(ii) अथवा किसी निवेश माध्यम जिसका प्रयोजक अथवा प्रबंधक अथवा निवेश प्रबंधक का (i) निवासी भारतीय नागरिकों के पास स्वामित्व तथा नियंत्रण नहीं है अथवा (ii) उसका स्वामित्व तथा नियंत्रण भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्तियों के पास है;

बशर्ते किसी भारतीय एंटीटी को छोड़कर भारत नें निवास करने वाला कोई अन्य व्यक्ति अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त नहीं कर सकता है।

(जे) "कुल विदेशी निवेश " का अर्थ विदेशी निवेश तथा अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश का जोड़ है तथा उसे पूर्णतः डाइल्यूटेड आधार पर गिना जाएगा।

(के) "कार्यनीतिक डाउन स्ट्रीम निवेश" का अर्थ है भारत में निगमित बैंकिंग कंपनियों द्वारा अपनी अनुषंगी कंपनियों, संयुक्त उद्यमों तथा सहयोगी संस्थाओं में किया गया निवेश।

(2) अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करनेवाली भारतीय एंटीटी, विदेशी निवेश के लिए यथालागू प्रवेश मार्ग, क्षेत्र विशेष के लिए निधारित सीमा/ निवेश सीमाएं, मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों तथा अन्य अनुवर्ती शर्तों का अनुपालन करेगी।

स्पष्टीकरण : ऐसी एलएलपी जिसका स्वामित्व तथा नियंत्रण निवासी भारतीय नागरिकों के पास नहीं है अथवा जिसका स्वामित्व तथा नियंत्रण भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों के पास है, द्वारा ऐसी भारतीय कंपनी में डाउनस्ट्रीम निवेश की अनुमति है जो कि उन क्षेत्रों में कार्य कर रही है जहां स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक का विदेशी निवेश अनुमत है और कोई एफ़डीआई सम्बद्ध निष्पादन की शर्तें नहीं है।

(3) दिनांक 31 जुलाई 2012 से बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खंड (सी) में परिभाषित किए गए अनुसार भारत में निगमित बैंकिंग कंपनी जिसका स्वामित्व तथा नियंत्रण निवासी भारतीय नागरिकों के पास नहीं है अथवा जिसका स्वामित्व तथा नियंत्रण भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों के पास है द्वारा कंपनी कर्ज पुनर्रचना(सीडीआर) अथवा अन्य ऋण पुनर्रचना तंत्र के अंतर्गत अथवा खरीद-बिक्री बही में अथवा ऋण में चूक के कारण शेयरों के अधिग्रहण के लिए किया गया/ किए गए डाउनस्ट्रीम निवेश को अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में गिना नहीं जाएगा। तथापि उनके कार्यनीतिक डाउनस्ट्रीम निवेश को जिस कंपनी में ऐसा निवेश किया जा रहा है उस कंपनी के अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रति गिना जाएगा।

(4) भारतीय कंपनियों में कुल विदेशी निवेश की गणना के लिए दिशानिर्देश:

(ए) भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा किसी व्यवस्था के अंतर्गत किसी कर्ज लिखत के परिवर्तन की परिणामी इक्विटि धारिता को कुल विदेशी निवेश के लिए गिना जाएगा।

(बी) एफ़सीसीबी तथा डीआर जिनके पास कर्ज के रूप में अंतर्निहित लिखत हैं, को कुल विदेशी निवेश के लिए गिना नहीं जाएगा।

(सी) कुल विदेशी निवेश की गणना की पद्धति भारतीय कंपनियों में निवेश के प्रत्येक स्तर पर लागू होगी, तथा इसलिए हर एक भारतीय कंपनी में लागू होगी।

(डी) डाउनस्ट्रीम निवेश के प्रयोजन से, डाउनस्ट्रीम निवेश करने वाली भारतीय कंपनी में पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार धारित संविभाग निवेश को उसकी कुल विदेशी निवेश की गणना के लिए विचार में लिया जाएगा।

(ई) भारतीय कंपनी के पूर्ण स्वामित्व वाली संस्था द्वारा प्राप्त अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश को डाउनस्ट्रीम निवेश करने वाली कंपनी द्वारा प्राप्त कुल विदेशी निवेश तक सीमित रखा जाएगा।

(5) भारतीय कंपनियों में किया गया डाउनस्ट्रीम निवेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:

(ए) डाउनस्ट्रीम निवेश के लिए निदेशक बोर्ड का अनुमोदन तथा शेयरधारकों का करार, यदि कोई हो, होना चाहिए ;

(बी) डाउनस्ट्रीम निवेश के प्रयोजन से डाउनस्ट्रीम निवेश करने वाली भारतीय एंटीटी आवश्यक निधियाँ विदेश से लाएगी तथा घरेलू बाजार में उधार ली गई निधियों का उपयोग नहीं करेगी। डाउनस्ट्रीम निवेश आंतरिक संचयनों के माध्यम से किए जा सकते हैं। इस प्रयोजन से आंतरिक संचयनों का अर्थ होगा करों के भुगतान के पश्चात प्रारक्षित निधि खाते में अंतरित लाभ।

साथ ही कर्ज जुटाना तथा उसका उपयोग अधिनियम, उसके अंतर्गत बने नियमों अथवा विनियमों के अनुसार किया जाएगा।

(सी) किसी अन्य भारतीय कंपनी जिसने विदेशी निवेश प्राप्त किया है और जिसका स्वामित्व तथा नियंत्रण निवासी भारतीय नागरिकों के पास नहीं है अथवा जिसका स्वामित्व तथा नियंत्रण भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों के पास है, द्वारा धारित भारतीय कंपनी के पूंजीगत लिखत निम्नलिखित को अंतरित किए जा सकते हैं:

(i) फॉर्म एफ़सीटीआरएस में रिपोर्टिंग अपेक्षाओं के अधीन भारत के बाहर का निवासी व्यक्ति ;

(ii) मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों के पालन के अधीन भारत में निवास करने वाला व्यक्ति।

(iii) भारतीय कंपनी जिसने विदेशी निवेश प्राप्त किया है और जिसका स्वामित्व तथा नियंत्रण निवासी भारतीय नागरिकों के पास नहीं है अथवा जिसका स्वामित्व तथा नियंत्रण भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों के पास है।

(डी) डाउनस्ट्रीम निवेश करने वाली प्रथम स्तरीय भारतीय कंपनी उसके द्वारा द्वितीय स्तर पर किए गए डाउनस्ट्रीम निवेश के लिए इन विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदाई होगी और इसी तरह आगले क्रम में जारी

रहेगा। ऐसी प्रथम स्तरीय कंपनी अपने सांविधिक लेखाकार से वार्षिक आधार पर इस आशय का प्रमाणपत्र प्राप्त करेगी। इन विनियमों के इस प्रकार के अनुपालन का भारतीय कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में निदेशक की रिपोर्ट में उल्लेख किया जाएगा। यदि सांविधिक लेखाकार ने सापेक्ष रिपोर्ट दी है तो उसे तत्काल कंपनी का रैजिस्टर्ड कार्यालय रिज़र्व बैंक के जिस क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में स्थित है उसके ध्यान में लाया जाएगा और उक्त क्षेत्रीय कार्यालय से पावती भी प्राप्त की जाएगी।

(ई) एलएलपी के लिए उपर्युक्त (सी) तथा (डी) पर दिए गए प्रावधानों का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा।

टिप्पणी: दिनांक 13 फरवरी 2009 के पूर्व मौजूद दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए डाउनस्ट्रीम निवेश के लिए इन विनियमों का पालन करने के लिए कोई आशोधन की आवश्यकता नहीं होगी। उक्त तारीख के बाद किए गए सभी अन्य निवेश इन विनियमों की परिधि में आएंगे। 13 फरवरी 2009 तथा 21 जून 2013 के बीच किए गए डाउनस्ट्रीम निवेश जो इन विनियमों का अनुपालन नहीं करते हैं, को ऐसे मामलों को इन विनियमों के अनुसार समझने के लिए रिज़र्व बैंक को 3 अक्तूबर 2013 तक रिपोर्ट किए जाने चाहिए थे।

15. भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा निवेश के लिए प्रतिबंधित गतिविधियां:

जब तक कि अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों अथवा विनियमों में विशिष्ट रूप से अन्यथाकहा नहीं गया हो भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित में निवेश प्रतिबंधित है:

(1) लॉटरी व्यवसाय जिसमें सरकारी/ निजी लॉटरी, ऑनलाइन लॉटरी शामिल हैं।

(2) कसीनो सहित जुआ तथा बेटिंग

(3) चिट फंडस

स्पष्टीकरण: चिट फ़ंड के रजिस्ट्रार अथवा राज्य सरकार की ओर से प्राधिकृत कोई अधिकारी, संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से, किसी चिट फ़ंड को किसी अनिवासी भारतीय ओर भारत का समुद्रपारीय नागरिक से अभिधान स्वीकार करने की अनुमति दे सकता है जो बैंकिंग चैनल से और अप्रत्यावर्तनीय आधार पर, समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, बिना किसी सीमा के ऐसे चिट फ़ंड में अभिधान करने के लिए पात्र होगा ।

(4) निधि कंपनी

(5) हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) में खरीद बिक्री

(6) रियल इस्टेट कारोबार अथवा फार्म हाउस के निर्माण

स्पष्टीकरण: इस विनियम के प्रयोजन के लिए “रियल इस्टेट बिज़नेस” (real estate business) में टाउनशिप का विकास, आवासीय/वाणिज्यिक परिसरों, सड़कों अथवा पुलों का निर्माण एवं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) (REITs) विनियमावली, 2014 के तहत पंजीकृत और विनियमित रियल इस्टेट इनवेस्टमेंट ट्रस्ट (REITs) शामिल नहीं होंगे ।

(7) तंबाकू से बने अथवा तंबाकू सादृश्य अन्य पदार्थों से बने सिगार, शरूट, सिगरिल्लोज़ तथा सिगरेट्स

(8) ऐसी गतिविधियां/ क्षेत्र जो निजी क्षेत्र निवेश के लिए खुले नहीं हैं, अर्थात (I) अणु ऊर्जा तथा (II) रेल्वे परिचालन

(9) किसी भी रूप में विदेशी प्रौद्योगिकी सहयोग जिसमें फ्रैंचाइज़ के लिए लाइसैन्स, ट्रेडमार्क, ब्रैंड नेम, प्रबंध संविदा शामिल है, भी लॉटरी व्यवसाय तथा जुआ तथा बेटिंग गतिविधियों के लिए प्रतिबंधित है।

16. कुल विदेशी निवेश के लिए अनुमत क्षेत्र`, प्रवेश मार्ग, क्षेत्र विशेष के लिए निधारित सीमा

जब तक कि इन विनियमों अथवा संबंधित अनुसूचियों में अन्यथाविनिर्दिष्ट नहीं किया गया है, भारतीय एंटिटी मे कुल विदेशी निवेश के लिए प्रवेश मार्ग, क्षेत्र विशेष के लिए निधारित सीमा निम्नानुसार होगी:

ए. प्रवेश मार्ग

(1) स्वचालित मार्ग का अर्थ है ऐसा प्रवेश मार्ग जिसके माध्यम से भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा किए गए निवेश के लिए रिज़र्व बैंक अथवा सरकार का पूर्वानुमोदन आवश्यक नहीं है।

(2) सरकारी मार्ग का अर्थ है ऐसा प्रवेश मार्ग जिसके माध्यम से भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा किए गए निवेश के लिए सरकार का पूर्वानुमोदन आवश्यक है। इस मार्ग के अंतर्गत प्राप्त विदेशी निवेश सरकार द्वारा दिये गए अनुमोदन में निर्धारित शर्तों के अनुसार होगा।

(3) डाइल्यूटेड आधार पर प्रदत्त पूंजी के 49 प्रतिशत तक अथवा क्षेत्र विशेष के लिए निर्धारित/ सांविधिक सीमा, इनमें से जो भी कम हो, के कुल विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के लिए सरकारी अनुमोदन अथवा क्षेत्र विशेष संबंधी शर्तों का अनुपालन, जैसी स्थिति हो, आवश्यक नहीं होगा। इस प्रकार का अनुमोदन/ अनुपालन उस स्थिति में आवश्यक नहीं होगा यदि इस प्रकार के निवेश के परिणामस्वरूप निवासी भारतीय कंपनी का स्वामित्व तथा नियंत्रण निवासी भारतीय नागरिकों से अंतरित नहीं होता है अथवा भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति को स्वामित्व तथा नियंत्रण अंतरित नहीं होता है। भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा अन्य निवेश सरकारी अनुमोदन तथा इन विनियमों में निर्धारित क्षेत्र विशेष के लिए निर्धारित शर्तों के अनुपालन के अधीन होंगे।

बी. क्षेत्र विशेष के लिए निधारित सीमा

कुल विदेशी निवेश के लिए निर्धारित क्षेत्र विशेष नीति

(1) निम्नलिखित क्षेत्रों/ गतिविधियों के लिए क्षेत्र विशेष के लिए निधारित सीमा का अर्थ है प्रत्येक क्षेत्र के समक्ष निर्दिष्ट की गई सीमा।

(2) निम्नलिखित क्षेत्रों/ गतिविधियों में विदेशी निवेश यथालागू कानून/ विनियमों, सुरक्षा तथा अन्य शर्तों के अधीन होगी

(3) नीचे सूचीबद्ध न किए गए अथवा इन विनियमों के विनियम 15 के अंतर्गत प्रतिबंधित नहीं किए गए क्षेत्रों/ गतिविधियों में यथालागू कानून/ विनियमों, सुरक्षा तथा अन्य शर्तों के अधीन स्वचालित मार्ग पर विदेशी निवेश 100 प्रतिशत तक अनुमत है।

बशर्ते नीचे क्रम संख्या "एफ़ " के अंतर्गत निर्दिष्ट की गई वित्तीय सेवाओं को छोड़कर अन्यों में किए गए विदेशी निवेश के लिए सरकार का पूर्वानुमोदन आवश्यक होगा।

(4) जहां न्यूनतम पुंजिकरण की आवश्यकता है वहाँ उसमें पूंजीगत लिखत के अंकित मूल्य के साथ प्राप्त प्रीमियम भी शामिल होगा, लेकिन केवल तब जब भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति को ऐसे लिखतों को जारी करने पर वह कंपनी को प्राप्त होगा। पूंजीगत लिखत के निर्गम मूल्य से अधिक निर्गम के पश्चात के अंतरण दौरान अंतरिति द्वारा किए गए भुगतान की राशि को न्यूनतम पुंजिकरण की आवश्यकता की गणना करते हुए विचार में नहीं लिया जा सकता है।

[5](5)(ए) रिज़र्व बैंक के पास गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में पंजीकृत न की गई निवेश कंपनियों तथा कोर निवेश कंपनियों (सीआईसी), दोनों अन्य भारतीय संस्थाओं की पूंजी में निवेश करने की गतिविधि में लिप्त होने पर उनमें में विदेशी निवेश के लिए सरकार का पूर्वानुमोदन आवश्यक है।"

टिप्पणी : भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के तहत एनबीएफ़सी के रूप में कार्यरत ऐसी कंपनियों के लिए निर्धारित विनियामक ढांचे के अनुपालन के अतिरिक्त कोर निवेश कंपनियों (CIC) को इन विनियमों का भी अनुपालन करना होगा।"

---

[5] Inserted vide **विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली,** 2018, FEMA 20(R)(1) dated 26.03.18 G.S.R. No 279 (E) dated 26.03.18. Prior to insertion it read as *"(5) ऐसी भारतीय कंपनी जो कि केवल अन्य भारतीय कंपनी/ कंपनियों की पूंजी में निवेश करने की गतिविधि में लिप्त है में विदेशी निवेश करने के लिए सरकार का पूर्वानुमोदन आवश्यक होगा। कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) को अतिरिक्त रूप से सीआईसी के लिए रिज़र्व बैंक के विनियामक ढांचे का भी पालन करना होगा।"*

(बी) भारतीय रिज़र्व बैंक के पास गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में पंजीकृत निवेश कंपनियों में किया जाने वाला निवेश 100% स्वचालित मार्ग के तहत होगा।

(6) कोई भारतीय कंपनी जिसका कोई परिचालन नहीं है तथा जिसने कोई डाउनस्ट्रीम निवेश भी नहीं किया है, ऐसे कार्यकलाप करने के लिए जो स्वचालित मार्ग के अंतर्गत हैं और जिन पर कोई एफ़डीआई सम्बद्ध निष्पादन की शर्तें नहीं हैं, भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों से स्वचालित मार्ग के अंतर्गत अपने पूंजीगत लिखतों में निवेश प्राप्त कर सकती है। तथापि ऐसी कंपनियों को सरकारी मार्ग के अंतर्गत आनेवाले कार्यकलाप करने के लिए सरकार का अनुमोदन आवश्यक होगा। जब कभी ऐसी कंपनी कारोबार प्रारंभ अथवा डाउनस्ट्रीम निवेश करती है, तब उसे प्रवेश मार्ग, शर्तों तथा सीमाओं पर संबंधित क्षेत्रवर शर्तों का अनुपालन करने होगा।

(7) ऐसे विदेशी निवेश पर क्षेत्रवार /सांविधिक सीमाओं तथा अनुवर्ती शर्तों, यदि कोई हो के अनुपालन का दायित्व विदेशी निवेश प्राप्त करने वाली कंपनी का होगा।

[6](8) जहां कहीं विदेशी निवेश करने वाला भारत के बाहर का निवासी व्यक्ति भारतीय निवेश प्राप्तकर्ता कंपनी की लेखापरीक्षा किसी ऐसे विशिष्ट ऑडिटर/ ऑडिट फ़र्म द्वारा करवाने की इच्छा प्रकट करता है, जिसका अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क है, तो ऐसी निवेश प्राप्तकर्ता कंपनी का ऑडिट संयुक्त ऑडिट के रूप में किया जाएगा, जिसमें कोई एक ऑडिटर ऐसा होगा जो उस नेटवर्क का हिस्सा नहीं है।

क्र.	**क्षेत्र / गतिविधि**	**क्षेत्र विशेष के लिए निर्धारित सीमा (सेकटोरल कैप)**	**प्रवेश मार्ग**
1	**कृषि और पशुपालन**		
1.1	(ए) नियंत्रित परिस्थितियों में पुष्पोत्पादन, बागवानी, तथा सब्जियों और मशरूम की खेती; (बी) बीजों और रोपण सामग्री का विकास और उत्पादन; (सी) पशुपालन (श्वान प्रजनन सहित), मछली-पालन, जलीय कृषि (अक्वाकल्चर), मधुमक्खी-पालनऔर (डी) कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित सेवाएं । **टिप्पणी**: उपर्युक्त के अलावा, अन्य किसी कृषि क्षेत्र/गतिविधि में विदेशी निवेश की अनुमति नहीं है।	100%	स्वचालित
1.2	अन्य शर्तें:		
	'नियंत्रित परिस्थितियों में" शब्दावली में निम्नलिखित बाते शामिल हैं : पुष्प उत्पादन, बागवानी, सब्जियों और मशरूम की खेती वाली श्रेणियों के लिए 'नियंत्रित परिस्थितियों के तहत कृषि ' अर्थात खेती करने का एक ऐसा तरीका, जिसमें वर्षा, तापमान, सूर्य विकिरण, वायु आर्द्रता और खेती की विधियों (culture) को कृत्रिम रूप से नियंत्रित किया जाता है। सुरक्षित खेती के जरिए इन मानदंडों में नियंत्रण ग्रीन-हाउस, नेट-हाउस, पॉली-हाउस या किसी अन्य परिवर्धित इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं, जहां सूक्ष्म मौसमी परिस्थितियों को मानवीय हस्तक्षेप से नियंत्रित किया जाता है।		
2.	**वृक्षारोपण**		
2.1	(ए) चाय बागानों सहित चाय क्षेत्र (बी) कॉफी बागान (सी) रबड़ की खेती	100%	स्वचालित

[6] Inserted vide **विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली**, 2018, FEMA 20(R)(1) dated 26.03.18 G.S.R. No 279 (E) dated 26.03.18.

	(डी) इलाइची की खेती (ई) पाम-तेल के पौधों की खेती (एफ़) ऑलिव-ऑइल के पौधों की खेती टिप्पणी: उपर्युक्त के अलावा, किसी अन्य बागानों के क्षेत्र/गतिविधि में एफडीआई की अनुमति नहीं है।		
2.2	अन्य शर्तें:		
	यदि भविष्य में भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन अपेक्षित हो तो संबंधित राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है।		
3.	**खनन**		
3.1	खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत धातुओं और गैर-धात्विक अयस्कों का, जिनमें हीरा, स्वर्ण, चांदी, और मूल्यवान अयस्क शामिल हैं का खनन और अन्वेषण परंतु टाइटेनियम पाए जाने वाले खनिज और इसके अयस्कों को इसमें शामिल नहीं किया गया है।	100%	स्वचालित
3.2	**कोयला और लिग्नाइट**		
	(ए) कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के तहत अनुमत और उसमें निहित शर्तों के अधीन ऊर्जा परियोजनाओं, लोहा, इस्पात और सीमेंट इकाइयों और अन्य पात्र गतिविधियों द्वारा आबद्ध उपयोग के लिए कोयले और लिग्नाइट का खनन (बी) वाशरीज़, जैसे कोयला प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करना, बशर्ते कंपनी कोयले का खनन नहीं करेगी और धुले हुए कोयले या अपने कोयला प्रसंस्करण संयत्र से प्राप्त साइज्ड कोयले की खुले बाजार में बिक्री नहीं करेगी तथा धुले हुए या साइज्ड कोयले की आपूर्ति उन पक्षों करेगी जो वाशिंग या साइजिंग के लिए कोयला प्रसंस्करण संयंत्र को कच्चे कोयले की आपूर्ति कर रहे हैं।	100%	स्वचालित
3.3	**टाइटेनियम वाले खनिजों और अयस्कों का खनन और खनिज पृथक्करण, इसका मूल्यवर्धन करना और एकीकृत गतिविधियां :**		
	(ए) क्षेत्रगत विनियमनों तथा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की शर्तों के अधीन टाइटेनियम वाले खनिजों और अयस्कों का खनन और खनिज पृथक्करण, इसका मूल्यवर्धन करना और एकीकृत गतिविधियां	100%	सरकारी
3.4	अन्य शर्तें:		
	(ए) टाइटेनियम वाले खनिजों और अयस्कों को पृथक करने के लिए एफडीआई निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी, नामत: (i) प्रौद्यागिकी अंतरण के साथ मूल्यवर्धन सुविधाएं भारत के भीतर स्थापित की जाएंगी; (ii) खनिज पृथक्करण के दौरान अवशिष्टों का निपटान परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियमावली, 2004 और परमाणु ऊर्जा (रेडियोधर्मी अपशिष्टों का सुरक्षित निपटान) नियमावली, 1987 जैसे परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसरण में किया जाएगा। (बी) परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा 18.1.2006 को जारी की गई अधिसूचना सं. एस.ओ. 61(ई) में सूचीबद्ध 'निर्धारित पदार्थों' के खनन में एफडीआई की अनुमति नहीं दी जाएगी।		

	स्पष्टीकरण: (i) इल्मेनाइट, रूटाइल और ल्यूकोक्सीन जैसे टाइटेनियम वाले अयस्कों के लिए टाइटेनियम डाईऑक्साइड पिगमेंट और टाइटेनियम स्पॉन्ज के निर्माण से मूल्यवर्धन होता है। इल्मेनाइट को प्रसंस्कृत करके 'कृत्रिम रूटाइल या टाइटेनियम स्लैग' जैसा मध्यवर्ती मूल्यवर्धित उत्पाद प्राप्त किया जा सकता है। (ii) इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश में उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग निचले स्तर तक उद्योगों की स्थापना में किया जाए और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध प्रौद्योगिकी भी देश में इस प्रकार के उद्योगों को लगाने के लिए उपलब्ध हो सके। इस प्रकार, यदि प्रौद्योगिकी अंतरण से एफडीआई नीति के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके तो उपर्युक्त (ए) (i) में निर्धारित शर्तों को पूरा हुआ माना जाएगा।		
4.	**तेल और प्राकृतिक गैस**		
4.1	तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र की अन्वेषण गतिविधियां, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस के विपणन संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन, पेट्रोलियम उत्पादों की पाइपलाइन, प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, एलएनजी पुन:गैसीकरण इंफ्रास्ट्रक्चर, बाजार अध्ययन और फार्मुलेशन और निजी क्षेत्र में पेट्रोलियम रिफाइनिंग, जो तेल विपणन क्षेत्र में मौजूदा क्षेत्रगत नीति और विनियामक ढांचा और तेल की खोज में तथा राष्ट्रीय तेल कंपनियों द्वारा खोजे गए क्षेत्रों में निजी सहभागिता के संबंध में सरकार की नीति के अधीन होगी।)	100%	स्वचालित
4.2	मौजूदा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) में किसी प्रकार के विनिवेश या उनकी देशी इक्विटी को कम किए बिना सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा पेट्रोलियम परिशोधन।	49%	स्वचालित
5.	**विनिर्माण (मैन्यूफैक्चरिंग)**	100%	स्वचालित
5.1	कोई भी विनिर्माता (मैन्यूफैक्चरर) भारत में विनिर्मित अपने उत्पादों को सरकारी अनुमोदन के बिना ई-कॉमर्स सहित थोक / रीटेल के माध्यम से बेच सकता है । ट्रेडिंग क्षेत्र से संबंधित इन विनियमों के प्रावधानों में किसी भी बात के होते हुए भी, भारत में विनिर्मित और/ अथवा उत्पादित खाद्य उत्पादों की ई-कॉमर्स सहित ट्रेडिंग, में सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। खाद्य उत्पादों की रीटेल ट्रेडिंग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी आवेदनों को सरकारी अनुमोदन देने से पूर्व औद्योगिक नीति एवं संवर्धन बोर्ड द्वारा उन्हें प्रोसेस किया जाएगा।		
6.	**रक्षा**		
6.1	रक्षा उद्योग, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत औद्योगिक लाइसेंस तथा छोटे आयुध एवं गोला-बारूद का विनिर्माण आयुध अधिनियम, 1959 के अधीन है;	100%	49% तक स्वचालित मार्ग से। 49% से अधिक के मामले में सरकारी मार्ग से, जहां इससे देश में आधुनिक तकनीक तक पहुँच संभव हो अथवा अन्य कोई कारण जिसे रिकॉर्ड किया जाना आवश्यक हो।
6.2	अन्य शर्तें:		
	(ए) किसी ऐसी कंपनी में, जो औद्योगिक लाइसेन्स नहीं चाहती है, में अनुमत स्वचालित मार्ग के भीतर नए विदेशी निवेश से कंपनी के स्वामित्व का स्वरूप बदलने अथवा वर्तमान निवेशक द्वारा नए विदेशी निवेशक को हिस्सेदारी आंतरिक करने के परिणामस्वरूप नवीन (फ्रेश) निवेश किया जाना है, ऐसे नवीन (फ्रेश) निवेश हेतु सरकारी अनुमोदन आवश्यक है। (बी) लाइसेंस आवेदनों पर विचार किया जाएगा और रक्षा मंत्रालय एवं विदेश मंत्रालय से परामर्श के बाद औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा लाइसेंस दिए जाएंगे। (सी) इस क्षेत्र में विदेशी निवेश रक्षा मंत्रालय के दिशानिर्देशों एवं उसके द्वारा आवश्यक सुरक्षा क्लियरेंस के		

	अधीन होगा। (डी) निवेश प्राप्तकर्ता कंपनी का ढांचा इस प्रकार का होना चाहिए कि वह उत्पाद डिजाइन एवं विकास के मामले में आत्मनिर्भर हो। उत्पादन सुविधा सहित निवेश प्राप्तकर्ता/संयुक्त उद्यम कंपनी के पास भारत में निर्मित उत्पादों के मेंटिनेंस एवं लाइफ साइकिल सपोर्ट की भी सुविधा होनी चाहिए।		
7.	**प्रसारण**		
7.1	प्रसारण वाहक सेवाएं		
7.1.1	(ए) टेलीपोर्ट (अप-लिंकिग एचयूबी/टेलीपोर्ट की स्थापना) (बी) डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) (सी) केबल नेटवर्क (राष्ट्रीय या राज्य या जिला स्तर पर परिचालन करने वाले और डिजिटलाइजेशन एवं अड्रेसबिलिटी के लिए नेटवर्क अपग्रेडशन का काम करनेवाले मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ) (डी) मोबाइल टीवी (ई) हेडएंड-इन-द-स्काई ब्रॉडकास्टिंग सर्विस(एचआईटीएस)	100%	स्वचालित
7.1.2	केबल नेटवर्क (अन्य एमएसओ, जो डिजिटलाइजेशन और अड्रेसबिलिटी के लिए नेटवर्क अपग्रेडेशन का कार्य नहीं करते हैं और स्थानीय केबल ऑपरेटर (एलसीओ))	100%	स्वचालित
7.1.3	**नोट:** ऊपर पैरा 7.1.1 एवं 7.1.2 में उल्लिखित क्षेत्रों में 49% से अधिक सीमा में नवीन (फ्रेश) निवेश के लिए उस कंपनी में, जहां क्षेत्र-विशेष से संबन्धित मंत्रालय के लाइसेंस अथवा अनुमति की आवश्यकता नहीं है, किन्तु उस कंपनी के स्वामित्व का स्वरूप बदलने अथवा वर्तमान निवेशक द्वारा किसी नए विदेशी निवेशक को हिस्सेदारी अंतरित करने के परिणामस्वरूप नवीन (फ्रेश) निवेश किया जाना है, ऐसे नवीन (फ्रेश) निवेश हेतु सरकारी अनुमोदन आवश्यक होगा।		
7..2	**प्रसारण विषयक सेवाएं**		
7.2.1	क्षेत्रीय प्रसारण एफ.एम. (एफएम रेडियो), एफ एम रेडियो स्टेशन की स्थापना की अनुमति की मंजूरी ऐसे नियम व शर्तो के अधीन होगी जिन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया गया हो।	49%	सरकारी
7.2.2	"समाचार एवं सम-सामयिक मामले दर्शाने वाले" टी.वी. चैनलों की अपलिंकिंग	49%	सरकारी
7.2.3	"गैर समाचार एवं सम-सामयिक मामले दर्शाने वाले" टीवी चैनलों की अप-लिंकिंग/टीवी चैनलों की डाउन-लिंकिंग	100%	स्वचालित
7.3	अन्य शर्ते		
	(ए) उपर्युक्त वर्णित सभी सेवाओं से जुड़ी कंपनियों में विदेशी निवेश (एफआई) ऐसे सुसंगत विनियमों और नियमों व शर्तों के अधीन होंगे, जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए हों। (बी) उपर्युक्त वर्णित प्रसारण वाहक सेवाओं में विदेशी निवेश (एफआई) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी नियम व शर्तों के अधीन होंगे । (सी) लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उसके द्वारा स्थापित किए गए प्रसारण सेवा संबंधी उपकरण सुरक्षा के लिए जोखिम न पैदा करे और यह किसी भी कानून, नियम, या विनियमन और सार्वजनिक नीति का उल्लंघन नहीं करता हो। (डी) सूचना एवं प्रसारण के क्षेत्र में, जहां निवेश की सेक्टोरल सीमा 49% है, में कंपनी का स्वामित्व और नियंत्रण निवासी भारतीय नागरिकों के पास होना चाहिए अथवा वह ऐसी भारतीय कंपनियों के हाथ में हो, जिसका स्वामित्व और नियंत्रण निवासी भारतीय नागरिकों के पास हो।		

	(i) इस प्रयोजन के लिए भारतीय शेयरधारक द्वारा धारित अधिकतम इक्विटि कुल इक्विटि, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 4(ए) अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(72), जैसा भी मामला हों, में उल्लिखित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा सार्वजनिक क्षत्र के वित्तीय संस्थानों द्वारा धारित इक्विटि को छोड़ कर, कम से कम 51% होनी चाहिए। ऊपर के खंड में उल्लिखित शब्दावली “सर्वाधिक शेयर धारक भारतीय” में निम्नलिखित अथवा निम्न्ललिखित में से कोई समूह शामिल होगा: (1) व्यक्तिगत शेयरधारिता के मामले में, (एए) शेयरधारी कोई एकल व्यक्ति ; (बीबी) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(77) के अर्थों में शेयरधारक का कोई रिश्तेदार; (सीसी) कोई कंपनी/ कंपनी समूह , जिसमें शेयरधारी एकल व्यक्ति / एचयूएफ़ को प्रबंधन एवं नियंत्रण के अधिकार हैं; (2) किसी भारतीय कंपनी के मामले में, (एए) कोई भारतीय कंपनी; (बीबी) भारतीय कंपनियों का कोई समूह जो उसी के स्वामित्व और नियंत्रण में है; (3) इस प्रयोजन के लिए “भारतीय कंपनी” के अर्थों में वह कंपनी होगी, जिसमें अनिवार्यतः निवासी भारतीय / एचयूएफ़ अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(77) में यथा परिभाषित ‘रिश्तेदार’ के पास एकल अथवा मिले-जुले रूप में 51 प्रतिशत की शेयरधारिता हो; (4) बशर्ते कि, ऊपर उप-खंड (डी)(i) में उल्लिखित सभी / किन्हीं एंटीटियों के संयोजन (कॉम्बिनेशन) का मामला हो, तो ऐसे मामलों में प्रत्येक पार्टी को विधितः बाध्यकारी करार करना होगा कि वे एकल इकाई के रूप में आवेदक कंपनी से संबन्धित प्रबंधन कार्य करेंगे।		
8.	**प्रिंट मीडिया**		
8.1	समाचार और समसामयिक मामलों को प्रकाशित करने वाले समाचार पत्र और नियतकालिक पत्रिकाओं का प्रकाशन	26%	सरकारी
8.2	समाचार और समसामयिक मामलों को प्रकाशित करने वाली विदेशी पत्रिकाओं के भारतीय संस्करण का प्रकाशन	26%	सरकारी
8.2.1	अन्य शर्तें		
	(ए) इन दिशा-निदेर्शों के उद्देश्य से, 'पत्रिका' को जनता से संबंधित समाचार या सार्वजनिक समाचारों पर टिप्पणियों को गैर-दैनिक आधार पर प्रकाशित करने वाले नियतकालिक प्रकाशनों के रूप में परिभाषित किया गया है। (बी) विदेशी निवेश समाचार और समसामयिक मामलों को प्रकाशित करने वाली विदेशी पत्रिकाओं के भारतीय संस्करणों के प्रकाशन के संबंध में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा 4.12.2008 को जारी दिशा-निर्देशों के भी अधीन होगा।		
8.3	वैज्ञानिक और तकनीकी पत्रिका/विशेषज्ञता वाले जर्नल/ नियतकालिक पत्रिकाओं का प्रकाशन/मुद्रण लागू वैधानिक ढांचे एवं सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन के अधीन होगा ।	100%	सरकारी
8.4	विदेशी समाचार-पत्र का प्रतिकृति संस्करण का प्रकाशन	100%	सरकारी
8.4.1	अन्य शर्तें		
	(ए) एफडीआई मूल विदेशी समाचार-पत्र के मालिक द्वारा किया जाना चाहिए जिसका प्रतिकृति संस्करण भारत में प्रकाशित किया जाना प्रस्तावित है। (बी) विदेशी समाचार-पत्रों के प्रतिकृति संस्करण का प्रकाशन कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत भारत में निगमित या पंजीकृत इकाई द्वारा ही किया जा सकता है।		

	(सी) विदेशी समाचार-पत्रों के प्रतिकृति संस्करण का प्रकाशन, समाचार और समसामयिक मामलों को प्रकाशित करने वाले समाचार-पत्र और नियतकालिक पत्रिकाओं के प्रकाशन तथा विदेशी समाचार-पत्रों के प्रतिकृति संस्करण को प्रकाशित करने संबंधी सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा 31.03.2006 को जारी और समय-समय पर यथासंशोधित दिशा-निर्देशों के अधीन होगा।
9.	**नागरिक उड्डयन**
9.1	नागरिक उड्डयन क्षेत्र में हवाई अड्डे, अनुसूचित और और गैर-अनुसूचित घरेलू यात्री सेवाएं, हेलीकॉप्टर सेवाएं/ समुद्री विमान सेवाएं, ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं, रख-रखाव और मरम्मत संगठन; उड़ान प्रशिक्षण संस्थाएं और तकनीकी प्रशिक्षण संस्थाएं शामिल हैं। **नागरिक उड्डयन क्षेत्र के प्रयोजनों के लिए :** **(ए) 'हवाई अड्डा'** अर्थात विमान के उतारने और उड़ान भरने का वह क्षेत्र, जहां सामान्य तौर पर रनवे और विमान अनुरक्षण और यात्री सुविधाएं होती हैं और एयरक्राफ्ट अधिनियम, 1934 की धारा 2 के खंड (2) में परिभाषित एरोड्रोम भी शामिल है। **(बी) "एरोड्रोम"** अर्थात विमान के उतरने और उड़ानें भरने के लिए पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से प्रयोग में लायी जा रही तयशुदा या सीमित जमीन या पानी क्षेत्र से है, जिसमें सभी भवन, शेड, जहाज, गोदी और अन्य संरचनाएं या संबंधित संरचनाएं भी शामिल हैं। **(सी) "हवाई अड्डा परिवहन सेवा"** अर्थात पारिश्रमिक के बदले व्यक्तियों, डाक या अन्य ऐसी चेतन या अचेतन के परिवहन की सेवा है, चाहे वह एकल उड़ान या श्रृंखला उड़ान की सेवाओं के माध्यम से दी जा रही हो। **(डी) "हवाई परिवहन उपक्रम"** का तात्पर्य उस उपक्रम से है जिसके कारोबार में किराया या प्रतिफल के एवज में यात्री या माल का हवाई मार्ग से परिवहन भी शामिल है। **(ई) "विमान के घटक"** का अर्थात कोई हिस्सा या उपकरण का कोई भाग है जिसे जब विमान में लगाया जाता है तो उसकी सुदृढ़ता और सही कार्य करने की क्षमता विमान की सुरक्षा या उड़ान योग्यता के लिए आवश्यक है औरिस्में उपकरण की कोई मद शामिल है, **(एफ़) "हेलिकॉप्टर"** का अर्थ वस्तुत: ऊर्ध्वाधर अक्ष पर एक या एक से अधिक शक्तिचालित रोटर की मदद से उड़ान भरने वाला वायु से भारी विमान है। **(जी) "अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा"** का तात्पर्य दो या अधिक स्थानों के बीच चलायी जाने वाली हवाई परिवहन सेवा है जो प्रकाशित समय सारणी के अनुसार या मान्यतापूर्वक व्यवस्थित श्रृंखला में नियमित रूप से या अक्सर उड़ान भरते हों और प्रत्येक उड़ान जनता के उपयोग के लिए उपलब्ध हो। **(एच) "गैर-अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा"** का तात्पर्य ऐसी सेवा से है जो अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा न हो और इसमें कार्गो एयरलाइन शामिल है। **(आई) "कार्गो एयरलाइन"** का तात्पर्य ऐसी एयरलाइन से है जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नागरिक उड्डयन की अपेक्षाओं की शर्तों को पूरा करती हो; **(जे) 'समुद्री विमान"** का तात्पर्य उस विमान से है जो केवल पानी से उड़ने और पानी पर उतरने के लिए सामान्य तौर पर सक्षम हो; **(के) "ग्राउंड हैंडलिंग"** का तात्पर्य है (i) रैंप हैंडलिंग, (ii) ट्राफिक हैंडलिंग, दोनों में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर वैमानिकी सूचना परिपत्र के माध्यम से निर्दिष्ट गतिविधियां शामिल हैं, और (iii) केंद्र सरकार द्वारा या तो रैंप हैंडलिंग या ट्राफिक हैंडलिंग के हिस्से के तौर पर निर्दिष्ट कोई अन्य गतिविधि।

9.2	**हवाईअड्डा**		
	(ए) ग्रीनफील्ड परियोजनाएं	100%	स्वचालित
	(बी) मौजूदा परियोजनाएं	100%	स्वचालित
9.3	**हवाई परिवहन सेवाएं**		

	[7](ए)(i) अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा/ घरेलू अनुसूचित हवाई यात्री सेवा (ii) प्रादेशिक हवाई परिवहन सेवा	100%	49% तक स्वचालित 49% प्रतिशत से अधिक के लिए सरकारी मार्ग से (NRI एवं OCI के लिए 100% स्वचालित)
	(बी) गैर-अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा	100%	स्वचालित
	(सी) हेलीकॉप्टर सेवा /समुद्री विमान के लिए डीजीसीए की मंजूरी आवश्यक	100%	स्वचालित
9.4	**नागरिक उड्डयन क्षेत्र से संबन्धित अन्य सेवाएँ**		
	(ए) ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं, क्षेत्र विशेष से संबंधित विनियमों और सुरक्षा अनुमोदन के अधीन	100%	स्वचालित
	(बी) अनुरक्षण और मरम्मत संगठन; उड़ान प्रशिक्षण संस्थान; और तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान	100%	स्वचालित
9.5	**अन्य शर्तें**		
	(ए) हवाई परिवहन सेवाओं में घरेलू अनुसूचित यात्री एयरलाइन; गैर-अनुसूचित हवाई परिवहन सेवाएं, हेलीकॉप्टर और समुद्री विमान सेवाएं शामिल हैं। (बी) विदेशी एयरलाइनों को उपर्युक्त में दी गई सीमाओं और प्रवेश मार्गों के अनुसार कार्गो एयरलाइन, हेलीकॉप्टर और समुद्री विमान सेवाओं में विदेशी निवेश करने की अनुमति है। (सी) विदेशी एयरलाइनों को अनुसूचित और गैर-अनुसूचित विमान परिवहन सेवाओं को परिचालित करने वाली भारतीय कंपनियों की पूंजी में उनकी प्रदत्त पूंजी के 49 प्रतिशत की सीमा तक निवेश करने की भी अनुमति है। ऐसे निवेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे : (i) यह सरकारी के अनुमोदन मार्ग के तहत किया जाएगा। (ii) विदेशी निवेश के लिए सेबी के सुसंगत विनियमों सहित अन्य लागू नियमों और विनियमों का पालन करना आवश्यक होगा। (iii) अनुसूचित ऑपरेटर परमिट केवल उस कंपनी को दिए जा सकते हैं: (1) जो पंजीकृत है और उसके व्यवसाय का मुख्य स्थान भारत में है; (2) अध्यक्ष और कम से कम दो तिहाई निदेशक भारत के नागरिक हों, और (3) भारतीय नागरिकों के पास पर्याप्त स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण हो। (iv) ऐसे निवेशों के परिणामस्वरूप भारतीय अनुसूचित और गैर अनूसूचित हवाई परिवहन सेवाओं के साथ जुड़ने वाले सभी विदेशी नागरिकों को तैनाती के पहले सुरक्षा की दृष्टि से क्लियरंस लेना होगा। (v) ऐसे निवेशों के परिणामस्वरूप भारत में आयातित होने वाले सभी प्रकार के तकनीकी उपकरणों के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय के संबंधित प्राधिकारियों से क्लियरंस लेना अपेक्षित होगा। "[8](डी) उपर्युक्त शर्तों के अतिरिक्त मेसर्स एयर इंडिया लिमिटेड में विदेशी निवेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे:		

[7] Inserted vide **विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली,** 2018, FEMA 20(R)(1) dated 26.03.18 G.S.R. No 279 (E) dated 26.03.18. Prior to insertion it read as:

(ए) (i) अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा/ घरेलू अनुसूचित हवाई यात्री सेवा *(ii) प्रादेशिक हवाई परिवहन सेवा*	*49% (NRI एवं OCI के लिए 100%)*	*स्वचालित*

	(i) मेसर्स एयर इंडिया लि. में विदेशी एयरलाइन (एयरलाइनों) द्वारा किए गए निवेश सहित विदेशी निवेश प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में 49% से अधिक नहीं होंगे। (ii) मेसर्स एयर इंडिया लि. का मूल स्वामित्व तथा प्रभावी नियंत्रण भारतीय नागरिकों के पास बने रहना जारी रहेगा।" **नोट :** (1) उपर्युक्त पैरा 9.3(ए) और 9.3(बी) में वर्णित क्षेत्र विशेष से संबंधित सीमा/ प्रवेश मार्ग, उन स्थितियों में लागू है जहां विदेशी एयरलाइनों द्वारा कोई भी निवेश नहीं किया गया हो। (2) 100% तक विदेशी निवेश के संबंध में अनिवासी भारतीयों तथा भारत के समुद्रपारीय नागरिकों के लिए लागू व्यवस्था उपर्युक्त 9.5(सी) में निर्दिष्ट निवेश व्यवस्था पर भी लागू होगी। (3) [9]लोप (4) निवेश प्राप्तकर्ता कंपनी को इसके अतिरिक्त भारत सरकार के संबन्धित मंत्रालय द्वारा जारी जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन करना होगा।		
10.	**निर्माण विकास : टाउनशिप, आवास, बिल्ट-अप बुनियादी संरचना**		
10.1	निर्माण विकास परियोजनाएं (जिनमें टाउनशिप का विकास, आवास/वाणिज्यिक परिसर, सड़कों अथवा पुलों, होटलों, रिसॉर्टों, अस्पतालों, शैक्षिक संस्थानों, मनोरंजन की सुविधाओं का निर्माण, शहर और क्षेत्रीय स्तर की बुनियादी संरचनाएं तथा टाउनशिप्स शामिल हैं)	100%	स्वचालित
10.2	अन्य शर्तें		
	(ए) निर्माण विकास परियोजना के प्रत्येक खंड (फेज) को अलग परियोजना माना जाएगा। (बी) परियोजना पूरी होने अथवा बुनियादी (trunk) इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़क, जलापूर्ति, स्ट्रीट लाइटिंग, ड्रेनेज एवं सीवेज के विकास के बाद निवेशक को एक्ज़िट की अनुमति दी जाएगी। (सी) उपर्युक्त खंड(बी) में उल्लिखित किसी भी बात के होते हुए भी, भारत से बाहर के निवासी व्यक्तियों को परियोजना पूर्ण होने से पूर्व एक्ज़िट कर के अपने किए गए निवेश को स्वचालित मार्ग के तहत प्रत्यावर्तित करने की अनुमति है, बशर्ते कि वह तीन वर्षों की लॉक-इन अवधि के अधीन होगा, जिसकी गणना विदेशी निवेश की प्रत्येक शृंखला (tranche) की पूर्ति के संदर्भ में की जाएगी। इसके अलावा, भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर के निवासी किसी अन्य व्यक्ति को अप्रत्यावर्तनीय आधार पर विदेशी निवेश की हिस्सेदारी अंतरित करना न तो किसी लॉक-इन अवधि के और न ही किसी सरकारी अनुमोदन के अधीन होगा। (डी) परियोजना को इमारत नियंत्रण विनियमों, उपविधियों, नियमों और राज्य सरकार/ नगरपालिका/ संबंधित स्थानीय निकाय के अन्य विनियमों के अनुसार भूमि के उपयोग संबंधी अपेक्षाओं एवं सामुदायिक सुविधाओं और आम सुविधाओं के प्रावधानों सहित मानकों और मानदंडों के अनुरूप होना चाहिए। (ई) निवेश प्राप्तकर्ता भारतीय कंपनी को केवल विकसित भूखंड बेचने की अनुमति होगी। इस नीति के प्रयोजनार्थ "विकसित भूखंड" का अभिप्राय ऐसे भूखंड से है जहां बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे: सड़क, जलापूर्ति, स्ट्रीट लाइटिंग, ड्रेनेज एवं सीवेज की सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हों। (एफ़) निवेश प्राप्तकर्ता भारतीय कंपनी सभी आवश्यक मंजूरियां प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होगी जिनमें इमारत/ ले-आउट प्लान, आंतरिक और आस-पास के क्षेत्रों (peripherial areas) और अन्य बुनियादी		

[8] Inserted vide **विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली,** 2018, FEMA 20(R)(1) dated 26.03.18 G.S.R. No 279 (E) dated 26.03.18.

[9] Deleted vide **विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली,** 2018, FEMA 20(R)(1) dated 26.03.18 G.S.R. No 279 (E) dated 26.03.18. Prior to deletion it read as: *"उपर्युक्त मद 9.5 (सी) में उल्लिखित नीति मेसर्स एयर इंडिया लिमिटेड पर लागू नहीं है।"*

सुविधाओं का विकास, बाह्य विकास और अन्य प्रभारों का भुगतान, संबंधित राज्य सरकार/ नगरपालिका/ स्थानीय निकाय के लागू नियमों/ उप-विधियों/ विनियमों में विनिर्दिष्ट सभी अन्य अपेक्षाओं का अनुपालन शामिल होगा।

(जी) इमारत/डेवलपमेंट प्लान को अनुमोदन/मंजूरी प्रदान करने वाली संबंधित राज्य सरकार/ नगरपालिका/स्थानीय निकाय उस डेवलपर द्वारा उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन किए जाने की निगरानी करेगी।

नोट:

(1) यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किसी ऐसी कंपनी (एंटिटी) में अनुमत नहीं है जो रियल इस्टेट कारोबार, फार्म हाउसों का निर्माण एवं अंतरणीय विकास स्वत्वाधिकार (TDRs) में संलग्न हो अथवा उसमें संलग्न होने का प्रस्ताव करती हो।

(2) लॉक-इन अवधि संबंधी शर्तें होटल और टूरिस्ट रिज़ॉर्ट; अस्पतालों; विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZ); शैक्षिक संस्थाओं; वृद्धाश्रमों और अनिवासी भारतीयों / भारतात के समुद्रपारीय नागरिकों (OCI) द्वारा किए गए निवेश के संबंध में लागू नहीं होंगी।

(3) परियोजना की पूर्णता को स्थानीय उप-विधियों/ नियमों और राज्य सरकार के अन्य विनियमों के अनुसार परिभाषित किया जाएगा।

(4) यह स्पष्ट किया जाता है कि टाउनशिप, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और बिज़नस सेंटर की पूर्ण परियोजनाओं के परिचालन और प्रबंधन के लिए स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। विदेशी निवेश के परिणामस्वरूप भारत के निवासी किसी व्यक्ति से भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति को निवेश प्राप्तकर्ता कंपनी का स्वामित्व और/ अथवा नियंत्रण अंतरित करने की अनुमति है। तथापि, वह तीन वर्षों की लॉक-इन अवधि के अधीन होगा, जिसकी गणना विदेशी निवेश की प्रत्येक शृंखला (tranche) के संदर्भ में की जाएगी तथा इस अवधि के दौरान अचल संपत्ति अथवा उसके किसी भाग के अंतरण की अनुमति नहीं होगी।

(5) इस क्षेत्र के संबंध में "अंतरण" में निम्नलिखित शामिल हैं :-

(ए) संपत्ति की बिक्री, विनिमय अथवा त्याग ; अथवा

(बी) उसमें अधिकारों (rights) का विलोपन; अथवा

(सी) किसी कानून के तहत संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण; अथवा

(डी) संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (1882 का 4) की धारा 53ए के संदर्भ में कांट्रैक्ट के परफॉर्मेंस के भाग के रूप में किया गया ऐसा कोई लेनदेन जिसमें अचल संपत्ति ली अथवा धारण की गई हो;

(ई) ऐसा कोई लेनदेन, जो किसी कंपनी की पूंजीगत लिखतों के अर्जन अथवा किसी करार अथवा अन्य किसी व्यवस्था, जो भी हो, के परिणामस्वरूप यदि किसी अचल संपत्ति का लाभ अथवा अंतरण प्राप्त होता हो।

(6) इस क्षेत्र के संबंध में **'रियल इस्टेट कारोबार'** अर्थात भूमि और अचल संपत्ति का सौदा लाभ कमाने अथवा आय के अर्जन के दृष्टिकोण से किया जाता हो एवं इसमें टाउनशिप का विकास, आवासीय/वाणिज्यिक परिसरों, सड़कों अथवा पुलों, शैक्षिक संस्थाओं, मनोरंजन सुविधाओं, नगर और क्षेत्रीय स्तर के इनफ्रास्ट्रक्चर, टाउनशिप का का निर्माण शामिल नहीं हैं।

[10](7) रियल इस्टेट ब्रोकिंग सेवा को "रियल इस्टेट कारोबार" की परिभाषा से बाहर रखा गया है और रियल इस्टेट ब्रोकिंग सेवा में स्वचालित मार्ग के तहत 100% विदेशी निवेश की अनुमति है।

स्पष्टीकरण :

(ए) सेबी (REITs) विनियमावली, 2014 के तहत पंजीकृत और विनियमित की जाने वाली रियल इस्टेट निवेश ट्रस्ट (REITs) की यूनिटों में निवेश को भी इस प्रयोजन से 'रियल इस्टेट कारोबार' की परिभाषा से

---

[10] Inserted vide **विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली**, 2018, FEMA 20(R)(1) dated 26.03.18 G.S.R. No 279 (E) dated 26.03.18.

	भिन्न माना जाएगा। (बी) किसी प्रॉपर्टि को लीज़ पर दे कर, उसके किराए से प्राप्त आय, यदि उसे अंतरित नहीं किया जाता है, तो उसे 'रियल इस्टेट कारोबार' की परिधि में नहीं गिना जाएगा। । (सी) रियल इस्टेट के संबंध में "अंतरण" में निम्नलिखित शामिल हैं :- (i) संपत्ति की बिक्री, विनिमय अथवा त्याग ; अथवा (ii) उसमें अधिकारों (rights) का विलोपन; अथवा (iii) किसी कानून के तहत संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण; अथवा (iv) संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (1882 का 4) की धारा 53ए के संदर्भ में कांट्रैक्ट के पेरफ़ोर्मेंस के भाग के रूप में किया गया ऐसा कोई लेनदेन जिसमें अचल संपत्ति ली अथवा धारण की गई हो; (v) ऐसा कोई लेनदेन, जो किसी कंपनी की पूंजीगत लिखतों के अर्जन अथवा किसी करार अथवा अन्य किसी व्यवस्था जो भी हो, के परिणामस्वरूप यदि किसी अचल संपत्ति का लाभ अथवा अंतरण प्राप्त होता हो।		
11.	**औद्योगिक पार्क**	100%	स्वचालित
11.1	इस क्षेत्र के प्रयोजन से :- **(ए) "औद्योगिक पार्क"** एक ऐसी परियोजना है जिसमें डेवलप की गई भूमि के प्लॉटों या बिल्ट-अप क्षेत्र या संयुक्त रूप से इन सुविधाओं से युक्त क्षेत्रों के तौर पर उच्च कोटि की बुनियादी संरचना का विकास किया जाता है और इन्हें सभी आबंटिती इकाइयों को औद्योगिक गतिविधियों के लिए उपलब्ध कराया जाता है। **(बी) "इन्फ्रास्ट्रक्चर"** का तात्पर्य ऐसी सुविधाओं से है, जो औद्योगिक पार्क में स्थित इकाइयों के कार्य-संचालन के लिए अपेक्षित हैं और इनके अंतर्गत सड़कें (पहुंचने के मार्ग सहित), बिजली से चलने वाली रेलवे लाइनों सहित रेलवे लाइनें/ साइडिंग्स, मुख्य रेल लाइनों को जोड़ने वाली लाइनें, जल-आपूर्ति और अप-जल निकास, अपगामी जल उपचार की सार्वजनिक सुविधा, दूरसंचार नेटवर्क, बिजली का उत्पादन व वितरण, वातानुकूलन आदि शामिल हैं। **(सी) "सामान्य सुविधाओं"** अर्थात औद्योगिक पार्क में स्थित सभी इकाइयों को उपलब्ध कराई जाने वाली ऐसी सुविधाएं, जिनमें बिजली, सड़कें (पहुंचने के मार्ग सहित), बिजली से चलने वाली रेलवे लाइनों सहित रेलवे लाइनें/साइडिंग्स, मुख्य रेल लाइनों को जोड़ने वाली लाइनें, जल आपूर्ति और अप-जल निकास, अपगामी जल उपचार की सामान्य व्यवस्था, सामान्य (common) टेस्टिंग, दूरसंचार सेवाएं, वातानुकूलन, सार्वजनिक सुविधा भवन, औद्योगिक कैंटीन, कन्वेन्शन/सम्मेलन भवन, पार्किंग, यात्रा डेस्क, सुरक्षा सेवा, प्रथमोपचार केंद्र, एंबुलेंस और अन्य सुरक्षा सेवाएं, प्रशिक्षण सुविधाएं तथा औद्योगिक पार्क में स्थित इकाइयों के सामान्य उपयोग हेतु उपलब्ध इसी प्रकार की अन्य सुविधाएं शामिल हैं। **(डी) औद्योगिक इकाइयों में "आबंटनीय क्षेत्र"** का तात्पर्य है : (i) डेवलप की गई भूमि के प्लॉटों के मामले में - इकाइयों को आबंटन हेतु उपलब्ध निवल साइट क्षेत्र, जिसमें सामान्य सुविधा वाला क्षेत्र शामिल नहीं है। (ii) इमारतदार क्षेत्र के मामले में - फर्शी क्षेत्र और सामान्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयुक्त इमारतदार क्षेत्र। (iii) डेवलप की गई भूमि और बिल्ट-अप क्षेत्र के संयुक्त रूप के मामले में - इकाइयों को आबंटन हेतु उपलब्ध निवल साइट और फ्लोर एरिया, जिसमें सामान्य सुविधा के लिए प्रयुक्त साइट क्षेत्र और इमारतदार क्षेत्र शामिल नहीं है। **(ई) "औद्योगिक गतिविधि"** से अभिप्रेत है विनिर्माण; बिजली; गैस और जल-आपूर्ति; डाक और दूरसंचार; सॉफ्टवेयर पब्लिशिंग, परामर्श और आपूर्ति; डेटा प्रोसेसिंग, डेटाबेस संबंधी गतिविधियां और इलेक्ट्रॉनिक		

	विषय-वस्तु का संवितरण; कंप्यूटर से संबंधित अन्य गतिविधियां; जैव-प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल साइन्स/ जीव-विज्ञान, नैसर्गिक विज्ञान और इंजीनियरी क्षेत्रों में बुनियादी और अनुप्रयुक्त अनुसंधान व विकास; व्यवसाय एवं प्रबंधन संबंधी परामर्शी गतिविधियां; तथा वास्तुकला, इंजीनियरी और अन्य तकनीकी गतिविधियां।		
11.2	औद्योगिक पार्कों में किए जाने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों के लिए उपर्युक्त पैरा 10 में बताई गई निर्माण विकास परियोजनाओं आदि के लिए प्रयोज्य शर्तों का अनुपालन बाध्यकर नहीं होगा, बशर्ते कि औद्योगिक पार्क निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हों : (ए) उनमें कम-से-कम 10 इकाइयां शामिल हों, और कोई भी एकल इकाई आबंटनीय क्षेत्र का 50 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र अपने पास नहीं रखेगी; (बी) औद्योगिक गतिविधि के लिए आबंटित क्षेत्र का न्यूनतम प्रतिशत कुल आबंटनीय क्षेत्र के 66 प्रतिशत से कम न हो।		
12.	**उपग्रह - स्थापना और परिचालन**		
	उपग्रह - स्थापना और परिचालन, जो कि अंतरिक्ष विभाग/ इस्रो (ISRO) के क्षेत्र-विशेष संबंधी दिशा-निर्देशों के अधीन है।	100%	सरकारी
13.	**निजी सुरक्षा एजेंसियां**	49%	सरकारी
14.	**दूरसंचार सेवाएं** **(दूर-संचार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता श्रेणी-I सहित)**		
14.1	दूरसंचार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता श्रेणी-I सहित सभी दूर संचार सेवाएं अर्थात मूलभूत, सेल्युलर, युनाइटेड ऐक्सेस सेवाएं, युनिफाइड लाइसेंस (ऐक्सेस सेवाएं), युनिफाइड लाइसेंस, राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय दूरगामी, कमर्शियल वी-सैट, पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंक्ड सर्विसेज़ (पीएमआरटीएस), ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्यूनिकेशंस सर्विसेज़ (जीएमपीसीएस), सभी प्रकार के आईएसपी लाइसेंस, वाइस मेल/आडियोटेक्स/ यूएमएस, आईपीएलसी की पुन: बिक्री, मोबाइल नंबर पोर्टबिलिटी सेवाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता श्रेणी-I (डार्क फाइबर, राइट आफ वे, डक्ट स्पेस, टावर प्रदाता) प्रदाता, केवल अन्य सेवा प्रदाताओं को छोड़कर।	100%	49% तक स्वचालित 49% से अधिक सरकारी मार्ग
14.2	**अन्य शर्तें :** केवल "अन्य सेवा प्रदाताओं", जिन्हें स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है, को छोड़कर लाइसेंसी सहित निवेशक को इस संबंध में दूर-संचार विभाग द्वारा समय-समय पर, अधिसूचित लाइसेंसिंग एवं सुरक्षा संबंधी शर्तों का अनुपालन करना होगा।		
15.	**व्यापार (ट्रेड)**		
15.1	**(i) कैश एंड कैरी थोक व्यापार/थोक व्यापार (एमएसई से सोर्सिंग सहित)**	100%	स्वचालित
15.1.1	**परिभाषा:** (ए) थोक व्यापार/ कैश एंड कैरी थोक व्यापार का अभिप्राय है कि खुदरा व्यापारियों, औद्योगिक, वाणिज्यिक, संस्थागत या अन्य व्यावसायिक कारोबारी प्रयोक्ताओं या अन्य थोक व्यापारियों तथा सम्बद्ध सहायक		

	सेवाप्रदाताओं को वस्तुओं/व्यापारिक माल की बिक्री करना। (बी) तदनुसार, थोक व्यापार का अर्थ होगा - व्यापार, कारोबार तथा व्यवसाय के प्रयोजन के लिए बिक्री, न कि वैयक्तिक उपभोग के लिए बिक्री। बिक्री थोक है या नहीं उसका निर्धारण इस बात पर निर्भर करेगा कि बिक्री किन प्रकार के ग्राहकों को की गई है, न कि बिक्री के आकार और परिमाण पर। थोक व्यापार में पुन: बिक्री, प्रसंस्करण तथा उसके बाद बिक्री, एक्सपोर्ट के साथ बड़ी मात्रा में आयात/एक्स-बॉन्डेड गोदाम कारोबारी बिक्री तथा बी2बी ई-कॉमर्स शामिल होंगे।		
15.1.2	अन्य शर्तें: (ए) थोक व्यापार करने के लिए, राज्य सरकार/ सरकारी निकाय / सरकारी प्राधिकरण/ स्थानीय स्वशासन निकाय के संबंधित अधिनियमों/ विनियमों/ नियमों/ आदेशों के अधीन अपेक्षित लाइसेंस/ पंजीकरण/ परमिट प्राप्त किए जाने चाहिए। (बी) सरकार को की गई बिक्री के मामलों को छोड़कर, थोक व्यापारी द्वारा 'कैश एंड कैरी थोक व्यापार/ थोक व्यापार' को वैध कारोबारी ग्राहकों के साथ बिक्री तभी माना जाएगा जब थोक व्यापार निम्नलिखित के साथ किया जाए: (i) बिक्री कर/ वैट पंजीकरण/ सेवा कर/ उत्पाद शुल्क/ वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) पंजीकरण रखने वाली संस्थाएं; अथवा (ii) सरकारी प्राधिकारी/ सरकारी निकाय/ स्थानीय स्वशासन प्राधिकारी द्वारा दुकान तथा स्थापना अधिनियम के अधीन जारी व्यापार लाइसेंस अर्थात लाइसेंस/ पंजीकरण प्रमाणपत्र/ सदस्यता प्रमाणपत्र/ पंजीकरण रखने वाली संस्थाएं जिससे यह पता चले कि लाइसेंस/ पंजीकरण प्रमाणपत्र/ सदस्यता प्रमाणपत्र, जैसा भी मामला हो, रखने वाली संस्था/ व्यक्ति स्वयं ही वाणिज्यिक गतिविधि से जुड़े कारोबार में लगे हों; अथवा (iii) सरकारी प्राधिकारियों/ स्थानीय स्वशासन निकायों से खुदरा कारोबार करने के लिए परमिट/ लाइसेंस आदि (जैसे कि हॉकर्स के लिए तहबजारी तथा उसी प्रकार के लाइसेंस) रखने वाली संस्थाएं; अथवा (iv) निगमन प्रमाणपत्र रखने वाली संस्थाएं अथवा अपने स्वयं के उपभोग के लिए सोसाइटी या सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीकरण वाली संस्थाएं। **टिप्पणी: कोई संस्था, जिसके साथ थोक व्यापार किया गया है, को ऊपर खंड (बी) (i) से (iv) में दी गई शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करनी होगी** । (सी) बिक्री का पूरा रिकार्ड जैसे कि संस्था का नाम, संस्था का स्वरूप, पंजीकरण / लाइसेंस/ परमिट आदि संख्या, बिक्री की राशि, आदि दैनिक आधार पर रखे जाने चाहिए। (डी) एक ही समूह की कंपनियों के बीच वस्तुओं का थोक व्यापार करने की अनुमति है। लेकिन, समूह के रूप में ली गई कंपनियों का आपसी थोक व्यापार उनके थोक मूल्य उद्यम के कुल टर्न ओवर के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। (ई) लागू विनियमों के अधीन सामान्य कारोबारी प्रथा के रूप में थोक व्यापार किया जा सकता है, जिसमें ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराना भी शामिल है। (एफ) उपभोक्ता को सीधे ही बिक्री करने के लिए, थोक/कैश एंड कैरी व्यापारी खुदरा दुकानें नहीं खोल सकेगा।		
15.2	**ई-कॉमर्स**		
15.2.1	बी टू बी ई-कॉमर्स गतिविधियां	100%	स्वचालित
	ऐसी कंपनियां केवल बिज़नस टू बिज़नस (बी2बी) ई-कॉमर्स करेंगी न कि खुदरा व्यापार। अन्य बातों के साथ-साथ, इसका यह अभिप्राय होगा कि देशी (घरेलू) व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी वर्तमान प्रतिबंध ई-कॉमर्स पर भी लागू होंगे।		
15.2.2	ई-कॉमर्स का मार्केट प्लेस मॉडेल	100%	स्वचालित

15.2.3	अन्य शर्तें : (ए) **"ई-कॉमर्स"** का अर्थ है डिजिटल तथा इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर माल तथा सेवाओं जिनमें डिजिटल उत्पाद शामिल है की बिक्री तथा खरीद; (बी) **"ई-कॉमर्स एंटीटी"** का अर्थ है [11]कंपनी अधिनियम, 1956 अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निगमित कंपनी अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(42) के अंतर्गत आनेवाली विदेशी कंपनी, अथवा फेमा, 1999 की धारा 2(v)(iii) में प्रावधान किए गए अनुसार भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा स्वाधिकृत तथा नियंत्रित किया गया भारत में कोई कार्यालय, शाखा अथवा एजेंसी जो ई-कॉमर्स का कारोबार करती हो; (सी) **"ई-कॉमर्स का माल-सूची आधारित मॉडेल"** का अर्थ ऐसी ई-कॉमर्स गतिविधि जहां माल तथा सेवाओं की माल सूची का स्वामित्व ई-कॉमर्स एंटीटी के पास है और उपभोक्ता को वह सीधे बेचा जाता है। (डी) **"ई-कॉमर्स का बाजार-आधारित मॉडेल"** का अर्थ है किसी ई-कॉमर्स एंटीटी द्वारा खरीदार तथा विक्रेता के बीच समन्वयक के रूप में कार्य करने के लिए डिजिटल तथा इलेक्ट्रोनिक नेटवर्क पर सूचना प्रौद्योगिकी प्लैटफ़ार्म प्रदान करना। (ई) डिजिटल तथा इलेक्ट्रोनिक नेटवर्क में कम्प्यूटर, टेलिविजन चैनल तथा औटोमटेड तरीके से प्रयुक्त कोई अन्य इंटरनेट एप्लिकेशन जैसे वेब पृष्ठ, एक्स्ट्रानेट्स, मोबाइल आदि का नेटवर्क शामिल होगा। (एफ़) मार्केट प्लेस ई-कॉमर्स एंटीटी को उसके प्लैटफ़ार्म पर रजिस्टर्ड विक्रेताओं के साथ B2B आधार पर लेन-देन करने की अनुमति दी जाएगी। (जी) ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स, ऑर्डर पूर्ति, कॉल सेंटर, भुगतान संग्रहण तथा अन्य सेवाओं के संबंध में विक्रेताओं को सपोर्ट सर्विसेस प्रदान कर सकती है। (एच) [12]मार्केट-प्लेस प्रदान करने वाली ई-कॉमर्स एंटीटी किसी इनवेंटरी अर्थात बेची जाने वाली वस्तुओं, पर स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं दर्शाएगी। स्पष्टीकरण: विक्रेता की इनवेंटरी को ई-कॉमर्स एंटीटी द्वारा तभी नियंत्रित समझा जाएगा यदि इस प्रकार के विक्रेताओं की 25% से अधिक ख़रीदारी मार्केट-प्लेस एंटीटी अथवा उसकी समूह कंपनियों से की गई हो, जिससे इस कारोबार का मॉडेल इनवेंटरी आधारित मोडेल बन जाएगा। (आई) [13]कोई एंटीटी, जिसमें ई-कॉमर्स मार्केट-प्लेस एंटीटी अथवा उसकी समूह कंपनियों की इक्विटि सहभागिता है, अथवा जिसकी इनवेंटरी पर ई-कॉमर्स मार्केट-प्लेस एंटीटी अथवा उसकी समूह कंपनियों का नियंत्रण है, को ऐसी मार्केटप्लेस एंटीटी द्वारा चलाए गए प्लैटफ़ार्म पर अपने उत्पाद बेचने की अनुमति नहीं होगी। (जे) वेबसाइट पर इलेक्ट्रोनिक रूप से बिक्री के लिए उपलब्ध माल/सेवाओं के संबंध में विक्रेता का नाम, पता तथा संपर्क के अन्य ब्योरे स्पष्ट रूप से दिए जाने चाहिए। बिक्री के पश्चात ग्राहकों को वस्तुओं की सुपुर्दगी तथा ग्राहक संतुष्टि विक्रेता की ज़िम्मेदारी होगी। (के) बिक्री का भुगतान ई-कॉमर्स एंटीटी दवारा इस संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार सुगम बनाया जाए।

[11] Inserted vide विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली, 2019, FEMA 20(R)(6) 31.01.19 G.S.R. No 78 (E) dated 31.01.19.

[12] Substituted with effect from 01.02.19 by विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली, 2019 notified vide G.S.R.No.78(E) dated January 31, 2019. Prior to substitution, it read as, "मार्केट प्लेस प्रदान करने वाली ई-कॉमर्स एंटीटी मालसूची अर्थात बेचने हेतु रखी वस्तओं पर स्वामित्व नहीं जताएगी। मालसूची पर इस प्रकार के स्वामित्व से उक्त कारोबार का मालसूची आधारित मॉडेल बन जाएगा।"

[13] Substituted with effect from 01.02.19 by विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली, 2019 notified vide G.S.R.No.78(E) dated January 31, 2019. Prior to substitution, it read as, "ई-कॉमर्स एंटीटी उसके मार्केट प्लेस के माध्यम से की गई बिक्री के संबंध में एक वेंडर अथवा उनके कंपनी समूह से वित्तीय वर्ष आधार पर बिक्री मूल्य के 25 प्रतिशत से अधिक की अनुमति नहीं देगा।"

	(एल) बेचे गए माल तथा सेवाओं की कोई वारंटी/ गारंटी का दायित्व विक्रेता का होगा। (एम) [14]मार्केट-प्लेस प्रदान करने वाली ई-कॉमर्स एंटिटियाँ माल तथा सेवाओं के बिक्री मूल्य को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करेंगी तथा सभी को समान अवसर उपलब्ध कराएंगी। ई-कॉमर्स मार्केट-प्लेस एंटिटियों अथवा अन्य एंटिटियों, जिनमें ई-कॉमर्स मार्केट-प्लेस एंटीटी की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष इक्विटि सहभागिता अथवा सामान्य नियंत्रण है, द्वारा विक्रेताओं को प्लैटफ़ार्म पर ऐसी सेवाएँ, एक विशिष्ट दूरी बनाए रखते हुए, उचित रूप से तथा बिना किसी पक्षपात के प्रदान की जानी चाहिए। स्पष्टीकरण: ऐसी सेवाओं में पूर्ति, लॉजिस्टिक्स, माल गोदाम, विज्ञापन/ विपणन, भुगतान, वित्तपोषण, आदि शामिल होंगे, लेकिन यह इतने तक ही सीमित नहीं होंगी। ख़रीदारों को मार्केट-प्लेस एंटीटी की समूह कंपनियों द्वारा प्रदान किए गए कॅश बॅक उचित तथा पक्षपात रहित होने चाहिए। इस खंड के प्रयोजन के लिए किसी भी विक्रेता को ऐसी शर्तों, जो समान परिस्थितियों में अन्य विक्रेताओं को उपलब्ध नहीं कराई गई हैं, पर सेवाएँ प्रदान करना अनुचित तथा पक्षपाती माना जाएगा। (एन) उपर्युक्त क्रम सं. 15.1.2 में दिए गए अनुसार कॅश एण्ड कैरी थोक खरीद-बिक्री संबंधी दिशानिर्देश बी-2-बी ई-कॉमर्स गतिविधियों पर लागू होंगे। (ओ) [15]ई-कॉमर्स मार्केट-प्लेस एंटिटी किसी भी विक्रेता को कोई उत्पाद अनन्य रूप से अपने ही प्लैटफ़ार्म पर बेचने के लिए अधिदेशित नहीं करेगी। (पी) [16]**इस अधिसूचना को जारी करने की तारीख से सभी मौजूदा निवेश उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन में होने चाहिए।** **नोट**: ई-कॉमर्स के माल-सूची आधारित मॉडेल में विदेशी निवेश के लिए अनुमति नहीं है।		
15.2.4	ई-कॉमर्स के माध्यम से सेवाओं की बिक्री स्वचालित मार्ग के तहत होगी बशर्ते की क्षेत्र विशेष के लिए निर्धारित निवेश सीमाओं, लागू विधियों/ विनियमों, सुरक्षा एवं अन्य शर्तों का अनुपालन किया जाए।		
15.3	**सिंगल ब्रैंड उत्पाद खुदरा व्यापार (SBRT)** एकल ब्रैंड उत्पाद खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश का उद्देश्य है - उत्पादन तथा विपणन में निवेश आकर्षित करना, उपभोक्ता के लिए ऐसी वस्तुओं की उपलब्धता में सुधार लाना, भारत से वस्तुओं की बढ़ी सोर्सिंग को प्रोत्साहन देना, तथा वैश्विक डिजाइनों, प्रौद्योगिकियों और प्रबंधन प्रथाओं तक पहुंच के माध्यम से भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करना।	100%	[17] स्वचालित
15.3.1	अन्य शर्तें :		
	(ए) बेचे जाने वाले उत्पाद केवल ‘एक ब्रैंड’ (सिंगल ब्रैंड) के होंगे। (बी) उत्पाद एक ही ब्रैंड के अधीन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेचे जाने चाहिए अर्थात भारत से इतर एक या अधिक देशों में उत्पाद एक ही ब्रैंड के अधीन बेचे जाने चाहिए। (सी) ‘सिंगल ब्रैंड’ उत्पाद के खुदरा व्यापार में वही उत्पाद शामिल होंगे जिनको विनिर्माण के दौरान ब्रैंडेड किया जाता है। (डी) [18]भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति, भले ही वह किसी ब्रैंड-विशेष का मालिक हो अथवा अन्यथा,		

[14] Substituted with effect from 01.02.19 by विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली, 2019 notified vide G,S.R.No.78(E) dated January 31, 2019. Prior to substitution, it read as, “मार्केट प्लेस प्रदान करने वाली ई-कॉमर्स एंटीटी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से माल तथा सेवाओं की बिक्री कीमत पर प्रभाव नहीं डालेगा और सभी को समान अवसर प्रदान करेगा।”

[15] Inserted vide विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली, 2019, FEMA 20(R)(6) 31.01.19 G.S.R. No 78 (E) dated 31.01.19.

[16] Inserted vide विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली, 2019, FEMA 20(R)(6) 31.01.19 G.S.R. No 78 (E) dated 31.01.19.

[17] Inserted vide **विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली,** 2018, FEMA 20(R)(1) dated dated 26.03.18 G.S.R. No 279 (E) dated 26.03.18. Prior to insertion it read as: “*49% तक स्वचालित मार्ग से 49% से अधिक सरकारी मार्ग से*”

को देश में किसी विशिष्ट ब्रैंड का सीधे ब्रैंड के मालिक द्वारा अथवा उस ब्रैंड-विशेष के लिए भारत में सिंगल ब्रैंड उत्पाद खुदरा व्यापार करने वाली किसी भारतीय एंटीटी और उस ब्रैंड-विशेष के मालिक के बीच निष्पादित किसी विधि-सम्मत करार के तहत "सिंगल ब्रैंड" उत्पाद खुदरा व्यापार करने की अनुमति दी जाएगी ।

(ई) 51 प्रतिशत से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी प्रस्तावों के लिए, खरीदी गयी वस्तुओं के मूल्य के 30 प्रतिशत की सोर्सिंग भारत से की जाएगी, जिसके लिए सभी क्षेत्रों में एमएसएमई, ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों, हस्तकला-कारीगरों तथा शिल्पकारों को वरीयता दी जाएगी। देशी सोर्सिंग की मात्रा का कंपनी द्वारा स्व-प्रमाणन किया जाएगा, जिसकी जांच कंपनी द्वारा रखे गए विधिवत प्रमाणित खातों से सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा की जाएगी। खरीद की यह अपेक्षा पहले 5 वर्ष में खरीदी गयी वस्तुओं के औसत मूल्य पर की जाएगी; खरीदे गए माल का कुल मूल्य उस वर्ष के 1 अप्रैल से शुरू होगा जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की पहली खेप प्राप्त हुई है। उसके बाद, इसे वार्षिक आधार पर पूरा किया जाएगा। सोर्सिंग की अपेक्षा के निर्धारण के प्रयोजन के लिए, संबंधित संस्था भारत में निगमित वह कंपनी होगी, जिसने सिंगल ब्रैंड उत्पाद खुदरा व्यापार के प्रयोजन के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया हो।

(एफ) उपर्युक्त पैरा में उल्लिखित शर्तों के अधीन, ब्रिक एवं मोर्टर स्टोर्स के माध्यम सिंगल ब्रैंड उत्पाद खुदरा व्यापार कर रही एंटिटियो को ई-कॉमर्स के माध्यम से भी रीटेल ट्रेडिंग की अनुमति है।

(जी) [19]लोप

(एच) [20]लोप

[21](आई) सिंगल ब्रांड खुदरा व्यापार करनेवाली संस्था को उसका पहला स्टोर खुलने के वर्ष के 1 अप्रैल से प्रारम्भिक 5 वर्ष के दौरान वैश्विक परिचलनों के लिए भारत से वस्तुओं की वृद्धिशील सोर्सिंग का भारत से 30 प्रतिशत खरीद की अनिवार्य सोर्सिंग अपेक्षा के समक्ष प्रतितुलन करने की अनुमति दी जाएगी। इस प्रयोजन के लिए वृद्धिशील सोर्सिंग का अर्थ होगा सिंगल ब्रांड खुदरा व्यापार करनेवाली अनिवासी एंटीटीज़ द्वारा प्रत्यक्ष अथवा उनकी समूह कंपनियों के माध्यम से उस सिंगल ब्रांड के लिए किसी विशिष्ट वित्तीय वर्ष में भारत से इस प्रकार की गई वैशिविक सोर्सिंग के मूल्य (रुपये में)में उसके पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की तुलना में हुई वृद्धि। 5 वर्ष की इस अवधि को पूर्ण करने पर, सिंगल ब्रांड खुदरा व्यापार(SBRT) करनेवाली कंपनी को अपने भारत के परिचालनों के लिए सोर्सिंग संबंधी 30% के मानदंड को सीधे पूर्ण करना होगा और यह वार्षिक आधार पर किया जाएगा।

नोट :

(1) भारतीय ब्रैंड के सिंगल ब्रैंड रीटेल व्यापार (SBRT) के संबंध में उपर्युक्त पैरा (बी) एवं (डी) की शर्तें

---

[18] Inserted vide **विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली,** 2018, FEMA 20(R)(1) dated 26.03.18 G.S.R. No 279 (E) dated 26.03.18. Prior to insertion it read as: *"(डी) भारत के बाहर का निवासी कोई व्यक्ति, चाहे वह किसी ब्रैंड का मालिक हो अथवा और कुछ हो, को किसी ब्रैंड के संबंध में सिंगल ब्रैंड उत्पाद खुदरा व्यापार के लिए ब्रैंड के मालिक के साथ किए गए विधिमान्य करार के अधीन, किसी विशिष्ट ब्रैंड के लिए देश में सिंगल ब्रैंड उत्पाद खुदरा व्यापार करने की अनुमति है। इस शर्त के अनुपालन की जिम्मेदारी भारत में सिंगल ब्रैंड उत्पाद खुदरा व्यापार करने वाली भारतीय संस्था की होगी। निवेश करने वाली संस्था अनुमोदन प्राप्त करते समय इस आशय का साक्ष्य प्रस्तुत करेगी, जिसमें उपर्युक्त शर्त के अनुपालन को विशिष्ट रूप दिखाने वाले लाइसेंस/ फ्रैन्चाइज़/ उप लाइसेंस करार की प्रति शामिल हो। स्वचालित मार्ग के लिए अपेक्षित साक्ष्य भारतीय रिज़र्व बैंक के पास और अनुमोदन मार्ग के तहत निवेश के मामले में सरकार को आवेदन किए जाएंगे।"*

[19] Deleted vide **विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली,** 2018, FEMA 20(R)(1) dated 26.03.18 G.S.R. No 279 (E) dated 26.03.18. Prior to deletion it read as *"भारत में 'सिंगल ब्रैंड' उत्पादों के खुदरा व्यापार का प्रस्ताव करने वाली कंपनी में 49% से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए भारत सरकार से अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग को प्रस्तुत किए जाएंगे। आवेदन पत्र में उन उत्पादों/उत्पाद की श्रेणियों का विशिष्ट रूप से उल्लेख किया जाए जिनका 'सिंगल ब्रैंड ' के अधीन विक्रय प्रस्तावित है। 'सिंगल ब्रैंड' के अधीन विक्रय किए जाने वाले किसी उत्पाद/उत्पाद श्रेणियों में कुछ भी जोड़ने के लिए सरकार से नया अनुमोदन प्राप्त करना होगा। 49% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में, खाद्य उत्पादों को छोड़कर, उत्पादों/ उत्पाद की श्रेणियों की सूची भारतीय रिज़र्व बैंक को उपलब्ध करायी जाएगी।"*

[20] Deleted vide **विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली,** 2018, FEMA 20(R)(1) dated 26.03.18 G.S.R. No 279 (E) dated 26.03.18. Prior to deletion it read as *"आवेदनों पर कार्रवाई औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग में की जाएगी, जिसमें यह निर्धारण किया जाएगा कि सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एफआईपीबी द्वारा विचार करने से पहले क्या प्रस्तावित निवेश अधिसूचित दिशा-निर्देशों को पूरा करते हैं।"*

[21] Inserted vide **विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली,** 2018, FEMA 20(R)(1) dated 26.03.18 G.S.R. No 279 (E) dated 26.03.18.

	लागू नहीं होंगी। (2) [22]लोप (3) [23]लोप (4) भारतीय ब्रैंड का स्वामित्व और नियंत्रण निवासी भारतीय नागरिकों के पास होना चाहिए और/अथवा ऐसी कंपनियों के पास होना चाहिए जिसका स्वामित्व और नियंत्रण निवासी भारतीय नागरिकों के पास हो। (5) [24] अत्याधुनिक" एवं "उच्चतम तकनीक" वाले उत्पादों, जहां स्थानीय सोर्सिंग संभव नहीं है, से संबन्धित एंटीटीयों के लिए कारोबार की शुरुआत से, अर्थात उनके प्रथम स्टोर के प्रारम्भ से तीन वर्षों की अवधि तक सोर्सिंग की शर्तें लागू नहीं होंगी। इसके पश्चात ऊपरउल्लिखित पैरा 15.3.1 के खंड (ई) में उल्लिखित शर्तें लागू होंगी। सोर्सिंग की शर्तों में छूट के लिए आवेदकों द्वारा किए गए दावों को परखने के लिए औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें नीति आयोग, संबधित प्रशासनिक मंत्रालय के प्रतिनिधि तथा स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञ शामिल होंगे। उक्त समिति इस प्रकार के दावों के परिप्रेक्ष्य में उत्पादों के स्वरूप अर्थात उनके "अत्याधुनिक" एवं "उच्चतम तकनीक" वाले होने और इस संबंध में स्थानीय सोर्सिंग उपलब्ध न होने के बारे में जांच करेगी और इस प्रकार की छूट दिये जाने संबंधी अपनी संस्तुतियाँ प्रस्तुत करेगी ।		
15.4	**मल्टी ब्रैंड खुदरा व्यापार (MBRT)**	**51%**	**सरकारी**
15.4.1	अन्य शर्तें :		
	(ए) फलों, सब्जियों, फूलों, अनाजों, दालों, ताजे पोल्ट्री, मत्स्यपालन तथा मांस उत्पाद सहित ताज़े कृषि उत्पाद ब्रैंडरहित हो सकते हैं। (बी) विदेशी निवेशक द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की लाई जाने वाली न्यूनतम राशि 100 मिलियन अमरीकी डॉलर होगी। (सी) कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में से, प्रथम किस्त के रूप में लाए गए 100 मिलियन अमरीकी डॉलर की कम से कम 50 प्रतिशत राशि तीन वर्ष के भीतर 'बैक-एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर' में निवेश की जाएगी, जहां बैक-एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर में सभी गतिविधियों पर पूंजी व्यय शामिल होगा, जबकि इसमें फ्रंट-एंड-यूनिटों पर हुआ व्यय शामिल नहीं होगा; उदाहरण के लिए, बैक-एन्ड-इन्फ्रास्ट्रक्चर में प्रसंस्करण, विनिर्माण, वितरण, डिजाइन-सुधार, गुणवत्ता नियंत्रण, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स, भंडारण, गोदाम, कृषि-बाजार उत्पाद, इन्फ्रास्ट्रक्चर आदि में किए गए निवेश शामिल होंगे। भूमि की लागत तथा किराए पर किए गए व्यय, यदि कोई हों, की गणना बैक-एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर के प्रयोजन में शामिल नहीं होगी। बैक-एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर में बाद में किए जाने निवेश कारोबारी अपेक्षाओं के आधार पर मल्टी ब्रैंड खुदरा व्यापारी द्वारा किए जाएंगे। (डी) खरीद गये विनिर्मित/ प्रसंस्कारित (प्रोसेस्ड) उत्पादों के मूल्य का कम-से-कम 30 प्रतिशत हिस्सा भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (MSME) से सोर्स किया जाएगा, जिनका संयत्र तथा मशीनरी में कुल निवेश 2.00 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक न हो। यह मूल्य संस्थापन के समय का मूल्य है, जिसमें मूल्यह्रास का प्रावधान (शामिल) नहीं है। 'लघु उद्योग' का दर्जा खुदरा व्यापारी के साथ पहली बार जुड़ने के समय का ही है और ऐसा उद्योग इस प्रयोजन के लिए 'लघु उद्योग' के रूप में पात्र माना जाता रहेगा, भले ही खुदरा व्यापारी के साथ जुड़ाव के दौरान उसके उक्त 2.00 मिलियन अमरीकी डालर के निवेश के आकार में		

[22] Deleted vide **विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली**, 2018, FEMA 20(R)(1) dated 26.03.18 G.S.R. No 279 (E) dated 26.03.18. Prior to deletion it read as "*भारतीय निर्माता को अपने निर्मित उत्पादों को ई-कॉमर्स सहित थोक, खुदरा अथवा किसी भी रूप में बेचने की अनुमति है।*"

[23] Insereted vide **विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली**, 2018, FEMA 20(R)(1) dated 26.03.18 G.S.R. No 279 (E) dated 26.03.18. Prior to deletion it read as "*भारतीय निर्माता यदि निवेश प्राप्तकर्ता कंपनी है, जो भारतीय ब्रैंड की मालिक है और जो भारत में निर्माण करती है, को उत्पादों के मूल्य के अनुसार अपने कम से कम 70 प्रतिशत उत्पादों का रीटेल घरेलू आधार पर और अधिकतम 30 प्रतिशत उत्पादों का रीटेल भारतीय निर्माताओं के माध्यम से कर सकती है।*"

[24] Inserted vide **विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली**, 2018, FEMA 20(R)(1) dated 26.03.18 G.S.R. No 279 (E) dated 26.03.18. Prior to insertion it read as: ""अत्याधुनिक" एवं "उच्चतम तकनीक" वाले उत्पादों, जहां स्थानीय सोर्सिंग संभव नहीं है, से संबन्धित एंटीटीयों के लिए कारोबार की शुरुआत से, अर्थात उनके प्रथम स्टोर के प्रारम्भ से तीन वर्षों की अवधि तक सोर्सिंग की शर्तें लागू नहीं होंगी। इसके पश्चात ऊपर खंड (ई) में उल्लिखित शर्तें लागू होंगी।"

	इजाफा हो जाए। कृषि सहकारी समितियों और कृषक सहकारी समितियों से सोर्सिंग को भी इसी श्रेणी में माना जाएगा। खरीद की यह अपेक्षा पहले 5 वर्ष में खरीदी गयी वस्तुओं के औसत मूल्य पर की जाएगी; खरीदे गए माल का कुल मूल्य उस वर्ष के 1 अप्रैल से शुरू होगा जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की पहली खेप प्राप्त हुई है। उसके बाद, इसे वार्षिक आधार पर पूरा किया जाएगा। (ई) कंपनी द्वारा ऊपर क्रम संख्या (बी), (सी) और (डी) की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्व-प्रमाणन किया जाएगा, जिसकी जब भी आवश्यकता होगी, जांच की जाएगी। तदनुसार, निवेशक सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित लेखा (अकाउंट) विवरण रखेंगे। (एफ़) खुदरा बिक्री केंद्र केवल उन्हीं नगरों में स्थापित किए जाएंगे जिनकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक है अथवा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अन्य नगरों में भी उन्हें स्थापित किए जा सकता है, जिनमें ऐसे नगरों के म्युनिसिपल/ शहरी स्थानों के 10 किलोमीटर में आने वाले आस-पास के क्षेत्र भी शामिल होंगे; खुदरा स्थल संबंधित शहरों के मास्टर/ ज़ोनल प्लान के अनुसार आने वाले क्षेत्रों तक सीमित होंगे तथा परिवहन की कनेक्टिविटी और पार्किंग जैसी अपेक्षित सुविधाओं के लिए प्रावधान किए जाएंगे। (जी) कृषि उत्पादों की खरीद करने का पहला अधिकार सरकार का होगा। (एच) उपर्युक्त नीति केवल योग्यकारक (इनेब्लिंग) नीति है तथा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में राज्य सरकारें/ केंद्र शासित प्रदेश अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। इसलिए, खुदरा बिक्री केंद्र उन राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित किए जाएं जिन्होंने इस नीति के अंतर्गत एमबीआरटी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने की सहमति दी है, या भविष्य में सहमति देंगे। जिन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने अपनी सहमति दी है, उनकी सूची नीचे क्रमांक (15.4.2) में दी गयी है। भविष्य में इस नीति के अधीन खुदरा केंद्रों की स्थापना के लिए अनुमति देने की सूचना औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग के माध्यम से भारत सरकार को दी जाएगी और तदनुसार, उन्हें उक्त सूची में शामिल किया जाएगा। खुदरा बिक्री केंद्र की स्थापना दुकान तथा स्थापना अधिनियम आदि जैसे राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश के कानूनों/विनियमों के अनुपालन में की जाएगी। (आई) मल्टी-ब्रैंड उत्पाद खुदरा व्यापार से जुड़ी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाली कंपनियों को किसी भी रूप में ई-कॉमर्स के माध्यम से खुदरा व्यापार की अनुमति नहीं होगी। (जे) आवेदनों पर कार्रवाई औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग में की जाएगी, जिसमें यह निर्धारण किया जाएगा कि सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एफआईपीबी द्वारा विचार करने से पहले क्या प्रस्तावित निवेश अधिसूचित दिशा-निर्देशों को पूरा करते हैं।		
15.4.2	राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सूची निम्न प्रकार है : आंध्र प्रदेश, आसाम, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, उत्तराखंड, दमण और दीव तथा दादरा और नगर हवेली (कें. शा. प्रदेश)		
15.5	**शुल्क रहित (ड्यूटी फ्री) दुकाने**	100%	स्वचालित
15.5.1	अन्य शर्तें : (ए) शुल्क रहित (ड्यूटी फ्री) दुकानों का अर्थ वे दुकाने हें जो सीमाशुल्क क्षेत्र के तहत हैं और अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डों / अंतरराष्ट्रीय समुद्री बन्दरगाहों एवं लैंड कस्टम स्टेशनों के क्षेत्र में स्थापित दुकाने हैं, जहां अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की आवाजही होती है। (बी) शुल्क रहित (ड्यूटी फ्री) दुकानों में विदेशी निवेश कस्टम्स अधिनियम, 1962 तथा अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन होगा। (सी) शुल्क रहित (ड्यूटी फ्री) दुकानों को देश के घरेलू टेरीफ़ क्षेत्र में किसी भी प्रकार की रीटेल गतिविधि में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी।		
16.	**फार्मास्यूटिकल**		
16.1	ग्रीन फील्ड	100%	स्वचालित
16.2	ब्राउन फील्ड	100%	74% तक

			स्वचालित; 74% के पश्चात सरकारी
16.3	**अन्य शर्तें :**		
	(ए) विशिष्ट परिस्थितियों में सरकार के अनुमोदन को छोड़कर अन्य मामलों में 'गैर-प्रतिस्पर्धी' खंड/ शर्त की अनुमति नहीं होगी। (बी) भावी निवेशक एवं निवेश प्राप्तकर्ता के लिए यह अपेक्षित होगा कि वह सरकार को अनुमोदन हेतु आवेदन के साथ पैरा 16.4 में दिए गए प्रारूप में उक्त आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें। (सी) ब्राउनफील्ड मामलों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए अनुमोदन देते समय सरकार उचित शर्तें लगा सकती है। (डी) ब्राउनफील्ड फार्मास्युटिकल क्षेत्र में निवेश, प्रवेश मार्ग पर ध्यान दिए बगैर, निम्नलिखित अन्य शर्तों के अधीन होंगे : (i) आवयशक दवाइयों की राष्ट्रीय सूची (NLEM) औषधियों और/ अथवा उपभोज्य वस्तुओं का उत्पादन स्तर तथा एफ़डीआई प्रवर्तित करते समय घरेलू बाज़ार में उनकी आपूर्ति अगले पाँच वर्षों में पूर्णतया मात्रात्मक स्तर पर बनी रहे। इस स्तर के लिए बेंचमार्क, एफ़डीआई प्रवर्तन वर्ष के तुरंत पिछले वर्ष से अगले तीन वित्तीय वर्षों में NLEM औषधियों और/ अथवा उपभोज्य वस्तुओं के उत्पादन स्तर के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा। इनमें से, इन तीन वर्षों में से उत्पादन के उच्चतम स्तर को स्तर के रूप में लिया जाएगा। (ii) एफ़डीआई प्रवर्तित करते समय अनुसंधान एवं विकास (R&D) पर किए गए खर्च को पूर्णतया मात्रात्मक स्तर पर मूल्य के अर्थ में पाँच वर्षों के लिए बनाए रखना। इस स्तर के लिए बेंचमार्क का निर्धारण एफ़डीआई प्रवर्तन वर्ष के तुरंत पिछले वर्ष से अगले किसी तीन वर्षों में हुए अनुसंधान एवं विकास (R&D) खर्च के उच्चतम स्तर के संदर्भ में किया जाएगा। (iii) निवेश प्राप्तकर्ता कंपनी अपने संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय को अपने द्वारा प्राप्त विदेशी निवेश सहित प्रोद्योगिकी का अंतरण, यदि कोई हो, संबंधी संपूर्ण जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी। (iv) प्रशासनिक मंत्रालय(यों), जैसे- स्वास्थ्य एवं प्राइवर कल्याण मंत्रालय, फार्मास्युटिकल विभाग अथवा कोई अन्य विनियामक एजेंसी / विभाग जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, वह इस संबंध में अनुपालन की शर्तों की मॉनिटरिंग करेगा/ करेगी। **नोट :** (1) चिकित्सा उपकरणों (डिवाइसेज़) के उत्पादन हेतु स्वचालित मार्ग से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। अतः उल्लिखित शर्तें इस उद्योग के ग्रीनफील्ड तथा ब्राउनफील्ड परियोजनाओं पर लागू नहीं होंगी। (2) मेडिकल डिवाइस (उपकरण) अर्थात :- (ए) विनिर्माता द्वारा दिए गए अपेक्षित सॉफ्टवेयर सहित कोई भी साधन (instrument), यंत्र (apparatus), उपकरण (appliances), इंप्लांट, सामग्री अथवा अन्य वस्तुएँ, जो अकेले अथवा अन्य उपकरणों के साथ मिलकर विशेषतः मनुष्य अथवा पशुओं के लिए निम्नलिखित एक अथवा बहुविध विशिष्ट उद्देश्यों से उपयोग में लाये जाते हों, जैसे : (एए) किसी बीमारी अथवा विकार की पहचान, रोकथाम, निगरानी, इलाज अथवा राहत के लिए; (एबी) किसी जख्म अथवा [25] दिव्यांग की पहचान, निगरानी, इलाज, राहत अथवा सहायता के लिए;		

[25] Inserted vide **विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली**, 2018, FEMA 20(R)(1) dated 26.03.18 G.S.R. No 279 (E) dated 26.03.18. Prior to insertion it read as, *"विकलांगता"*

	(एसी) शारीरिक संरचना अथवा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के तहत जांच, बदलाव अथवा सुधार अथवा सहायता के लिए (एडी) जीवन-रक्षा और जान बचाने में सहायक; (एई) मेडिकल उपकरणों का विसंक्रमण; (एएफ) गर्भाधान नियंत्रण एवं ऐसे उपकरण, जो मनुष्य अथवा पशुओं के शरीर पर /में किसी औषधीय अथवा प्रतिरक्षात्मक और चयापचय के माध्यम से अपनी मूल कार्रवाई के उद्देश्य को सीधे प्राप्त नहीं करते हैं, किन्तु इन माध्यमों के कार्य में सहायक होते हैं; (बी) इस प्रकार के यंत्र, उपकरणों, औज़ारों, सामग्री अथवा वस्तुओं के सहायक उप-साधन; (सी) [26]कृत्रिम परिवेशीय (इन-विट्रो) निदान उपकरण वे उपकरण हैं, जो जांच के मंतव्य से, मानव शरीर अथवा पशुओं से एकत्र किए गए नमूनों के परीक्षण-माध्यम की तरह और चिकित्सीय अथवा निदान के उद्देश्य से प्रयुक्त अभिकर्मक (reagent), अभिकर्मक-उत्पाद, व्यास मापक (कैलिब्रेटर), नियंत्रण सामग्री, किट, उपकरण, उपकरण-समूह, औजार अथवा प्रणाली के रूप में अकेले अथवा समूह में के रूप में प्रयोग किए जाते हैं।; (3) [27]लोप
16.4	भावी निवेशक के साथ-साथ निवेश प्राप्तकर्ता एंटिटी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रारूप : यह प्रमाणित किया जाता है कि निवेश प्राप्तकर्ता ब्राउनफील्ड फार्मास्यूटिकल एंटिटी और विदेशी निवेशक(कों) के बीच, शेयरधारकों के करार सहित किए गए अन्य सभी परस्पर करारों के ब्योरे निम्नलिखित सूची में संलग्न किए गए हैं : 1 --- 2 --- 3 --- (सभी करारों की प्रतिलिपियाँ संलग्न की जाए) यह भी प्रमाणित किया जाता है कि निवेश प्राप्तकर्ता ब्राउनफील्ड फार्मास्यूटिकल एंटिटी और विदेशी निवेशक(कों) के बीच, शेयरधारकों के करार सहित किए गए अन्य सभी परस्पर करारों में किसी भी प्रकार का कोई "गैर-प्रतिस्पर्धी" खंड उपलब्ध नहीं है । आगे यह भी प्रमाणित किया जाता है कि निवेश प्राप्तकर्ता ब्राउनफील्ड फार्मास्यूटिकल एंटिटी और विदेशी निवेशक(कों) के बीच किए गए सभी परस्पर करारों, जिन्हें ऊपर सूचीबद्ध किया गया है, के अलावा अन्य कोई करार / संविदा उपलब्ध नहीं है। निवेश प्राप्तकर्ता ब्राउनफील्ड फार्मास्यूटिकल एंटिटी और विदेशी निवेशक यह घोषणा करते हैं कि उनके बीच इस आवेदन को प्रस्तुत करने / इस पर प्रक्रिया करने के पश्चात यदि कोई अनुवर्ती परस्पर करार किया/ किए जाते हैं, तो उन सभी अनुवर्ती करारों की सूचना एफ़आईपीबी को भेजने का दायित्व निवेश प्राप्तकर्ता ब्राउनफील्ड फार्मास्यूटिकल एंटिटी और विदेशी निवेशक(कों) पर होगा।

[26] Deleted vide **विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली,** 2018, FEMA 20(R)(1) dated 26.03.18 G.S.R. No 279 (E) dated 26.03.18. Prior to deletion it read as, "उपकरण जो अभिकर्मक (regeant), अभिकर्मक-उत्पाद, कैलिब्रेटर (Calibrator), नियंत्रण सामग्री, किट, इन्स्ट्रुमेंट, उपकरण(apparatus), औज़ार(appliances) अथवा सिस्टम, जो अकेले अथवा किसी अन्य उपकरण के साथ परीक्षण एवं चिकित्सा अथवा निदान के उद्देश्य से सूचना देने के लिए मनुष्य अथवा पशुओं के शरीर के नमूने (specimens) के विट्रो-परीक्षण के लिए उपयोग में लाए जाते हों"

[27] Deleted vide **विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली,** 2018, FEMA 20(R)(1) dated 26.03.18 G.S.R. No 279 (E) dated 26.03.18. Prior to deletion it read as, *"उपर्युक्त नोट (2) में दी गई 'चिकित्सा उपकरण' की परिभाषा औषधि और प्रसाधन सामाग्री अधिनियम, 1940 में संशोधन के अधीन होगी।"*

17	**रेल्वे इन्फ्रास्ट्रक्चर**		
17.1	निम्नलिखित का विनिर्माण, रख-रखाव एवं परिचालन: (i) सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से उपनगरीय रेल कोरीडोर, (ii) हाई-स्पीड रेलवे परियोजनाएं, (iii) माल ढुलाई के लिए विशिष्ट लाइनें, (iv) ट्रेन सेटों सहित रोलिंग स्टॉक, और लोकोमोटिव/कोच निर्माण एवं रखरखाव सुविधाएं, (v) रेलवे विद्युतीकरण, (vi) सिग्नलिंग सिस्टम, (vii) फ्रेट टर्मिनल, (vii) यात्री टर्मिनल, (ix) औद्योगिक पार्क में इन्फ्रास्ट्रक्चर से संबन्धित रेलवे लाइनें /साईडिंग सहित विद्युतीकृत रेलवे लाइनें और मुख्य लाइनों से जोड़ने वाली लाइनें, एवं (x) मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम।	100%	स्वचालित
17.2	अन्य शर्तें : (ए) उल्लिखित गतिविधियों में निवेश रेल मंत्रालय के सेक्टोरल दिशा-निर्देशों के अधीन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सहित निजी भागीदारी के लिए खुला होगा। (बी) संवेदनशील क्षेत्रों में, 49% से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी प्रस्तावों पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुरक्षा संबंधी कैबिनेट कमीटी (CCS) द्वारा, मामले-दर- मामले के आधार पर, विचार किया जाएगा।		
एफ़.	**वित्तीय सेवाएं** नीचे उल्लिखित वित्तीय सेवाओं के अलावा अन्य सभी वित्तीय सेवाओं में विदेशी निवेश के लिए सरकार का पूर्वानुमोदन आवश्यक है		
एफ.1	**आस्ति पुनर्गठन कंपनियां (एआरसी)**	100%	स्वचालित
एफ़.1.1	अन्य शर्तें :		
	(ए) किसी आस्ति पुनर्गठन कंपनी (ARC) में निवेश की सीमा में प्रयोजक की शेयरधारिता को वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी एक्ट) के प्रावधानों के तहत संचालित किया जाएगा। इसी प्रकार संस्थागत/ गैर-संस्थागत निवेशों को भी इसी अधिनियम के तहत संचालित किया जाएगा। (बी) किसी आस्ति पुनर्गठन कंपनी (ARC) द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों में विदेशी संस्थागत निवेशक (FPI) निवेश कर सकते हैं। विदेशी संस्थागत निवेशक (FPI) किसी आस्ति पुनर्गठन कंपनी (ARC) द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों (SRs) की प्रत्येक शृंखला में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस संबंध में जारी निदेशों/दिशा-निर्देशों के तहत 100 प्रतिशत तक निवेश कर सकते हैं। इस प्रकार के निवेश संबन्धित विनियामक सीमा के भीतर होंगे। (सी) सभी निवेश वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी एक्ट) के प्रावधानों के अधीन होंगे।		
एफ.2	**बैंकिंग-निजी क्षेत्र**	74%	49% तक स्वचालित 49% से ज्यादा और 74% तक सरकारी
एफ़.2.1	अन्य शर्तें :		
	(ए) किसी विदेशी बैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था को छोड़कर अन्य निजी बैंकों में उनकी प्रदत्त पूंजी का न्यूनतम 26% हिस्सा सदैव निवासियों के पास रहेगा। (बी) अनिवासी भारतीयों (NRI) के मामले में, व्यक्तिगत धारिता प्रत्यावर्तनीय तथा अप्रत्यावर्तनीय, दोनों		

आधार पर कुल प्रदत्त पूंजी के 5 प्रतिशत तक सीमित होगी तथा समग्र सीमा प्रत्यावर्तनीय तथा अप्रत्यावर्तनीय, दोनों आधार पर कुल प्रदत्त पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। तथापि, अनिवासी भारतीयों (NRI) की धारिता की समग्र सीमा को प्रत्यावर्तनीय तथा अप्रत्यावर्तनीय, दोनों आधार पर कुल प्रदत्त पूंजी के 24% तक बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते उस बैंकिंग कंपनी की आम सभा द्वारा इस आशय का विशेष संकल्प पारित किया जाए।

(सी) बीमा क्षेत्र में संयुक्त उपक्रम / सहायक संस्था रखने वाले निजी बैंकों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु आवेदन भारतीय रिज़र्व बैंक को संबोधित किए जाएंगे ताकि वह बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) के परामर्श से यह सुनिश्चित कर सके कि बीमा क्षेत्र में विदेशी शेयरधारिता ने 49% की सीमा को भंग नहीं किया है ।

(डी) एफडीआई के अंतर्गत किसी निवासी से अनिवासी को शेयर अंतरित करने के लिए रिज़र्व बैंक और/ अथवा सरकार का अनुमोदन लेने की अपेक्षा बनी रहेगी।

(ई) इन मामलों में रिज़र्व बैंक तथा सेबी,कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, एवं भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) जैसी संस्थाओं द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई नीतियां एवं कार्यविधियां लागू होंगी।

(एफ) यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी निजी बैंक की पूंजीगत लिखतों की खरीद अथवा अन्य किसी माध्यम से अर्जन अर्जन के परिणाम स्वरूप किसी बैंक की प्रदत्त पूंजी के 5 प्रतिशत या उससे अधिक हिस्से पर उसका स्वामित्व अथवा नियंत्रण स्थापित होता हो, तो ऐसे मामले में निजी बैंक की पूंजीगत लिखतों की खरीद अथवा अन्य माध्यम से अर्जन के संबंध में रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश विदेशी निवेशों पर भी लागू होंगे।

(जी) विदेशी बैंकों द्वारा सहायक संस्था/ कंपनी की स्थापना

(i) विदेशी बैंकों को शाखा अथवा सहायक संस्था स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी, किन्तु एक साथ दोनों रखने की अनुमति नहीं होगी।

(ii) ऐसे विदेशी बैंक, जो अपने देश में बैंकिंग पर्यवेक्षण प्राधिकरण द्वारा विनियमित हैं और रिज़र्व बैंक की लाइसेंस प्रदान करने संबंधी शर्तों को पूरा करते हैं, को 100 प्रतिशत प्रदत्त पूंजी को धारित करने की अनुमति दी जाएगी ताकि वे भारत में पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था स्थापित कर सकें।

(iii) कोई विदेशी बैंक भारत में तीन चैनलों, अर्थात (i) शाखाएं (ii) पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था और (iii) किसी निजी बैंक में अधिकतम 74 प्रतिशत समग्र विदेशी निवेश सहित एक सहायक संस्था के रूप, में से किसी एक चैनल के द्वारा ही परिचालन कर सकता है।

(iv) किसी विदेशी बैंक को अपनी मौजूदा शाखाओं को सहायक संस्था के रूप में परिवर्तित कर अथवा नए बैंकिंग लाइसेंस के द्वारा पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी। किसी विदेशी बैंक को निजी क्षेत्र के किसी मौजूदा बैंक के शेयरों का अर्जन कर एक सहायक संस्था स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी; बशर्ते ऊपर पैरा (सी) में दी गई शर्त के अनुरूप निजी क्षेत्र के संबंधित बैंक की कम से कम 26 प्रतिशत प्रदत्त पूंजी हमेशा निवासियों की धारिता में रहे।

(v) किसी विदेशी बैंक की सहायक संस्था लाइसेंस प्राप्त करने संबंधी सभी अपेक्षाओं और निजी क्षेत्र के नए बैंक के लिए मोटे तौर पर लागू शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी।

(vi) किसी विदेशी बैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था की स्थापना से संबंधित दिशानिर्देश रिज़र्व बैंक द्वारा अलग से जारी किए जाएंगे।

(vii) किसी विदेशी बैंक द्वारा भारत में अपनी सहायक संस्था की स्थापना करने अथवा अपनी मौजूदा शाखाओं को सहायक संस्था के रूप में परिवर्तित करने से संबंधित सभी आवेदन रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किए जाएंगे।

(एच) इस समय बैंकिंग कंपनियों के मामले में मताधिकार 10 प्रतिशत तक सीमित है और इसे संभावित निवेशकों को ध्यान में रखना चाहिए।

(आई) सभी निवेश भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत बैंकिंग क्षेत्र के लिए विनिर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अधीन होंगे।

एफ़.3	**बैंकिंग - सार्वजनिक क्षेत्र**		
एफ़.3.1	बैंकिंग - सार्वजनिक क्षेत्र बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/80 के अधीन है। यह सीमा (20%) भारतीय स्टेट बैंक पर भी लागू है।	20%	सरकारी
एफ़. 4.	**प्रतिभूति बाज़ार में इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी**		
एफ़.4.1	सेबी के विनियमों के अनुपालन में प्रतिभूति बाज़ारों की इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनियां, यथा: स्टॉक एक्स्चेंज, कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज, निक्षेपागार और समाशोधन निगम	49%	स्वचालित
एफ़.4.2	अन्य शर्तें:		
	(ए) एफ़.पी.आई. द्वारा किए जाने वाले निवेशों सहित, विदेशी निवेश केंद्र सरकार, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों / विनियमावलियों के अधीन होंगे। (बी) इस विनियमावली में प्रयुक्त किए गए किन्तु परिभाषित न किए गए शब्दों एवं अभिव्यक्तियों के अर्थ क्रमशः वही होंगे जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) अथवा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) अथवा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) अथवा निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) अथवा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा इस संबंध में जारी विनियमावलियों और संबन्धित अधिनियमों/विनियमों में दिये गए हैं।		
एफ़.5	**कमोडिटी स्पॉट एक्स्चेंज**	49%	स्वचालित
एफ़.5.1	इनमें किए जेने वाले निवेश केंद्र/राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट दिशा-निर्देशों के अधीन होंगे।		
एफ़.6.	**पावर एक्स्चेंज**		
	केंद्रीय विद्युत विनियमन आयोग (पावर मार्केट) विनियमावली, 2010 के अनुसार पावर एक्सचेंज	49%	स्वचालित
एफ़.6.1	अन्य शर्तें		
	(ए) [28]लोप (बी) मिलकर कार्य करने वाले व्यक्तियों (acting in concert) सहित कोई भी अनिवासी निवेशक 5% से अधिक धारिता नहीं रखेगा। (सी) किया जाने वाला निवेश सेबी की विनियमावली, अन्य लागू विधि/ विनियम, सुरक्षा तथा शर्तों संबंधी अनुपालन के अधीन होंगे।		
एफ़.7	**ऋण आसूचना कंपनियां (सीआईसी)**	100%	स्वचालित
एफ़.7.1	अन्य शर्तें : (ए) ऋण आसूचना कंपनियों में विदेशी निवेश प्रत्यय विषयक जानकारी (ऋण आसूचना) कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियामी क्लियरेंस के अधीन होगा। (बी) एफआईआई द्वारा निवेश की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी : (i) किसी भी एक संस्था की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से धारिता 10% से कम हो; (ii) किसी भी अधिग्रहण के, 1% से अधिक होने पर इसकी सूचना अनिवार्यतः भारतीय रिज़र्व बैंक को दी		

[28] Deleted vide **विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली,** 2018, FEMA 20(R)(1) dated 26.03.18 G.S.R. No 279 (E) dated 26.03.18. Prior to deletion it read as "एफ़पीआई द्वारा किए जाने वाले निवेश द्वितीयक बाजार तक ही सीमित होंगे।"

	जाएगी; और (iii) सीआईसी में निवेश करने वाले एफआईआई, अपनी शेयरधारिता के आधार पर उसके निदेशक बोर्ड में प्रधिनिधित्व की मांग नहीं कर सकेंगे।		
एफ़.8	**बीमा**		
एफ़.8.1	(ए) बीमा कंपनी (बी) बीमा ब्रोकर (सी) थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर (डी) सर्वेक्षक और हानि आकलक (loss assessors (ई) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) के उपबंधों अंतर्गत नियुक्त अन्य मध्यवर्ती बीमा संस्थाएं	49%	स्वचालित
एफ़.8.2	अन्य शर्तें:		
	(ए) इस क्षेत्र में होने वाला प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बीमा अधिनियम,1938 के प्रावधानों के अनुपालन के अधीन होगा और इस शर्त के अधीन होगा कि एफडीआई लाने वाली कंपनियां बीमा गतिविधियों के लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) से आवश्यक लाइसेंस/ अनुमोदन प्राप्त करेंगी। (बी) भारतीय बीमा कंपनी यह सुनिश्चित करें कि हर समय उसका स्वामित्व और नियंत्रण केंद्र सरकार / भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) द्वारा निर्धारित किए अनुसार और उनके द्वारा जारी नियमों / विनियमों के अनुसरण में निवासी भारतीय एंटिटीयों के पास हो। (सी) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा मध्यवर्ती बीमा संस्था/ कंपनी के रूप में अनुमत कोई एंटिटी यदि बैंक है, जिसका प्राथमिक कारोबार बीमा क्षेत्र से भिन्न (अर्थात गैर-बीमा) है, तो उसमें विदेशी ईक्विटी निवेश की उच्चतम सीमा उस क्षेत्र के लिए लागू सीमा होगी और यह भी कि किसी भी वित्त वर्ष में उस एंटिटी का अपने प्राथमिक कारोबार (गैर-बीमा क्षेत्र से) से प्राप्त राजस्व उसके समग्र राजस्व के 50% से अधिक होना चाहिए। (डी) बैंक प्रवर्तित (promoted) बीमा कंपनियों के लिए "बैंकिंग-निजी क्षेत्र" संबंधी पैराग्राफ सं. एफ़ 2. 1 के प्रावधान लागू होंगे। (ई) शब्दावली - 'नियंत्रण', 'ईक्विटी शेयर पूंजी', 'प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ़डीआई)', 'विदेशी निवेशक', 'विदेशी पोर्टफोलियो निवेश', 'भारतीय बीमा कंपनी', 'भारतीय कंपनी', 'भारतीय बीमा कंपनी पर भारतीय नियंत्रण', 'भारतीय स्वामित्व', 'अनिवासी एंटिटी', 'सार्वजनिक वित्तीय संस्था', 'निवासी भारतीय नागरिक', 'कुल विदेशी निवेश' का अर्थ क्रमशः वही होगा जो वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 19 फरवरी 2015 की अधिसूचना सं.जी.एस.आर.115 (ई) तथा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) द्वारा समय समय पर जारी विनियमों में उन्हें दिया गया है।		
एफ़.9	**पेंशन क्षेत्र**	49%	स्वचालित
एफ़.9.1	(ए) इस क्षेत्र में पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) अधिनियम, 2013 के अनुसार विदेशी निवेश अनुमत है। (बी) पेंशन निधियों में विदेशी निवेश इस शर्त के अधीन होगा कि पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) अधिनियम, 2013 की धारा 24 के अनुसार भारतीय पेंशन फ़ंड की पूंजीगत लिखतों में निवेश करने वाली एंटीटीयां PFRDA से आवश्यक पंजीयन प्राप्त करेंगी और भारत में पेंशन निधि प्रबंधन गतिविधियों में भाग लेने के लिए पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत निर्मित नियमों और विनियमावली के अनुसार अन्य अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगी।		

	(सी) भारतीय पेंशन फ़ंड (संस्था) यह सुनिश्चित करें कि हर समय उसका स्वामित्व और नियंत्रण, केंद्र सरकार / पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा निर्धारित किए अनुसार और उनके द्वारा जारी नियमों / विनियमों के अनुसरण में, निवासी भारतीय एंटिटीयों के पास हो।		
एफ़. 10.	**अन्य वित्तीय सेवाएँ**	100%	स्वचालित
एफ़. 10.1	अन्य शर्तें		
	(ए) वित्तीय सेवा विनियमकों जैसे:- भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDA), पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA), राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) अथवा भारत साकार द्वारा अधिसूचित किए गए किसी अन्य वित्तीय क्षेत्र के विनियामक द्वारा विनियमित वित्तीय सेवाओं से संबंद्ध गतिविधियां । (बी) “अन्य वित्तीय सेवाओं” संबंधी गतिविधियों में किए जाने वाले विदेशी निवेश संबंधित विनियामक संस्था/ सरकारी एजेंसी द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम पूंजीकरण मानदंडों सहित विभिन्न शर्तों के अधीन होंगे। (सी) “अन्य वित्तीय सेवाओं” संबंधी गतिविधियाँ वित्तीय क्षेत्र के किसी एक विनियामक संस्था द्वारा विनियमित की जानी चाहिए। जहां वित्तीय क्षेत्र संबंधी सेवाएँ किसी विनियामक संस्था द्वारा विनियमित न की जाती हो, अथवा वित्तीय सेवाओं का कोई अंश मात्र ही विनियमित किया जाता हो, अथवा विनियामक ढांचे के बारे में संभ्रम की स्थिति हो, ऐसे मामलों में इस प्रकार की वित्तीय गतिविधियों में 100% विदेशी निवेश सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत अनुमत होगा और उस पर न्यूनतम पूंजीकरण मानदंडों सहित सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य शर्तें भी लागू होंगी। (डी) यदि कोई गतिविधि विशेष रूप से किसी अधिनियम के तहत विनियमित की जाती है और अधिनियम में उसका उल्लेख हो।, तो उसके लिए विदेशी निवेश की सीमाएं उस सीमा/ स्तर तक प्रतिबंधित होगी, जो संबंधित अधिनियम में विनिर्दिष्ट की गई है। (ई) “अन्य वित्तीय सेवाओं” संबंधी गतिविधियों में शामिल किसी भी एंटिटी द्वारा किए जाने वाले डाउनस्ट्रीम निवेश इन प्रावधानों के अधीन होंगे।		

(शेखर भटनागर)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

अनुसूची 1

[विनियम 5 (1) देखें]

भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा किसी भारतीय कंपनी की पूंजी लिखतों की खरीद / बिक्री

1. भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा किसी भारतीय कंपनी की पूंजी लिखतों की खरीद / बिक्री

(1) एक भारतीय कंपनी भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति को विनियम 16 में विनिर्दिष्ट प्रवेश मार्ग, क्षेत्र विशेष के लिए निर्धारित सीमा और अनुवर्ती शर्तों के अधीन पूंजीगत लिखत जारी कर सकती है।

(2) भारत के बाहर रह रहा कोई व्यक्ति भारत में स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध भारतीय कंपनी के पूंजी लिखतों को खरीद सकता है:बशर्ते

(ए) निवेश करने वाले भारत के बाहर रह रहे व्यक्ति ने पहले ही सेबी (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और टेक ओवर) विनियम, 2011 के अनुसार इस तरह की कंपनी का नियंत्रण हासिल कर लिया है और इस तरह के नियंत्रण को बनाए रखा है;

(बी) प्रतिफल राशि का भुगतान इस अनुसूची में निर्दिष्ट भुगतान के माध्यम के अनुसार या भारतीय निवेश प्राप्तकर्ता कंपनी जिसमें भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति ने सेबी विनियम, 2011 के अनुसार अधिग्रहण किया है और उसका नियंत्रण जारी रखा है द्वारा देय लाभांश से बाहर किया जा सकता है (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और टेकओवर) बशर्ते यह कि लाभांश प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त किया जा चुका है और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर शेयरों के अधिग्रहण के लिए विशेष रूप से विनिर्दिष्ट गैर-ब्याज वाले रुपए खाते में लाभांश राशि को जमा कर दिया गया है।

(3) एक अनिवासी एंटीटी द्वारा भारत में स्थापित एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, जो एक ऐसे क्षेत्र में परिचालन कर रही है, जहां स्वचालित मार्ग में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति है और कोई भी एफडीआई से जुड़ी हुई निष्पादन की शर्त नहीं है, - उक्त अनिवासी एंटीटी का पूर्व निगमन / पूर्व परिचालन व्यय के लिए उक्त अनिवासी एंटीटी द्वारा खर्च किए गए अपनी प्राधिकृत पूंजी के पांच प्रतिशत की सीमा या 500,000 अमरीकी डालर तक, जो भी कम हो, के समक्ष पूंजीगत लिखत निम्नलिखित शर्तों के अधीन जारी कर सकता है:

(ए) पूंजीगत लिखतों के जारी होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर,लेकिन निगमन की तारीख से एक वर्ष से अनअधिक अवधि में अथवा रिज़र्व बैंक या केंद्र सरकार द्वारा अनुमत समय के भीतर देती है, भारतीय कंपनी रिजर्व बैंक को फॉर्म एफसी-जीपीआर (FC-GPR) में लेनदेन की रिपोर्ट करेगी;

(बी) भारतीय कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा जारी इस आशय का एक प्रमाण पत्र कि पूर्व-निगमन / पूर्व-परिचालन व्ययों की राशि, जिनके समक्ष पूँजीगत लिखत जारी किए गए हैं, उसे उस प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया गया है जिसके लिए इसे प्राप्त किया गया था। इस प्रमाणपत्र को फॉर्म एफसी जीपीआर (FC-GPR) के साथ जमा किया जाना चाहिए ।

स्पष्टीकरण: पूर्व-निगमन / पूर्व- परिचालन व्यय में, निवेश प्राप्तकर्ता कंपनी के खाते में भारत में निवेशक के खाते में (यदि मौजूद है), किसी भी सलाहकार, वकील या किसी अन्य सामग्री / सेवा प्रदाता के लिए निगमन से संबंधित व्यय के लिए या आवश्यक परिचालनों को शुरू करने के लिए भेजी गई राशि शामिल होगी।

[29](4) कोई भारतीय कंपनी केन्द्र सरकार और / अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन के अधीन, भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति, यदि भारतीय निवेश प्राप्तकर्ता कंपनी स्वचालित मार्ग वाले क्षेत्रों में संलग्न है, को निम्नलिखित के बदले पूंजीगत लिखतें जारी कर सकती है:

(ए) पूंजीगत लिखतों को स्वैप कर के; अथवा

(बी) पूंजीगत माल / मशीनरी / उपकरण (सेकंड हैंड मशीनरी को छोड कर) का आयात कर के ; अथवा

(सी) प्रचालन-पूर्व/ निगमन-पूर्व व्यय (किराया आई के भुगतान सहित)

बशर्ते यदि निवेश प्राप्तकर्ता कंपनी सरकारी अनुमोदन क्षेत्रों में संलग्न हो, तो सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना होगा। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर यथा-निर्धारित तरीके से आवेदन करना होगा।

(5) एक भारतीय कंपनी भारत के बाहर ने निवासी किसी व्यक्ति को उसके द्वारा देय किसी भी निधि के लिए इक्विटी शेयर जारी कर सकती है, जिसके प्रेषण को अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों या इसके तहत जारी निर्देशों या अधिनियम के तहत या इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों या इसके तहत जारी निर्देशों के तहत जहां केंद्रीय सरकार या रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है अथवा अधिनियम के तहत या उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों या उसके तहत जारी निर्देशों के अनुसार उसे रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमति दी गई है ।

बशर्ते यह कि उस मामले में जहां विप्रेषण करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमति प्रदान की गई है, वहां भारतीय कंपनी ऐसे विप्रेषण पर इक्विटी शेयर जारी कर सकती है, लेकिन इस शर्त पर कि विलंब के संबंध में अथवा फेमा के अंतर्गत किए गए उल्लंघन अथवा उसके तहत बनाए गए विनियमों से संबंधित सभी विनियामक कार्रवाईयां पूर्ण की गई हैं।

(6) [30] लोप

2. भुगतान की विधि

(1) प्रतिफल राशि का भुगतान बैंकिंग चैनलों के माध्यम से आवक प्रेषण के रूप में या विदेशी मुद्रा प्रबंधन (जमा) विनियम, 2016 के अनुसार बनाए रखे एनआरई / एफसीएनआर (बी) / एस्क्रो अकाउंट में रखे गए बाही निधि से किया जाएगा।

स्पष्टीकरण: प्रतिफल राशि में निम्नलिखित शामिल होंगे:

(i) निवेशक को किसी देय निधि के प्रति भारतीय कंपनी द्वारा इक्विटी शेयरों का निर्गम।

(ii) पूंजीगत लिखतों के स्वैप से।

(2) इस प्रकार का निवेश करने वाले भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति को प्रतिफल की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर पूंजीगत लिखत जारी किए जाएंगे।

स्पष्टीकरण : आंशिक रूप से प्रदत्त इक्विटि शेयर के मामले में साठ दिन की अवधि प्रत्येक कॉल भुगतान की प्राप्ति की तारीख से गिनी जाएगी।

---

[29] Inserted vide **विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली,** 2018, FEMA 20(R)(1) dated ----- G.S.R. No --- dated 26.03.18 G.S.R. No 279 (E) dated 26.03.18. Prior to insertion it read as, *"(4) यदि भारतीय निवेश प्राप्तकर्ता कंपनी स्वचालित मार्ग क्षेत्र से जुड़ी हुई है, तो भारतीय कंपनी पूंजीगत लिखतों के स्वैप के जरिये भारत के बाहर रह रहे किसी व्यक्ति को पूंजीगत लिखत जारी कर सकती है।"*

[30] Deleted vide **विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली,** 2018, FEMA 20(R)(1) dated 26.03.18 G.S.R. No 279 (E) dated 26.03.18. Prior to Deletion read as *"कोई भारतीय कंपनी केन्द्र सरकार और / अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन के अधीन, भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति, यदि भारतीय निवेश प्राप्तकर्ता कंपनी स्वचालित मार्ग वाले क्षेत्रों में संलग्न है, को निम्नलिखित के बदले पूंजीगत लिखतें जारी कर सकती है: (ए) पूंजीगत लिखतों को स्वैप कर के; अथवा (बी) पूंजीगत माल / मशीनरी / उपकरण (सेकंड हैंड मशीनरी को छोड कर) का आयात कर के ; अथवा (सी) प्रचालन-पूर्व/ निगमन-पूर्व व्यय (किराया आई के भुगतान सहित)*
बशर्ते यदि निवेश प्राप्तकर्ता कंपनी सरकारी अनुमोदन क्षेत्रों में संलग्न हो, तो सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना होगा। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर यथा-निर्धारित तरीके से आवेदन करना होगा।"

(3) जहां प्रतिफल की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर ऐसे पूंजीगत लिखत जारी नहीं किए गए हैं वहाँ साठ दिन की अवधि पूर्ण होने की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर उसे संबंधित व्यक्ति को बैंकिंग चैनल के माध्यम से जावक विप्रेषण से अथवा उसके एनआरई/ एफ़सीएनआर(बी) खाते में जमा करके वापस किया जाएगा।

बशर्ते इस प्रकार से प्राप्त राशि को लौटने में हुए विलंब के लिए ब्याज यदि कोई हो, का भुगतान करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्धारित किए गए अनुसार रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन आवश्यक होगा।

(4)इस अनुसूची के अंतर्गत पूंजीगत लिखत जारी करने वाली भारतीय कंपनी विदेशी मुद्रा प्रबंध(भारत के निवासी व्यक्ति द्वारा मुदेशी मुद्रा खाता) विनियमावली, 2016 के अनुसार प्राधिकृत व्यापारी के साथ एक विदेशी मुद्रा खाता खोल सकता है।

3. बिक्रीगत आय का विप्रेषण

पूंजीगत लिखतों की बिक्रीगत आय(कर को घटकर) को भारत के बाहर विप्रेषित किया जाए अथवा संबंधित व्यक्ति के एनआरई/ एफ़सीएनआर(बी) खाते में जमा किया जाए।

अनुसूची - 2

[विनियम 5(2) देखें]

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्स्चेंज में सूचीबद्ध किसी भारतीय कंपनी की पूंजीगत लिखतों की खरीद / बिक्री

1. पूंजीगत लिखतों की खरीद / बिक्री

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्स्चेंज में सूचीबद्ध भारतीय कंपनी की पूंजीगत लिखतों की निम्नलिखित शर्तों के अधीन खरीद / बिक्री कर सकते हैं:

(1) प्रत्येक विदेशी संस्थागत निवेशक अथवा सेबी (एफ़पीआई) विनियमावली, 2014 में संदर्भित प्रत्येक निवेशक समूह द्वारा किसी भारतीय कंपनी की कुल शेयरधारिता कंपनी की पूर्णतः डाइलुटेड आधार पर कुल प्रदत्त इक्विटि पूंजी के 10 प्रतिशत से अनधिक होगी अथवा किसी भारतीय कंपनी द्वारा जारी अधिमानी शेयरों अथवा डिबेंचरों अथवा शेयर वारंटों की किसी श्रृंखला के प्रदत्त मूल्य के 10 प्रतिशत से अनधिक होगी और किसी कंपनी में सभी प्रकार के एफ़पीआई की शेयरधारिता डाइलुटेड आधार पर कंपनी के कुल प्रदत्त इक्विटि मूल्य के 24 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी अथवा कंपनी द्वारा जारी अधिमानी शेयरों अथवा डिबेंचरों अथवा शेयर वारंटों की किसी श्रृंखला के प्रदत्त मूल्य से अधिक नहीं होगी। उपर्युक्त 10 प्रतिशत और 24 प्रतिशत की सीमाओं को क्रमशः व्यक्तिगत सीमा और समग्र सीमा कहा जाएगा।

बशर्ते भारतीय कंपनी द्वारा 24 प्रतिशत की समग्र उच्चतम सीमा को उस कंपनी के क्षेत्र-विशेष के लिए निर्धारित सीमा / सांविधिक सीमा, जो भी लागू हो, तक बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते संबन्धित कंपनी के निदेशक बोर्ड तथा जनरल बॉडी द्वारा क्रमशः संकल्प पारित कर के और विशेष संकल्प के जरिए इसका अनुमोदन प्रदान करें।

(2) यदि एफ़पीआई द्वारा किसी भारतीय कंपनी की शेयरधारिता पूर्णतः डाइलुटेड आधार पर कंपनी की प्रदत्त इक्विटी पूंजी के 10 प्रतिशत अथवा उससे अधिक हो गई हो, अथवा किसी भारतीय कंपनी द्वारा जारी अधिमानी शेयरों अथवा डिबेंचरों अथवा शेयर वारंटों की किसी श्रृंखला के पूर्णतः डाइलुटेड आधार पर कंपनी की प्रदत्त पूंजी के मूल्य के 10 प्रतिशत या उससे अधिक हो गई हो, तो एफ़पीआई द्वारा किए गए समग्र निवेश को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसरण में FDI के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा तथा निवेशक और निवेश प्राप्तकर्ता कंपनी को इस विनियमावली के विनियम-13 में उल्लिखित रिपोर्टिंग संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन करना होगा।

(3) कोई एफ़पीआई किसी भारतीय कंपनी की पूंजीगत लिखतें पब्लिक ऑफर / निजी प्लेसमेंट के जरिए खरीद सकता है, बशर्ते वह इस अनुसूची में निर्दिष्ट व्यक्तिगत एवं समग्र सीमाओं के अधीन हो।

बशर्ते कि :

(i) यदि शेयरों की पब्लिक ऑफर दी जानी है, तो जारी किए जाने वाले शेयरों का मूल्य निवासियों के लिए जारी किए गए शेयरों के मूल्य से कम नहीं होगा; और

(ii) यदि निजी प्लेसमेंट जारी करने का मामला हो, तो मूल्य निम्नलिखित से कम नहीं होगा :

(ए) सेबी के दिशा-निर्देशों के अनुसरण में निर्धारित किया गया मूल्य; अथवा

(बी) किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मूल्य निर्धारण पद्धति के अनुसार 'आर्म्स लेंथ' आधार पर किया गया मूल्यांकन जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास पंजीकृत मर्चेन्ट बैंकर अथवा सनदी लेखाकार अथवा व्यावसायिक कॉस्ट अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया हो।

(4) कोई एफ़पीआई भारतीय रिज़र्व बैंक और सेबी द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अधीन प्रतिभूतियों की शॉर्ट सेलिंग कर सकता है तथा उसे उधार दे अथवा ले सकता है।

(5) इस अनुसूची के तहत किए गए निवेश भारतीय रिज़र्व बैंक / सेबी द्वारा यथा-निर्दिष्ट सीमाओं तथा मार्जिन अपेक्षाओं के अधीन होंगे साथ ही रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर समपार्श्विक प्रतिभूतियों के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के अधीन होंगे।

2. भुगतान का तरीका

(1) प्रतिफल राशि का भुगतान विदेश से सामान्य बैंकिंग चैनल के जरिए किए गए आवक विप्रेषण से अथवा विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 के अनुसरण में किसी बैंक के पास रखे विदेशी मुद्रा खाते और/ अथवा विशिष्ट अनिवासी रुपया (SNRR) खाते में जमा निधियों से किया जा सकता है।

(2) इन विदेशी मुद्रा खातों / SNRR खातों का उपयोग केवल और अनन्य रूप से इस अनुसूची के अंतर्गत किए जानेवाले लेनदेन के लिए किया जाएगा।

3. बिक्रीगत आय का विप्रेषण :

निवेशों से प्राप्त बिक्रीगत आय की राशि (लागू करों को घटाकर) का भारत से बाहर विप्रेषण किया जा सकता है अथवा उसे संबन्धित एफ़पीआई निवेशक के विदेशी मुद्रा खाते अथवा विशिष्ट अनिवासी रुपया (SNRR) खाते में जमा किया जा सकता है।

4. छूट :

एफ़पीआई के रूप में पंजीकरण से पूर्व अनुमानित एफ़पीआई द्वारा इस विनियमावली के अनुसरण में किए गए सभी निवेशों का वैध होना जारी रहेगा और समग्र सीमा की गणना के लिए ध्यान में लिया जाएगा।

अनुसूची - 3

[विनियम 5(3) देखें]

भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्स्चेंज में सूचीबद्ध भारतीय कंपनी की पूंजीगत लिखतों की किसी अनिवासी भारतीय (NRI) अथवा भारत के समुद्रपारीय नागरिक (OCI) द्वारा प्रत्यावर्तनीय आधार पर खरीद / बिक्री

1. पूंजीगत लिखतों की खरीद / बिक्री

कोई अनिवासी भारतीय (NRI) अथवा भारत का समुद्रपारीय नागरिक (OCI) प्रत्यावर्तनीय आधार पर, भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्स्चेंज में सूचीबद्ध भारतीय कंपनी की पूंजीगत लिखतों की निम्नलिखित शर्तों के अधीन खरीद / बिक्री कर सकता है:-

(1) अनिवासी भारतीय (NRI) अथवा भारत का समुद्रपारीय नागरिक (OCI) किसी प्राधिकृत व्यापारी द्वारा इस प्रयोजन से नामित शाखा के जरिए पूंजीगत लिखतें खरीद एवं बेच सकता है;

(2) किसी एक अनिवासी भारतीय (NRI) अथवा भारत के समुद्रपारीय नागरिक (OCI) द्वारा किसी भारतीय कंपनी की शेयरधारिता पूर्णतः डाइलुटेड आधार पर कंपनी की प्रदत्त इक्विटि पूंजी के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए अथवा किसी भारतीय कंपनी द्वारा जारी अधिमानी शेयरों अथवा डिबेंचरों अथवा शेयर वारंटों की किसी श्रृंखला के प्रदत्त मूल्य के पाँच प्रतिशत की सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा सभी अनिवासी भारतीयों (NRIs) अथवा भारत के समुद्रपारीय नागरिकों (OCIs) द्वारा किसी कंपनी की शेयरधारिता का समग्र प्रदत्त मूल्य संबंधित कंपनी पूर्णतः डाइलुटेड आधार पर जारी की कुल प्रदत्त इक्विटि पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए और डाइलुटेड आधार पर जारी अधिमानी शेयरों अथवा डिबेंचरों अथवा वारंटों की प्रत्येक श्रृंखला के अंतर्गत खरीदे गए प्रदत्त मूल्य के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए;

बशर्ते कि, इस खंड में संदर्भित दस प्रतिशत की समग्र उच्चतम सीमा को बढ़ाकर चौबीस प्रतिशत किया जा सकता है यदि संबंधित भारतीय कंपनी की जनरल बॉडी द्वारा इस आशय का विशेष संकल्प पारित किया जाए;

2. भुगतान का तरीका

(1) प्रतिफल राशि विदेश से सामान्य बैंकिंग चैनल के जरिए किए गए आवक विप्रेषण से अथवा विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 के अनुसरण में किसी बैंक के पास रखे अनिवासी बाह्य (NRE)खाते में जमा निधियों से अदा की जा सकती है।

(2) ऐसे NRE खाते को इस उद्देश्य के लिए NRE (PIS) खाते के रूप में नामित किया जाएगा तथा ऐसे नामित खाते का उपयोग अनन्य रूप से इस अनुसूची के तहत अनुमत लेनदेन करने के लिए किया जाएगा।

3. बिक्रीगत आय का विप्रेषण :

पूंजीगत लिखतों की बिक्रीगत आय की राशि (लागू करों को घटाकर) का भारत से बाहर विप्रेषण किया जा सकता है अथवा उसे संबन्धित व्यक्ति के NRE (PIS) खाते में जमा किया जा सकता है।

4. छूट :

नामित NRO (PIS) खाते को NRO खाते के रूप में पुनर्नामित किया जाएगा।

अनुसूची - 4

[विनियम 5(4) देखें]

अप्रत्यावर्तनीय आधार पर निवेश

ए. किसी अनिवासी भारतीय (NRI) अथवा भारत के समुद्रपारीय नागरिक (OCI) द्वारा अप्रत्यावर्तनीय आधार पर किसी भारतीय कंपनी की पूंजीगत लिखतों अथवा परिवर्तनीय नोटों अथवा यूनिटों की खरीद या बिक्री अथवा किसी एल.एल.पी. की पूंजी में अंशदान

1. पूंजीगत लिखतों अथवा परिवर्तनीय नोटों अथवा यूनिटों की खरीद या बिक्री अथवा किसी एल.एल.पी. की पूंजी में अंशदान

(1) भारत से बाहर निगमित कोई कंपनी, ट्रस्ट और एलएलपी, जो अनिवासी भारतीयों अथवा भारत के समुद्रपारीय नागरिकों द्वारा स्वाधिकृत और नियंत्रित हों, सहित अनिवासी भारतीय (NRI) अथवा भारत के समुद्रपारीय नागरिक (OCI) अप्रत्यावर्तनीय आधार पर निम्नलिखित की खरीद अथवा अंशदान, जैसा भी मामला हो, कर सकते हैं :

(ए) बिना किसी सीमा के किसी स्टॉक एक्स्चेंज अथवा उससे बाहर किसी कंपनी द्वारा जारी पूंजीगत लिखतें;

(बी) बिना किसी सीमा के किसी स्टॉक एक्स्चेंज अथवा उससे बाहर किसी निवेश माध्यम (इनवेस्टमेंट वेहिकाल) द्वारा जारी यूनिटें;

(सी) किसी सीमित देयता भागीदारी (एल.एल.पी.) फ़र्म की पूंजी में अंशदान;

(डी) इस विनियमावली के अंतर्गत किसी स्टार्टअप कंपनी द्वारा जारी परिवर्तनीय नोट;

(2) उपर्युक्त उप-पैराग्राफ 1 में उल्लिखित निवेशों को घरेलू निवेश माना जाएगा, जो निवासियों द्वारा किए गए निवेशों के सममूल्य होगा।

2. कतिपय कंपनियों की पूंजीगत लिखतों की खरीद पर प्रतिबंध ।

उपर्युक्त पैराग्राफ-1 में उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी, भारत से बाहर निगमित कोई कंपनी, ट्रस्ट और एलएलपी, जो अनिवासी भारतीयों अथवा भारत के समुद्रपारीय नागरिकों द्वारा स्वाधिकृत और नियंत्रित हों, सहित अनिवासी भारतीय (NRI) अथवा भारत के समुद्रपारीय नागरिक (OCI) है इस अनुसूची के अंतर्गत, किसी निधि कंपनी अथवा कृषि / बागवानी गतिविधियों अथवा रियल इस्टेट कारोबार अथवा फार्म हाउस के निर्माण अथवा हस्तांतरणीय विकास अधिकार में संलग्न कंपनियों की पूंजीगत लिखतों अथवा यूनिटों में निवेश नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण : "रियल इस्टेट कारोबार" का तात्पर्य वही होगा जो विनियम 16 में दिया गया है।

3. भुगतान का तरीका

प्रतिफल राशि विदेश से सामान्य बैंकिंग चैनल के जरिए किए गए आवक विप्रेषण से अथवा विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 के अनुसरण में किसी बैंक के पास रखे NRE/ FCNR(B)/ NRO खाते में जमा निधियों से अदा की जा सकती है।

4. बिक्री / परिपक्वता राशि

(1) खरीदी गई पूंजीगत लिखतों की बिक्री/ परिपक्वता राशि (लागू करों को घटाकर) अथवा किसी एलएलपी के विनिवेश प्राप्तियाँ केवल निवेशक के एन.आर.ओ.(NRO) खाते में जमा की जाएगी, भले ही प्रतिफल राशि का भुगतान किसी भी स्वरूप के खाते से किया गया हो।

(2) भारतीय कंपनी की पूंजीगत लिखतों में किए गए निवेश की राशि अथवा किसी एल.एल.पी. की पूंजी में अंशदान के लिए प्रतिफल राशि और तत्पश्चात हुई पूंजीगत मूल्य-वृद्धि की राशि देश से बाहर प्रत्यावर्तित किए जाने की अनुमति नहीं है।

बी. किसी फ़र्म अथवा स्वामित्व संस्था में निवेश

1. किसी फ़र्म अथवा स्वामित्व संस्था की पूंजी में अंशदान

कोई अनिवासी भारतीय (NRI) अथवा भारत का समुद्रपारीय नागरिक (OCI) अप्रत्यावर्तनीय आधार पर भारत में किसी फ़र्म अथवा स्वामित्व संस्था की पूंजी में अंशदान के माध्यम से निवेश कर सकता है, बशर्ते कि वह फ़र्म अथवा सवामित्व संस्था कृषि / बागवानी गतिविधियों अथवा प्रिंट मीडिया अथवा रियल इस्टेट कारोबार से जुड़ी न हों।

स्पष्टीकरण : "रियल इस्टेट कारोबार" का तात्पर्य वही होगा जो विनियम 16 में दिया गया है।

2. भुगतान का तरीका

प्रतिफल की राशि विदेश से सामान्य बैंकिंग चैनल के जरिए किए गए आवक विप्रेषण से अथवा विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 के अनुसरण में किसी बैंक के पास रखे NRE/ FCNR(B)/ NRO खाते में जमा निधियों से अदा की जा सकती है।

3. बिक्री / परिपक्वता राशि

(1) विनिवेश प्राप्तियाँ केवल संबन्धित व्यक्ति के एन.आर.ओ.(NRO) खाते में जमा की जाएगी, भले ही प्रतिफल राशि का भुगतान किसी भी स्वरूप के खाते से किया गया हो।

(2) किसी फ़र्म अथवा स्वामित्व संस्था की पूंजी में अंशदान करने के उद्देश्य से किए गए निवेश की राशि और तत्पश्चात हुई पूंजीगत मूल्य-वृद्धि की राशि देश से बाहर प्रत्यावर्तित किए जाने की अनुमति नहीं है।

अनुसूची 5

[विनियम 5(5) देखें]

भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा पूंजीगत लिखतों को छोड़कर प्रतिभूतियों की खरीद एवं बिक्री

1. भारत से बाहर निवासी व्यक्ति को अनुमति प्रदान करना

ए. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) को अनुमति प्रदान करना

एफपीआई प्रत्यावर्तनीय आधार पर निम्नलिखित लिखतों की खरीद कर सकता है, बशर्ते वह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड तथा रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करे :

(ए) दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियां/ खजाना बिल;

(ब) भारतीय कंपनी द्वारा जारी गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर/ बॉन्ड;

(सी) भारतीय कंपनी द्वारा जारी वाणिज्यिक पत्र;

(डी) घरेलू म्यूचुअल फंड के यूनिट्स;

(ई) आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रत्येक खंड के 100 प्रतिशत तक की प्रतिभूति रसीद (एसआर), बशर्ते रिज़र्व बैंक के निदेशों/दिशानिर्देशों का पालन करे;

(एफ) भारत में स्थित बैंकों द्वारा अपनी पूंजी (रिज़र्व बैंक द्वारा यथा परिभाषित टिअर I पूंजी और टिअर II पूंजी) में वृद्धि करने के लिए जारी की गई टिअर I पूंजी के रूप में शामिल किए जाने के लिए पात्र बेमियादी ऋण लिखत और उच्चतर टिअर II पूंजी के रूप में शामिल किए जाने के लिए पात्र ऋण पूंजी लिखत, बशर्ते सभी पात्र निवेशकों द्वारा बेमियादी ऋण लिखतों (टिअर I) में निवेश, प्रत्येक निर्गम के 49 प्रतिशत की कुल सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए तथा किसी एक एफपीआई द्वारा किया गया निवेश प्रत्येक निर्गम के 10 प्रतिशत की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए;

(जी) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, जिसे रिज़र्व बैंक द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियों (आईएफसी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है द्वारा निर्गत अपरिवर्तनीय डिबेंचर/बॉन्ड;

बशर्ते इसमें ऐसी लिखतें शामिल होंगी जो 03 नवंबर 2011 को या बाद में जारी की गई हों और अनुमानित एफपीआई की धारिता में हो;

(एच) इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण फंड द्वारा जारी रुपया मूल्यवर्ग के बॉन्ड/यूनिट्स;

बशर्ते इसमें ऐसी लिखतें शामिल होंगी जो 22 नवंबर 2011 को या बाद में जारी की गई हों और अनुमानित एफपाई की धारित में हो;

(आई) ऋण वर्धित बॉन्ड;

(जे) इन विनियमों के विनियम 9 के अनुसार जारी सूचीबद्ध गैर-परिवर्तनीय/ मोचन योग्य अधिमान शेयर या डिबेंचर;

(के) प्रतिभूतिकरण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदे, बशर्ते वह रिज़र्व बैंक एवं/या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करे;

(एल) प्रतिभूतिकृत ऋण लिखत, जिसमें (i) बतौर ओरिजिनेटर बैंकों, वित्तीय संस्थाओं या एनबीएफसी के पास आस्तियों के प्रतिभूतिकरण हेतु तैयार किए गए स्पेशल परपस वेहिकल (एसपीवी) द्वारा जारी कोई प्रमाणपत्र या लिखत; एवं/ या (ii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पब्लिक ऑफर एवं प्रतिभूतिकृत ऋण लिखतों को सूची में शामिल करने संबंधी विनियम), 2008 के अनुसार जारी और सूचीबद्ध कोई प्रमाणपत्र या लिखत।

बशर्ते, एफपीआई इस प्रकार के लिखतों को, रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर प्रदान की गई अनुमति के अनुसार, भारत में मान्यता प्राप्त शेयर बाजारों को संपार्श्विक के रूप में जारी कर सकता है, ताकि एक्सचेंज ट्रेडेट डेरिवेटिव कान्ट्रैक्ट में उसका लेनदेन किया जा सके, जैसा विनियम 5 के उप-विनियम 5 में विनिर्दिष्ट किया गया है।

बी. अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) या समुद्रपारीय भारतीय नागरिकों (ओसीआई) को अनुमति प्रदान करना - प्रत्यावर्तनीय आधार पर

(1) अनिवासी भारतीय या समुद्रपारीय भारतीय नागरिक (ओसीआई), अप्रत्यावर्तनीय आधार पर निम्नलिखित लिखतों की, बगैर सीमा के, खरीद कर सकता है;

(ए) सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियां (धारक प्रतिभूतियों के अलावा) या खजाना बिल या घरेलू म्यूचुअल फंड के यूनिट ;

(बी) भारत में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा जारी बॉन्ड;

(सी) केंद्र सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश किए गए शेयर, बशर्ते यह खरीद, बोलियां आमंत्रित करने वाली निविदा में निर्धारित नियमों व शर्तों के अनुसार हो;

(डी) इन्फ्रास्ट्रक्चर डेट फंड द्वारा जारी बॉन्ड/यूनिट्स;

(ई) इन विनियमो के विनियम 9 के अनुसार जारी सूचीबद्ध गैर-परिवर्तनीय/मोचन योग्य अभिमान शेयर या डिबेन्चर;

(2) कोई एनआरआई या ओसीआई भारत में बैंकों द्वारा अपनी पूंजी में वृद्धि करने के लिए निर्गत टिअर I पूंजी के रूप में शामिल किए जाने के लिए पात्र बेमियादी ऋण लिखत एवं उच्चतर टिअर II पूंजी के रूप में शामिल किए जाने के लिए पात्र ऋण पूंजी लिखतों को स्वदेश-प्रत्यावर्तन आधार पर खरीद सकता है, जैसा रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित किया गया है। बेमियादी ऋण लिखतों (टिअर I) में सभी एनआरआई या ओसीआई द्वारा निवेश प्रत्येक निर्गम के 24 प्रतिशत की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होने चाहिएं और किसी एक एनआरआई या ओसीआई द्वारा निवेश प्रत्येक निर्गम के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। एनआरआई या ओसीआई द्वारा ऋण पूंजी लिखतों (टिअर II) में निवेश, एनआरआई या ओसीआई द्वारा अन्य ऋण लिखतों में निवेश के संबंध में जो वर्तमान नीति है, उसके अनुसार होने चाहिएं।

(3) कोई एनआरआई पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा शासित और प्रशासित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सब्सक्राइब कर सकता है, बशर्ते वह पीएफआरडीए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निवेश करने के लिए पात्र हो। अधिवर्षिता /संचित बचत का प्रत्यावर्तनीय होगी।

बशर्ते, एनआरआई/ओसीआई इस प्रकार के लिखतों को, रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर प्रदान की गई अनुमति के अनुसार, भारत में मान्यता प्राप्त शेयर बाजारों को संपार्श्विक के रूप में जारी कर सकता है, ताकि एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव कान्ट्रैक्ट में उसका लेनदेन किया जा सके, जैसा विनियम 5 के उप-विनियम 5 में विनिर्दिष्ट किया गया है।

सी. अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) या समुद्रपारीय भारतीय नागरिकों (ओसीआई) को अनुमति प्रदान करना - अप्रत्यावर्तनीय आधार पर

(1) कोई एनआरआई या ओसीआई, बगैर सीमा के, अप्रत्यावर्तनीय आधार पर दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों (धारक प्रतिभूतियों के अलावा), खजाना बिल, घरेलू म्यूचुअल फंड के यूनिटों , मुद्रा बाजार म्यूचुअल फंड ke यूनिट, या राष्ट्रीय योजना/ बचत प्रमाणपत्रों की खरीद कर सकता है।

(2) कोई एनआरआई या ओसीआई, बगैर सीमा के, अप्रत्यावर्तनीय आधार पर इन नियमावलियों के विनयम 9 के अनुसार सूचीबद्ध अपरिवर्तनीय/मोचन योग्य अधिमान शेयर या डिबेंचर की खरीद कर सकता है।

(3) कोई एनआरआई या ओसीआई, बगैर सीमा के, अप्रत्यावर्तनीय आधार पर चिट फंड में निवेश कर सकता है जो रजिस्ट्रार ऑफ चिट द्वारा प्राधिकृत हो या इस हेतु राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत हो।

डी. सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद के लिए विदेशी केंद्रीय बैंकों या बहुपक्षीय विकास बैंकों को अनुमति प्रदान करना

(1) विदेशी केंद्रीय बैंक द्वितीयक बाजार में दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों/खजाना बिलों की खरीद और बिक्री कर सकता है, बशर्ते रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करे।

(2) विदेशी केंद्रीय बैंक दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों/खजाना बिलों की खरीद और बिक्री कर सकता है, बशर्ते रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करे।

(3) कोई बहुपक्षीय विकास बैंक, जिसे भारत में रुपया बॉन्ड जारी करने के लिए भारत सरकार की ख़ास तौर पर अनुमति प्राप्त है, सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों की खरीद कर सकता है।

ई. प्रतिभूतियों की खरीद के लिए अन्य अनिवासी निवेशकों को अनुमति प्रदान करना

(1) दीर्घकालिक निवेशक, जैसे, साव्रिन वेल्थ फंड (एसडब्ल्यूएफ), बहुदेशीय एजंसियां, एन्डाउमन्ट फंड, इन्श्योरन्स फंड, पेंशन फंड, जो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेट फंड में पात्र निवेशकों के रूप में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के साथ पंजीकृत हैं, स्वदेश-प्रत्यावर्तन आधार पर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेट फंड द्वारा जारी रुपया मूल्यवर्ग के बॉन्ड/यूनिट्स की खरीद कर सकते हैं।

(2) दीर्घकालिक निवेशक, जैसे, सोवरिन वेल्थ फंड (एसडब्ल्यूएफ), बहुदेशीय एजंसियां, एन्डाउमन्ट फंड, इन्श्योरन्स फंड, पेंशन फंड और विदेशी केंद्रीय बैंक, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के साथ पंजीकृत हैं, स्वदेश-प्रत्यावर्तन आधार पर निम्नलिखित लिखतों की खरीद कर सकते हैं, बशर्ते रिज़र्व बैंक एवं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जानी वाली शर्तों को पूरा करे :

(ए) दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियां/खजाना बिल;

(ब) भारतीय कंपनी द्वारा जारी वाणिज्यिक पत्र;

(सी) घरेलू म्यूचुअल फंड की यूनिट्स;

(डी) भारतीय कंपनी द्वारा जारी सूचीबद्ध अपरिवर्तनीय डिबेंचर/ बॉन्ड;

(ई) इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में भारतीय कंपनी द्वारा जारी सूचीबद्ध एवं असूचीबद्ध अपरिवर्तनीय डिबेंचर/बॉन्ड। 'इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र' शब्द का वही अर्थ है जैसा भारत सरकार द्वारा दिनांक 27 मार्च 2012 को यथा संशोधित/अद्यतन की गई अधिसूचना संख्या एफ.सं.13/06/2009-आईएनएफ द्वारा अनुमोदित इन्फ्रास्ट्रक्चर उप-क्षेत्रों की सुसंगत मास्टर सूची में दिया गया है;

(एफ) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, जिसे रिज़र्व बैंक द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियों (आईएफसी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है, द्वारा निर्गत गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर/ बॉन्ड;

(जी) आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रत्येक खंड के 100 प्रतिशत तक की प्रतिभूति प्राप्तियां (एसआर), बशर्ते रिज़र्व बैंक के निदेशों/दिशानिर्देशों का पालन करे;

(एच) भारत में बैंकों द्वारा अपनी पूंजी (रिज़र्व बैंक द्वारा यथा परिभाषित टिअर I पूंजी और टिअर II पूंजी) में वृद्धि करने के लिए निर्गत टिअर I पूंजी के रूप में शामिल किए जाने के लिए पात्र बेमियादी ऋण लिखत और उच्चतर टिअर II पूंजी के रूप में शामिल किए जाने के लिए पात्र ऋण पूंजी लिखत, बशर्ते सभी पात्र निवेशकों द्वारा बेमियादी ऋण लिखतों (टिअर I) में निवेश, प्रत्येक निर्गम के 49 प्रतिशत की कुल सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए तथा किसी एक दीर्घ कालिक निवेशक द्वारा निवेश प्रत्येक निर्गम के 10 प्रतिशत की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए;

(आई) गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर/बॉन्ड का प्राथमिक निर्गम, बशर्ते ऐसे गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर/बॉन्ड को निवेश की तारीख से 15 दिनों के भीतर सूचीबद्ध कर दिया जाए। यदि लिखतों को निर्गम की तारीख से 15 दिनों के भीतर सूचीबद्ध नहीं किया जाता है तो दीर्घ-कालिक निवेशक ऐसे लिखतों को तृतीय पक्ष या निर्गमकर्ता को बिक्री के माध्यम से तत्काल निपटा

सकता है और दीर्घ-कालिक निवेशकों के ऑफर की शर्तों में यह खंड होना चाहिए कि इस प्रकार की संभाव्य घटना की स्थिति में ऐसी लिखतों के निर्गमकर्ता इन प्रतिभूतियों को दीर्घ-कालिक निवेशकों से तत्काल रिडीम/बाइबैक कर ले।

(जे) ऋण वर्धित बॉन्ड;

(के) इन विनियमों के विनियम 9 के अनुसार जारी सूचीबद्ध अपरिवर्तनीय/ मोचन योग्य अधिमान शेयर या डिबेंचर;

(एल) प्रतिभूतिकरण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदे, जो रिज़र्व बैंक एवं/ या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन है;

2. भुगतान के प्रकार

(1) एफपीआई द्वारा लिखतों की खरीद हेतु प्रतिफल की राशि का भुगतान बैंकिंग चैनलों के जरिए विदेश से आवक विप्रेषण में से किया जाएगा या विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 के अनुसार रखे गए विदेशी मुद्रा खाता एवं/ या विशेष अनिवासी रुपया (एसएनआरआर) खाते में धारित निधियों में से किया जाएगा। विदेशी मुद्रा खाता एवं एसएनआरआर खाते का उपयोग सिर्फ और सिर्फ इस अनुसूची के तहत आने वाले लेनदेनों के लिए किया जाएगा।

(2) एनआरआई या ओसीआई द्वारा प्रत्यावर्तनीय आधार पर लिखतों की खरीद हेतु प्रतिफल की राशि का भुगतान बैंकिंग चैनलों के जरिए विदेश से आवक विप्रेषणों में से किया जाएगा या विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 के अनुसार रखे गए एनआरई/एफसीएनआर(बी) खातों में धारित निधियों में से किया जाएगा।

(3) (ए) एनआरआई या ओसीआई द्वारा अप्रत्यावर्तनीय आधार पर लिखतों की खरीद एवं (बी) एनआरआई/ओसीआई द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सब्सक्रिप्शन हेतु प्रतिफल की राशि का भुगतान बैंकिंग चैनलों के जरिए विदेश से आवक विप्रेषणों में से या विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 के अनुसार रखे गए एनआरई/एफसीएनआर(बी)/एनआरओ खातों में धारित निधियों में से किया जाएगा।

(4) विदेशी केंद्रीय बैंक या बहुपक्षीय विकास बैंक द्वारा सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों की खरीद हेतु प्रतिफल की राशि का भुगतान बैंकिंग चैनलों के जरिए विदेश से आवक विप्रेषणों में से या भारतीय रिज़र्व बैंक के विशेष अनुमोदन से खोले गए खाते में धारित निधियों में से किया जाएगा।

(5) अन्य अनिवासी निवेशकों द्वारा लिखतों की खरीद हेतु प्रतिफल की राशि का भुगतान बैंकिंग चैनलों के जरिए विदेश से आवक विप्रेषणों में से किया जाएगा।

3. लिखतों की बिक्री हेतु अनुमति प्रदान करना

भारत से बाहर का निवासी कोई व्यक्ति, जिसने इस अनुसूची के अनुसार लिखतों की खरीद की है, लिखतों की बिक्री/मोचन कर सकता है, बशर्ते रिज़र्व बैंक एवं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली ऐसे नियम व शर्तों को पूरा करे।

4. बिक्री/परिपक्वता से प्राप्त राशियों का विप्रेषण/ को जमा करना

(1) विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा धारित लिखतों की बिक्री/ परिपक्वता से प्राप्त राशियों (करों को घटाकर) को भारत से बाहर विप्रेषित किया जा सकता है या एफपीआई के विदेशी मुद्रा खाता या एसएनआरआर खाते में जमा किया जा सकता है।

(2) एनआरआई या ओसीआई द्वारा धारित लिखतों की निवल बिक्री/ परिपक्वता से प्राप्त राशि(करों को घटाकर) को :

(ए) जहां लिखतों को अप्रत्यावर्तनीय आधार पर धारण किया गया है वहाँ संबंधित व्यक्ति के एनआरओ खाते में जमा किया जाएगा

(बी) जहां विक्रय लिखतों की खरीद के लिए भुगतान एनआरओ खाते में धारित निधियों में से किया गया था, वहाँ संबंधित व्यक्ति के एनआरओ खाते में जमा किया जाएगा या

(सी) जहां लिखतों की खरीद प्रत्यावर्तनीय आधार पर किया गया है, वहाँ वेदेश विप्रेषित किया जाएगा या एनआरआई/ओसीआई निवेशक के विकल्प के अनुसार उसके एनआरई/एफसीएनआर(बी)/एनआरओ खाते में जमा किया जाएगा,

(3) अन्य सभी मामलों में, बिक्री/ परिपक्वता से प्राप्त राशीयों (करों को घटाकर) को सीमापार विप्रेषित किया जाएगा या रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमति से खोले गए खाते में जमा किया जाएगा।

अनुसूची - 6

[नियम - 5(6) देखें]

सीमित देयता भागीदारी फर्म (एलएलपी) में निवेश

1. एल.एल.पी. में निवेश :

(1) एक व्यक्ति जो भारत से बाहर का निवासी है (पाकिस्तान तथा बांग्लादेश के नागरिक को छोड़कर) अथवा भारत से बाहर निगमित संस्था (पाकिस्तान तथा बांग्लादेश में निगमित संस्था को छोड़कर), विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) अथवा विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक (एफवीसीआई) नहीं है, ऐसे क्षेत्रों / गतिविधियों में परिचान करने वाली एलएलपी की पूंजी में योगदान दे सकता है, जहां स्वचालित मार्ग के तहत 100% तक का विदेशी निवेश स्वीकार्य हो तथा इन नियमों में एफडीआई से सम्बद्ध निष्पादन की शर्तें निर्धारित नहीं हों ।

(2) "लाभ शेयरr" के रूप में निवेश आय के पुनर्निवेश की श्रेणी के अंतर्गत आयेगा ।

(3) एलएलपी में निवेश सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की शर्तों के अनुपालन के अधीन है।

(4) एक कंपनी जिसमें विदेशी निवेश है और किसी ऐसे क्षेत्र में कार्यरत है जहां स्वचालित मार्ग के तहत 100% तक का विदेशी निवेश स्वीकार्य है तथा एफडीआई से सम्बद्ध निष्पादन की शर्तें नहीं हैं, उसे स्वचालित मार्ग के तहत एक एलएलपी में परिवर्तित किया जा सकता है ।

(5) एक एलएलपी जिसमें विदेशी निवेश है, किसी ऐसे क्षेत्र में कार्यरत है जहां जहां स्वचालित मार्ग के तहत 100% तक का विदेशी निवेश अनुमत है तथा एफडीआई से सम्बद्ध निष्पादन की शर्तें नहीं हैं, उसे स्वचालित मार्ग के तहत एक कंपनी में परिवर्तित किया जा सकता है ।

(6) एलएलपी में या तो पूंजी योगदान के रूप में अथवा लाभ शेयर के अधिग्रहण/अंतरण करने के रूप में निवेश, किसी मूल्यांकन मानदण्ड के अनुसार, जो बाजार प्रथाओं के अनुसार (इसके बाद इसको "पूंजी योगदान का उचित मूल्य / एक एलएलपी के लाभ शेयर" कहा जाएगा) अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार/अपनाए गए हैं, अभिकलित किए गए उचित मूल्य से कम नहीं होना चाहिए तथा सनदी लेखाकार द्वारा अथवा प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट अथवा केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पैनल से स्वीकृत वैलुअर द्वारा इस आशय का एक मूल्यांकन प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा ।

(7) भारत में निवास करने वाले व्यक्ति से भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति को पूंजी योगदान / लाभ शेयर के अंतरण के मामले में, अंतरण इसे ध्यान में रखते हुए होगा कि यह पूंजी योगदान के उचित मूल्य / एक एलएलपी के लाभ के हिस्से से कम नहीं हो । आगे, भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति से भारत में निवास करने वाले व्यक्ति को पूंजी योगदान / लाभ के हिस्से के अंतरण के मामले में, अंतरण इसे ध्यान में रखते हुए होगा कि यह पूंजी योगदान एक एलएलपी के लाभ शेयर के उचित मूल्य से अधिक नहीं हो ।

2. भुगतान का माध्यम

एक निवेशक के द्वारा एक एलएलपी के पूंजी योगदान के प्रति किया जाने वाला भुगतान बैंकिंग चैनल के माध्यम से आवक प्रेषण के रूप में अथवा विदेशी मुद्रा प्रबंधन (जमा) विनियमावली, 2016 के अनुसार बनाए रखे एनआरई अथवा एफसीएनआर(बी) खाते में धारित निधियों में से किया जाएगा ।

3. विनिवेश प्राप्तियों का प्रेषण

विनिवेश प्राप्तियों का प्रेषण भारत के बाहर भी किया जा सकता है अथवा संबंधित व्यक्ति के एनआरई अथवा एफसीएनआर(बी) खाते में जमा किया जा सकता है ।

अनुसूची 7

[विनियम 5(7) देखें]

विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक (FVCI) द्वारा निवेश

1. विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक (FVCI) द्वारा निवेश

(1) कोई विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित शर्तों के तहत निम्नलिखित की खरीद कर सकता है :

(ए) इस अनुसूची के पैरा 4 में उल्लिखित किसी क्षेत्र में लिप्त भारतीय कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूतियां और उक्त प्रतिभूतियों के जारी होने के समय जिसकी प्रतिभूतियां किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्स्चेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं;

(बी) किसी स्टार्टअप द्वारा जारी प्रतिभूतियां;

(सी) किसी जोखिम पूंजी निधि (VCF) अथवा श्रेणी-I आनुकल्पित निवेश निधि (AIF) की यूनिटें अथवा किसी जोखिम पूंजी निधि अथवा श्रेणी-I आनुकल्पित निवेश निधि (AIF) द्वारा स्थापित योजना अथवा निधि की यूनिटें।

बशर्ते कि यदि निवेश पूंजी लिखतों में है, तो क्षेत्रवार सीमा (कैप्स), प्रवेश मार्ग और अनुवर्ती शर्तें लागू होंगी।

(2) विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक उल्लिखित प्रतिभूतियों / लिखतों को इन प्रतिभूतियों / लिखतों को इनके जारीकर्ता से अथवा प्रतिभूतियों / लिखतों के धारक से खरीद सकता है। विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (FVCI) विनियमावली, 2000 के प्रावधानों के अधीन किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्स्चेंज में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में निवेश कर सकता है।

(3) विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक को जिन प्रतिभूतियों/लिखतों में निवेश करने के लिए अनुमत है, उन्हें क्रेता और विक्रेता/निर्गमकर्ता से, आपसी स्वीकार्य कीमत पर,भारत में निवास करनेवाले निवासी व्यक्ति अथवा भारत के बाहर निवास करनेवाले व्यक्ति से खरीदकर अथवा अन्यथा अर्जित कर सकता है अथवा बिक्री अथवा अन्यथा के माध्यम से अंतरित कर सकता है। विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक जोखिम पूंजी निधियों अथवा श्रेणी-I आनुकल्पिक निवेश निधियों (AIF) अथवा जोखिम पूंजी निधियों अथवा श्रेणी-I आनुकल्पिक निवेश निधियों (AIF) द्वारा स्थापित योजना / निधियों के परिसमापन पर आगम राशि भी प्राप्त कर सकता है।

2.भुगतान के माध्यम

(1) प्रतिफल राशि बैंकिंग चैनलों के जरिए विदेश से किए गए आवक विप्रेषण से अथवा विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 के अनुसार बनाए रखे गए विदेशी मुद्रा खाते और/ अथवा विशेष अनिवासी रुपया (एसएनआरआर) खाते में धारित निधियों में से अदा की जा सकेगी।

(2) विदेशी मुद्रा खाते और विशेष अनिवासी रुपया (एसएनआरआर) खाते का उपयोग केवल इस अनुसूची के अंतर्गत लेनदेन के लिए ही किया जाएगा।

3. बिक्रीगत/ परिपक्वतागत आगम राशि का विप्रेषण

प्रतिभूतियों की बिक्रीगत/ परिपक्वतागत आगम राशि (करों को घटकर) का विप्रेषण भारत के बाहर किया जा सकता है अथवा विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक के विदेशी मुद्रा खाते अथवा विशेष अनिवासी रुपया (एसएनआरआर) खाते में जमा किया जा सकता है।

4. उन क्षेत्रों की सूची जिनमें विदेशी जोखिम पूंजी निवेशकों को निवेश की अनुमति है

1. जैवप्रौद्योगिकी (बायोटेक्नालॉजी)
2. सूचना प्रौद्योगिकी से संबन्धित हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का विकास
3. नैनोटेक्नालॉजी
4. बीज अनुसंधान एवं विकास (Seed research and development)
5. फार्मास्युटिकल क्षेत्र में नए रसायन एंटीटी का अनुसंधान एवं विकास
6. डेरी उद्योग
7. मुर्गीपालन (पोल्ट्री) उद्योग
8. जैव-ईंधन (बायो-फ्यूल) का उत्पादन
9. तीन हज़ार से अधिक सीटों की क्षमता वाले होटल-सह-कन्वेन्शन केन्द्र
10. इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र- इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र का वही अर्थ हो जो समय- समय पर यथासंशोधित/अद्यतन किए गए दिनांक 27 मार्च, 2012 की अधिसूचना एस.सं.13/06/2009-आईएनएफ के माध्यम से भारत सरकार द्वारा अनुमोदित इन्फ्रास्ट्रक्चर उप-क्षेत्रों की सुसंगत मास्टर सूची में दिया गया है।

अनुसूची 8

[विनियम 5(8) देखें]

भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा निवेश संस्था (investment vehicle) में निवेश

1. निवेश संस्था की यूनिटों में निवेश

(1) भारत से बाहर का निवासी कोई व्यक्ति (पाकिस्तान तथा बांग्लादेश के नागरिक को छोड़कर) अथवा भारत से बाहर निगमित संस्था (पाकिस्तान तथा बांग्लादेश में निगमित संस्था को छोड़कर), इस अनुसूची में निर्धारित शर्तों के अंतर्गत निवेश संस्था की यूनिटों में निवेश कर सकता है।

(2) भारत से बाहर का निवासी कोई ऐसा व्यक्ति जिसने इस अनुसूची के अनुसार यूनिटों का अधिग्रहण किया है अथवा खरीद किया है, सेबी द्वारा निर्मित विनियमों अथवा इस संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अनुसार यूनिटें को किसी भी तरह से बेच सकता है अथवा अंतरित कर सकता है अथवा मोचन (redeem) कर सकता है।

(3) निवेश माध्यम ऐसी निवेश माध्यम द्वारा अधिगृहित किए जाने के लिए प्रस्तावित विशेष प्रयोजन संस्था के किसी पूंजीगत लिखत के स्वैप के प्रति भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति को यूनिटें जारी कर सकती है।

(4) किसी भारतीय कंपनी अथवा किसी एलएलपी में किसी निवेश संस्था द्वारा किया गया निवेश, निवेश प्राप्त करने वाली कंपनी अथवा एलएलपी, जो भी लागू हो, के लिए अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश माना जाएगा यदि प्रवर्तक अथवा प्रबंधक अथवा निवेश प्रबंधक (i) का स्वामित्व तथा नियंत्रण निवासी भारतीय नागरिक के पास नहीं है अथवा (ii) भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति के स्वामित्व अथवा नियंत्रण में हो।

बशर्ते यह कि प्रवर्तक अथवा प्रबन्धक अथवा निवेश प्रबंधक जो कंपनी में अथवा एलएलपी से भिन्न रूप में हैं , उनके संबंध में सेबी द्वारा यह निर्धारित किया जाएगा कि प्रवर्तक अथवा प्रबन्धक अथवा निवेश प्रबंधन विदेशी स्वाधिकृत अथवा नियंत्रित है अथवा नहीं।

स्पष्टीकरण : एआईएफ का 'नियंत्रण' 'प्रवर्तक' अथवा 'प्रबंधक'/ 'निवेश प्रबंधक' के हाथों में होगा, जिसमें अन्य कोई भी सामान्यतः शामिल नहीं होंगे। एआईएफ का 'प्रवर्तक' अथवा 'प्रबंधक'/ 'निवेश प्रबंधक' व्यक्ति होने के स्थिति में, ऐसी एआईएफ द्वारा डॉउनस्ट्रीम निवेश को घरेलू मानने के लिए, 'प्रवर्तक' अथवा 'प्रबंधक'/ 'निवेश प्रबंधक' निवासी भारतीय नागरिक होने चाहिए।

(5) वैकल्पिक (अल्टरनेटिव) निवेश निधि श्रेणी III जिसे कोई विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है वो केवल उन प्रतिभूतियों अथवा लिखतों में ही पोर्टफोलियो निवेश कर सकती हैं जिनमें अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों अथवा विनियमों के अधीन निवेश करने की अनुमति है।

बशर्ते यह कि नकदी प्रबंधन के प्रयोजन से, ऐसा वैकल्पिक (अल्टरनेटिव) निवेश निधि श्रेणी III(i) निधि में अंशदान की तिथि से एक माह से कम की अवधि के लिए चलनिधि और मुद्रा बाजार म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकता है, और (ii) किसी भी समय में आधारभूत निधि के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

2. भुगतान के माध्यम

प्रतिफल राशि बैंकिंग चैनलों के जरिए विदेश से किए गए आवक विप्रेषण से अथवा विशेष प्रयोजन संस्था के शेयरों के स्वैप द्वारा अथवा विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 के अनुसार बनाए रखे गए एनआरई अथवा एफसीएनआर (बी) खाते में धारित निधियों में से अदा की जा सकेगी।

3. बिक्रीगत/ परिपक्वतागत आगम राशि का विप्रेषण

यूनिटों की बिक्रीगत/ परिपक्वतागत आगम राशियों (करों को घटाकर) का विप्रेषण भारत के बाहर किया जा सकता है संबंधित व्यक्ति के एनआरई अथवा एफसीएनआर (बी) खाते में जमा किया जा सकता है।

अनुसूची - 9

[विनियम 5(9) देखें]

भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा निक्षेपागार रसीदों में निवेश

1. **पात्र व्यक्ति/यों के द्वारा निक्षेपागार रसीद जारी करने के उद्देश्य से विदेशी निक्षेपागार को पात्र लिखत जारी / अंतरण करना:**

   (1) कोई प्रतिभूति अथवा यूनिट, जिसमें भारत के बाहर का निवासी व्यक्ति को इन विनियमों के तहत निवेश करने की अनुमति है, वह निक्षेपागार रसीद योजना, 2014 (डीआर स्कीम, 2014) के अनुसार निक्षेपागार रसीद जारी करने के लिए पात्र लिखत होगा।

   (2) निक्षेपागार रसीद योजना, 2014 (डीआर स्कीम, 2014) तथा इसके तहत केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार एक व्यक्ति निक्षेपागार रसीद जारी करने के उद्देश्य से किसी विदेशी निक्षेपागार को पात्र लिखत जारी / अंतरण करने के लिए पात्र होगा।

   (3) एक घरेलू अभिरक्षक भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति की ओर से डीआर स्कीम, 2014 के अनुसार, खरीदे गए लिखतों को निक्षेपागार रसीद के रूप में परिवर्तित करने के उद्देश्य से, पात्र लिखत खरीद सकता है।

   (4) पात्र लिखतों का समग्र जोड़, जो भारत से बाहर निवास करने वाले व्यक्ति द्वारापहले से रखे गए पात्र लिखतों सहित विदेशी निक्षेपागारों को अंतरण अथवा जारी किया जा सकता है, वह इस अधिनियम अथवा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा विनियमों के तहत इस प्रकार के पात्र लिखतों की विदेशी धारिता सीमा से अधिक नहीं होगा।

   (5) लागू नियमों के तहत घरेलू निवेशकों को इस प्रकार के लिखत जारी अथवा अंतरित करने के समतुल्य माध्यम पर लागू मूल्य से कम मूल्य पर निक्षेपागार प्राप्तियाँ जारी करने के उद्देश्य से विदेशी निक्षेपागार को पात्र लिखत जारी अथवा अंतरित नहीं किया जाएगा।

2. **छूट:**

   यह मन लिया जाएगा कि विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड और सामान्य शेयर (निक्षेपागार रसीद व्यवस्था के माध्यम से) योजना, 1993 के तहत जारी निक्षेपागार रसीद डीआर स्कीम, 2014 के समतुल्य प्रावधानों के तहत जारी की गई है तथा इस अनुसूची में निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन करना होगा।

अनुसूची - 10

[विनियम 5(10) देखें]

भारतीय निक्षेपागार रसीदें (आईडीआर) जारी करना

1. **आईडीआर जारी करना :**

भारत के बाहर निगमित पात्र कंपनियाँ भारत में तथा भारत से बाहर निवास करने वाले व्यक्तियों को घरेलू निक्षेपागार के माध्यम से आईडीआर जारी कर सकती हैं, जो निम्न शर्तों के अधीन होंगी :

(1) आईडीआर का निर्गम, कंपनी (विदेशी कंपनियों का पंजीकरण) नियम, 2014, सेबी (पूंजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009

(2) कोई वित्तीय / बैंकिंग कंपनियाँ जिनका भारत में अपना अस्तित्व है या तो शाखा अथवा अनुषंगी कंपनी के माध्यम से आईडीआर जारी करने के लिए सेकटोरल नियामक के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

(3) आईडीआर को केवल भारतीय रूपये में ही मूल्यवर्गित किया जाएगा।

(4) इस प्रकार की आईडीआर जारी करने वाली कंपनियों के द्वारा आईडीआर जारी करने की प्राप्तियाँ को तुरंत भारत के बाहर प्रत्यावर्तित किया जाएगा।

2. **आईडीआर खरीदना / बेचना :**

एक एफपीआई अथवा एक एनआरआई अथवा ओसीआई निम्नलिखित नियमों व शर्तों के अधीन आईडीआर खरीद, बेच तथा रख सकता है, जो होगा :

(1) एनआरआई अथवा ओसीआई विदेशी मुद्रा प्रबंधन (जमा) विनियम, 2016, के अनुसार बनाए रखे गए अपने एनआरई / एफसीएनआर(बी) खाते में धारित निधि में से आईडीआर में निवेश कर सकते हैं।

(2) इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियम व शर्तों के अधीन होगी आईडीआर की दोनों ओर की सीमित प्रतिमोच्यता अनुमत होगी।

(3) आईडीआर को जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के पहले अंतर्निहित इक्विटी शेयर्स में प्रतिदेय नहीं होंगे।

जारीकर्ता कंपनी को अंतर्निहित इक्विटी शेयर्स में आईडीआर की प्रतिदेयता/ रूपान्तरण हेतु विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004 का अनुपालन करना होगा।